राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १०] तृतीय विधान सभा के दसवें सत्र, १९६६ का १२ वां दिवस [संख्या ९

सोमवार दिनांक २६ सितम्बर, १९६६.

(विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[उद्योग, समाज कल्याण, पंचायत, राजस्व, सहकारी, चिकित्सा, वित्त, अकाल सहायता, विकास, आयुर्वेद, आबकारी-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री पोहूमल ईसरदास।

कोटे का उपयोग

२१५. **श्री पोहूमल ईसरदास** (अजमेर पश्चिम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उद्योग विभाग राजस्थान द्वारा १९६२ से आज तक अजमेर जिले में स्टेनलेस स्टील, जिंक व तांबे का किस किस व्यक्ति को कितना कितना कोटा दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या उपरोक्त कोटा प्राप्त करने वालों ने नियमानुसार कोटे का उपयोग किया है? कोटा प्राप्त करने वालों के नाम के अनुसार सूचना दें।

(३) जिन्होंने नहीं किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री मनफूलसिंह) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) मैसर्स मूलचन्द आर्य, स्वर्णकार को दिये जाने वाले कोटे के दुरुपयोग के सिवाय अन्य किसी उद्योग के विरुद्ध शिकायत नहीं आई।

(३) मूलचन्द आर्य स्वर्णकार, अजमेर के विरुद्ध शिकायत की जांच करने के लिये क्षेत्रीय उप संचालक, उद्योग जयपुर, व जिला उद्योग अधिकारी अजमेर को लिखा गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री पोहूमल ईसरदास : यह रिपोर्ट कब तक आयेगी?

श्री मनफूलसिंह : इसके लिये रिमाइंडर्स भेज दिये गये हैं, जल्दी से जल्दी कार्यवाही होने की सम्भावना है।

Page No. 2

प्रश्न संख्या २१६

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री अमरसिंह ।

पंचायत बिचून की डबल रोकड़ बही का मामला

२१७. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति दूदू में पंचायत बिचून के सरपंच से पंचायत की डबल रोकड़ बही बरामद हुई थी ?

(२) क्या इस मामले की जांच एस. डी. ओ, कोर्ट से हो चुकने पर दुबारा फिर विभाग द्वारा एस. डी. ओ. को भेजी गई है ?

(३) अब इस मामले में क्या कार्यवाही चल रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं । जांच एक बार हुई है ।

(३) पंचायत के हिसाबों का स्पेशल ऑडिट करवाया गया है ।

श्री अमरसिंह : नम्बर (२) के उत्तर में आपने जी नहीं कहा है जब कि सन् १९६२ में जवाब दिया गया था कि एस. डी. ओ. के द्वारा जांच हो गई है लेकिन कानूनी खामियां रह गई हैं, इसलिये दुबारा देखेंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : एस. डी. ओ. सांभर ने स्पेशल ऑडिट करने की सिफारिश की थी, वह होकर २३ सितम्बर, १९६६ को कलेक्टर के पास पहुंच गई है और कार्यवाही हो रही है ।

श्री अमरसिंह : इनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : २३ सितम्बर, १९६६ को कलेक्टर के दफ्तर में स्पेशल ऑडिट होकर पहुंची है । उसमें जो फाइंडिग्स हैं उनका नोटिस सरपंच को दिया जायेगा, जवाब तलब होगा, बाद में सस्पेंशन का सवाल होगा ।

प्रश्न संख्या २१८

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

कच्चे माल के दुरुपयोग सम्बन्धी मामले

२१९. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राज्य में कितने ऐसे उद्योगपतियों के विरुद्ध कार्यवाइयां चल रही हैं जिन्होंने उन्हें मिलने वाले कच्चे माल का दुरुपयोग किया है ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

Page No. 3

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

(२) जिन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है, क्या उन्हें कच्चा माल बराबर दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किन किन को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उद्योग मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) राज्य सरकार का उद्योग विभाग अपने स्टाफ के द्वारा टाइम टाइम पर यूटिलाइजेशन की जांच करता रहता है । दुरुपयोग के बारे में इस विधान सभा के पिछले सत्रों में कुछ उद्योगों के बारे में चर्चा उठाई गई थी । इन सबके मामले पुलिस विभाग को सुपुर्द कर दिये गये हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जिन जिन उद्योगों ने अपने हिसाब उद्योग विभाग में पेश कर दिये उन उद्योगों को माल दिया जाता है । बाकी जिन्होंने हिसाबात पेश नहीं किये हैं या बन्द हो गये हैं, उनको माल नहीं दिया जाता है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची-विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसा अभी आपने फरमाया कि इस सदन में जिन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई गई थी उन लोगों के मामले पुलिस के सुपुर्द कर दिए गये हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि विभाग के द्वारा ऐसी क्या व्यवस्था है जिससे कि यह मालूम हो सके कि जिन लोगों को कच्चा माल दिया जाता है वे उसका दुरुपयोग तो नहीं करते ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसका उत्तर मैंने दे दिया है कि राज्य सरकार का उद्योग विभाग अपने स्टाफ के द्वारा समय समय पर यूटिलाइजेशन की जांच करता है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने अभी फरमाया कि सूची में नाम दिए गए हैं कि जिन लोगों ने हिसाबात दे दिया है उनको फिर से माल दिया जाना शुरू कर दिया गया है । क्या यह सही है कि जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है उनको भी माल दे दिया गया है ? जैसे झुन्झुनू की एक पार्टी ने स्टील का कम यूटिलाइजेशन किया, उनके खिलाफ शिकायत थी, फिर भी उनको माल दिया गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने निवेदन किया कि जिन्होंने हिसाबात दे दिये, उनको तो माल दे रहे हैं और जिन्होंने हिसाबात पेश नहीं किए उनको नहीं दे रहे हैं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उन्होंने हिसाब पेश किये या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी तक तो नहीं पेश किये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : फिर उनको क्यों दे रहे हैं ? उसके खिलाफ शिकायत हुई और जिन्होंने जांच की उन्होंने भी यह कहा कि इसने कोटा को मिसयूज किया है । उसके बाद भी उसको कोटा दिया है, यह किस आधार पर दिया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सदन में यह मामला उठाया गया उसके बाद पुलिस इन्वेस्टीगेशन कर रही है । जिन्होंने हिसाबात पेश नहीं किए हैं उनको माल नहीं दिया जाता है ।

Page No. 4

प्रश्न संख्या २२०

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जेठमल बरवड़ !

श्यामपुरा की सामूहिक कृषि सहकारी समिति

२२१. **श्री जेठमल बरवड़** (परबतसर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम श्यामपुरा, तहसील परबतसर में एक सामूहिक कृषि सहकारी समिति है ? यदि हां, तो इस सहकारी समिति का कब निर्माण किया गया और कितने इसके सदस्य हैं ? सदस्यों की सूची मय वल्दीयत सदन की मेज पर रखी जाय ।

(२) क्या यह सही है कि सरपंच श्री तोलाराम, ग्राम पंचायत खोकर ने विभाग व पंचायत समिति परबतसर को शिकायत की थी कि इस सहकारी समिति में जो सदस्य हैं वह न तो श्यामपुरा के रहनेवाले हैं और न पंचायत क्षेत्र के हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस सहकारी समिति को-बीज घर बनाने के लिए पंचायत समिति परबतसर ने अनुदान भी दिया है ? यदि हां, तो समिति ने बीज-घर बनाया या नहीं ?

खनिज-मंत्री (श्री हरदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इसको अगले टर्न पर ले लें, शायद उनको (सहकारी मंत्री) देर हो गई है ।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल !

मैटर्निटी वार्ड के भवन के लिए स्वीकृति

२२२. **श्री बृजेन्द्रपाल** (करौली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि करौली में एक मैटर्निटी वार्ड के भवन निर्माण के लिए १९६४-६५ में सरकार ने स्वीकृति प्रदान की थी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) जी नहीं ।

श्री बृजेन्द्रपाल : अब इस पर क्या सरकार पुनः विचार करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका यह सवाल नहीं है । पहले तो इसके बारे में फैसला नहीं लिया गया । अब अगले वर्ष में जब विचार होगा तब इसको भी ध्यान में रखेंगे ।

श्री रावतराम : पहले सवाल उठा था तो क्या आपने विचार किया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सवाल जो पूछा था उसका जवाब दे दिया है । आपने ६४-६५ के लिए पूछा है तो उसका जवाब दे दिया ।

प्रश्न संख्या २२३

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२४

श्री मानिकचन्द सुराणा !

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२५

श्री राधाकृष्ण गोयल !

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री रावतराम !

अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत सड़कों पर कार्य करने वालों की बकाया

२२६. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चालू साल में चूरू जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अकाल था और वहां सरकार ने अकाल सहायता के अन्तर्गत सड़क–निर्माण कार्य करवाये ? यदि हां, तो उक्त सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों का कितना एरियर कौन कौन सी सड़क पर कितना २ बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) अभी तक मजदूरों का एरियर न चुकाने का क्या कारण है और इस के लिए कौन जिम्मेदार है ?

(३) अब कब तक एरियर चुका दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिलाधीश, चूरू के मार्फत अधिशासी अभियन्ता (पी. डब्ल्यू. डी.) द्वारा जो कारण बताये गये हैं उनके अनुसार मजदूरों का भुगतान के समय उपस्थित न होना तथा कुछ मजदूरों द्वारा सरकारी औजार न लौटाना बताया गया है।

(३) इस माह के अन्त तक कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री रावतराम : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना एरियर बकाया है। आपने जो सूची दी है उसमें यह है कि इतने एरियर्स चुका दिये गये हैं। अब कितना एरियर बाकी है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सूची में लिखा है चूरू से दूदवाखारा रोड ६६६.०२, दिपालसर–बीकानेर ३०५.०१ यह बकाया है।

श्री रावतराम : यह बकाया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां।

श्री रावतराम : लगभग ५० हजार रुपया बकाया है जब कि बार बार आश्वासन दिया गया कि एक महीने में चुका देंगे तो कब तक चुकारा होगा ? गवर्नमेंट को आदेश देना चाहिए कि इतने दिनों में रुपया दे देना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जवाब जो प्राप्त हुआ है उसमें लिखा है कि इस माह

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
के अन्त तक चुका देंगे एरियर्स, तो दो चार दिन इस माह के बाकी हैं तो उसमें पूरा हो जायगा।

श्री रावतराम : जिलाधीश का उत्तर है। जिलाधीश बार बार यह कहते हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कहती कि इतने दिनों में चुका देना चाहिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सरकार का तो यह आदेश था कि जिस टाइम पर कार्यवाही बन्द की जाय उस वक्त एक पैसा भी मजदूरों का बकाया नहीं रहना चाहिए। इसके लिए टेलिग्राम भी दिया और जबानी भी पाबन्दी की। सब तरह से किया है।

श्री रावतराम : जिस अधिकारी ने आपके आदेशों का पालन नहीं किया उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: इसके खिलाफ कार्यवाही करने का दुर्भिक्ष विभाग के पास कोई आधार नहीं है। तकाजा किया जा चुका है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : एरियर्स नहीं चुकाने का कारण क्या है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कारण वहां से जो प्राप्त हुए वे मैंने बता दिये। मजदूरों में से कुछ गैर हाजिर रह जाते हैं, कुछ अधिकारियों की सुस्ती हो जाती है और कुछ और कारण हो सकते हैं।

श्री रावतराम : सवाल मजदूरों को मजदूरी देने का है। हम चाहते हैं कि जल्दी मजदूरी का एरियर मिलना चाहिए।

राजस्व मंत्री (श्री कुम्भाराम आर्य) : मजदूरी जल्दी दी जा सके इसकी कोशिश की जायगी अब तक क्यों नहीं दी गई इसका पता लगाया जायगा।

डिप्टी कलेक्टर जागीर के पद

२२७. **श्री गंगासिंह** (जायल) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि सिवाय अजमेर, बाड़मेर व गंगानगर के राजस्थान में सभी डिप्टी कलेक्टर जागीर की पोस्टें हटा दी गई हैं ?

(२) राज्य के सभी जिलों में अभी तक कितना २ जागीर कार्य बाकी है ? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि मौजूदा कार्य को देखते हुए जिला जयपुर पाली, जालौर से डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट हटाना किसी प्रकार उचित नहीं है ? यदि हां, तो सरकार ने वे पद क्यों हटाये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री कुम्भाराम आर्य) :
(१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(३) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गंगासिंह : मंत्री जी ने जो सूची प्रस्तुत की है उसमें नागौर जिले में आपने दावे तैयार करने के नीचे निल बताया है।

(श्री गंगासिंह)

दावे फाईनल १६५ बताये हैं। क्या मैं यह समझूं कि अब इस वक्त सरकार के पास नागौर जिले में कोई ऐसा दावा नहीं है मुआवजे के सम्बन्ध में जो तय करना हो ?

श्री कुम्भाराम आर्य : पूरा सुन नहीं सका।

श्री गंगासिंह : आपने जो सूची प्रस्तुत की है उसमें नागौर १६ नम्बर के आइटम पर है। उस सूची में तीसरा कॉलम है वह दावे तैयार करने शेष हैं उनका नम्बर है और चौथे कॉलम में दावे फाइनल करने के बारे में दिखाया है। इसमें तीसरे कॉलम में नागौर में यह बताया है कि कोई दावा तैयार करना शेष नहीं है, सारे तैयार कर दिये हैं और चौथे कॉलम में दिखाया है कि १६५ दावे फाइनल कर दिये हैं क्या मैं यह समझूं कि नागौर जिले में जितने जागीरदार हैं उनकी सारी जागीरों के दावे तैयार कर दिये है बाकी नहीं हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य : इस लिस्ट में लिखा है उसे सही समझें।

श्री गंगासिंह : खास तौर से जागीर के प्रोवीजनल एवार्ड जारी कर दिए हैं। जागीरें दो तरह की हैं एक तो वे जो जागीरदारों के कब्जे में थीं वे रिज्यूम की गईं और दूसरी जागीरें खालसा विलेजेज में थीं उनको रिज्यूम किया गया। जहां तक मेरी जानकारी है खालसा विलेजेज में प्रोविजिनल एवार्ड जारी नहीं किए हैं और इस चार्ट में आपने बताया है कि जागीर का कोई दावा तय करना बाकी नहीं है वैसी सूरत में....

श्री कुम्भाराम आर्य : सदस्य महोदय जो शंका मुझे बतायेंगे, निवारण करूंगा। गलत बात की गई है तो जांच कराऊंगा।

श्री गंगासिंह : जहां तक काम का सवाल है, डिप्टी कलेक्टर जागीर का पद नागौर पाली और जालौर में आपने तोड़ दिया है। क्या मैं यह समझूं कि आपके पास जो कार्य है वह इतना कम बाकी है कि इन डिप्टी कलेक्टर जागीर को तोड़ना वाजिब समझा गया ?

श्री कुम्भाराम आर्य : कमी की वजह से ऐसा कदम उठाया है। यह काम पटवारियों से सम्बन्धित है और पटवारी, एस.डी.ओ. और तहसीलदार के नीचे है इसलिये इनके बजाय एस. डी. ओ. ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है।

श्री गंगासिंह : जहां तक कमी का सवाल है मैं विश्वास दिलाता हूं कि डिप्टी कलेक्टर जागीर का पद तोड़ने से कमी पूरी होने वाली नहीं है। अब आप एस० डी० ओ० को काम सौंपने जा रहे हैं उनके दौरे और भत्ते का भी काफी खर्चा पड़ेगा। डिप्टी कलेक्टर तोड़ने से आप ५००) रु० की बचत कर लेंगे और एक-आध क्लर्क तोड़ने से १००) रु० की बचत कर लेंगे लेकिन इससे काम में बाधाएं आयेंगी और जागीरदारों को मुआवजा नहीं मिल सकेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और एस. डी. ओ. के पास काम इतना ज्यादा है कि वे एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते इलेक्शन पास में आ रहा है,

Page No. 8

(श्री गंगासिंह)

सीलिंग लॉ लागू हो रहा है और यह सारा काम एस. डी. ओ. के पास रहेगा। सैटलमेंट का काम भी हमारे यहां पर हो रहा है उधर भी एस. डी. ओ. को महीने में १५ दिन टूर करनी पड़ेगी। इसके अलावा सारा क्रिमिनल और रेवेन्यू का काम उसके पास है। ऐसी स्थिति में इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ध्यान देगी कि डिप्टी कलेक्टर जागीर का काम जहां पर ज्यादा है वहां से नहीं हटाया जायगा।

श्री कुम्भाराम आर्य : शंका मात्र है। काम को शीघ्र निपटाने की कोशिश करेंगे।

श्री गंगासिंह : शंका मात्र नहीं है। आप इसका अध्ययन करें तो पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल ! (प्रश्न संख्या २२८)।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आप आज्ञा दें तो २२८ के बजाय २२५ पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

टोंक शहर में इन्डस्ट्रियल एस्टेट

२२५. **श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि टोंक शहर में किसी भी प्रकार का कोई उद्योग नहीं है ?

(२) क्या यह भी सही है कि सन् १९६१ में राज्य के पदेन उद्योग मंत्री द्वारा टोंक शहर में इन्डस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना हेतु शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति अब तक की गई है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री मनफूलसिंह) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां। योजना स्थगित हो जाने के कारण औद्योगिक बस्ती नहीं बन पाई।

श्री राधाकृष्ण गोयल : पहले प्रश्न के उत्तर में आपने जी नहीं कहा है वहां उद्योग नहीं है यह मानते हैं तो क्या राज्य सरकार ने योजना बनाई है कि वहां पर चमड़े का कारखाना खोला जाय ?

श्री मनफूलसिंह : जो उद्योग चल रहे हैं टोंक में उनकी लिस्ट आपको दे दी है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या राज्य सरकार ने टोंक में चमड़े का उद्योग बड़े स्केल पर कायम करने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो कौनसी तारीख को केबिनेट, मंत्री-मंडल या मंत्री ने निर्णय लिया ?

श्री मनफूलसिंह : तारीख का निश्चित मालूम नहीं है, योजना बन चुकी है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या यह बतायेंगे कि कौनसे महीने में बनाई ?

श्री मनफूलसिंह : तारीख मालूम नहीं। योजना बन चुकी है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मंत्री-मंडल में क्या विचार हुआ है ? जवाब आप दे रहे हैं इशारा वे कर रहे हैं, गलत उत्तर देकर गुमराह कर रहे हैं। स्वेच्छा से सत्य बात का

Page No. 9

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

जवाब दें केवल इशारे पर जवाब देने की प्रवृत्ति न लें। मैं पुनः पूछता हूं कि क्या आपने टोंक में चर्म-उद्योग का बड़ा कारखाना खोलने का निश्चय किया है ?

श्री मनफूलसिंह : मैं निवेदन कर चुका हूं कि निश्चय हो चुका है, इस सम्बन्ध में योजना बनाई जा चुकी है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या निश्चय की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

श्री मनफूलसिंह : योजना स्वीकृत होने पर दे दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : निश्चय यह हुआ है कि योजना बनाई जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वह निश्चय अभी हुआ है या पहले हुआ है, क्या आपको इसकी जानकारी है कि निश्चय करने वाला अधिकारी कौन है ?

प्रश्न संख्या २२६

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २३०

श्रीमती सुमित्रा !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २३१

श्री चम्पासिंह वर्मा !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २३२

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री माणिकचन्द सुराणा !

श्री हरिप्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या २३३

श्री जयनारायण सालोदिया !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री नत्थीसिंह !

गबन के मामले में कार्यवाही

२३४. **श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत हेलक, पंचायत समिति कुम्हेर, जिला भरतपुर के भूतपूर्व सरपंच के खिलाफ खरंजा निर्माण में गबन करने के सम्बन्ध में १०-५-६६ को विकास अधिकारी, पंचायत समिति कुम्हेर द्वारा कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट कलेक्टर (पंचायत) भरतपुर को की गई है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

पंचायत मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी हां, प्रारम्भिक जांच हो रही है।

Page No. 10

श्री नत्थीसिंह : प्रारम्भिक जांच से आपका क्या मतलब है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पंचायत हेलक, पंचायत समिति कुम्हेर के भूतपूर्व सरपंच के खिलाफ खरंजा निर्माण में गबन करने के सम्बन्ध में १०-५-६६ को शिकायत आई। उसकी जांच करने के लिए जिलाधीश भरतपुर को लिखा। जिलाधीश प्रारम्भिक जांच कर रहे हैं कुछ गवाहियों के बयानात हो चुके हैं।

श्री नत्थीसिंह : किनके बयान हो चुके हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास यह सूचना नहीं है कि किनके बयान हो चुके हैं।

श्री नत्थीसिंह : इसको पुलिस में भेजा गया। वापिस मंगाया गया बाद में एक भी गवाह के बयान नहीं हुए। सरपंच को भी तलब नहीं किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सूचना दे रहे हैं तो जानकारी करूंगा।

प्रश्न संख्या २३५

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या २३६

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री रघुनाथ बिश्नोई !

पंचायत समिति सांचोर का बाबा की डेरी पर स्टोर रूम का निर्माण

२३७. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : [श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) द्वारा पूछा गया] : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति सांचोर द्वारा एक स्टोर रूम मेले के लिए बाबा की डेरी नामक प्राइवेट स्थान पर बनाना शुरू किया गया था ? अगर हां, तो क्या पंचायत समिति के भवन–निर्माण की पूर्व स्वीकृति ले ली गई थी ? अगर पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई तो स्टोर रूम–निर्माण का काम किसके हुक्म से शुरू किया गया ?

(२) इस कार्य के लिए कुल कितनी रकम खर्च की गई ?

(३) क्या यह सत्य है कि बाबा की डेरी के पुजारियों के एतराज से काम बन्द किया गया ? क्या यह भी सत्य है कि इस बारे में विकास अधिकारी द्वारा पुजारियों के खिलाफ मुकदमा भी चलाया गया ? अगर हां, तो वह क्या मुकदमा था व कहां चलाया गया ? उस मुकदमे का क्या हुआ ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य की मंजूरी के लिए जब मामला पंचायत समिति की बैठक में रखा गया तो पंचायत समिति ने इस कार्य की मंजूरी नहीं दी ? अगर हां, तो जो रकम नियम विरुद्ध खर्च की जा चुकी थी, उसके लिए क्या कार्यवाही की गई ? उपरोक्त कार्य के लिये कौन जिम्मेवार है ? खर्चशुदा रकम कब तक किससे वसूल की जावेगी ?

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(५) क्या यह सत्य है कि स्टोर रूम-निर्माण के लिये स्थान का चयन पंचायत समिति द्वारा नहीं किया गया था ? अगर हां तो ऐसे स्थान पर इतनी जल्दबाजी में कार्य किसके द्वारा एवं क्यों शुरू किया गया जब कि इसकी स्वीकृति पंचायत समिति ने बाद में नहीं दी ? इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी ?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री दामोदर-लाल व्यास) : (१) बाबा की डेरी के सार्वजनिक स्थान होने की मान्यता से स्टोर के कमरे का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस कार्य के लिये पंचायत समिति की स्वीकृति ली गई। निर्माण-कार्य आरम्भ करने के आदेश विकास अधिकारी ने दिये।

(२) कुल १६६६-७० पैसे की रकम खर्च हुई।

(३) बाबा की आपत्ति पर निर्माण कार्य पंचायत समिति के निर्णय के अनुसार बन्द किया गया था। उप-खंड अधिकारी, भीनमाल के न्यायालय में पुजारियों के विरुद्ध धारा १०७।सी।पी. सी. का मुकदमा चलाया गया था। उक्त मुकदमा खारिज हो गया।

(४) पंचायत समिति ने यह निर्णय लिया कि स्टोर का कार्य बन्द कर दिया जाय और खर्च हुई रकम बाबा फतेहपुरी व सब सरपंच चन्दा इकट्ठा कर पंचायत समिति में जमा करा दें।

(५) स्थान का चयन सम्बन्धित पंचायत की सहमति से किया जाना मालूम होता है।

प्रश्न संख्या २३८

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया !

उद्योगों में सरकारी रकमें

२३६. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-)

(१) दूसरी व तीसरी योजना काल में राज्य में ऐसे कितने उद्योग स्थापित हुए हैं जिनमें एक करोड़ या इससे ज्यादा पूंजी लगी है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) इन उद्योगों को सरकार ने पूंजी के तौर पर और ऋण तथा सिक्योरिटी के रूप में कितनी-कितनी रकम दी ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उद्योग मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) :- (१) ऐसे १६ उद्योग स्थापित हुए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने दो सूची दी हैं उनकी जिनमें १६ ऐसे उद्योग लगाये गये हैं राजस्थान में जिनमें

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

एक करोड़ से ज्यादा पूंजी लगी हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि इन सोलह में से कितने उद्योगों में प्रोडक्शन चालू हो चुका है ?

श्री हरिश्चन्द्र : प्रोडक्शन सभी में निकल रहा होगा, मैं समझता हूं। आपके पास सूचना दूसरी हो तो मुझे दे दीजिए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसमें बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, जिक स्मेल्टर का उद्योग है और भी हैं जिनका नाम मैं बता दूं और कोटा में अभी दो तीन इन्स्ट्रीज तो बन ही रही हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : जिंक स्मेल्टर में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जहां तक मुझे ख्याल है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कितनी ऐसी हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी इन्डस्ट्रीज के बारे में जिसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आपने जिंक स्मेल्टर की बात कही। यह मुझसे सम्बन्धित नहीं है इसलिए मैं जानकारी नहीं दे सकता। आपने सवाल में कहा था कि एक करोड़ से ज्यादा पूंजी जिनमें लगी है, उनकी सूची मैं दूं। वह मैंने रख दी है। अगर आप किसी पर्टीक्यूलर इन्डस्ट्रीज के बारे में पूछें तो मैं बता सकता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह आपने लिस्ट दी है, इसके अन्दर जे० के० सिन्थेटिक कानपुर को आपने ३० लाख रुपये एक दफा, १२ लाख रुपये एक दफा और आपकी गारंटी के ऊपर १० लाख रुपये और भी दिए गये हैं यह रकमें आपने दी हैं तो यह किस काम के लिए दी हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह फैक्ट्री लगाने के लिए और एक्सपेन्शन के लिए भी दी गई हैं। इस वक्त यह फैक्ट्री लगी हुई है, इसके एक्सपेंशन के लिए दी गई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं पूछना चाहता हूं कि एक्सटेंशन के लिए गये साल रकम दी है १९६५-६६ के अन्दर, तो क्या वह एक्सटेंशन के काम पर खर्च हो गई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या इन लोगों को जो कारखाने के एक्सटेंशन के लिए १९६५–६६ में रकम दी है, क्या वह रकम इस जे. के. सिन्थेटिक्स ने कारखाने के विकास के लिए खर्च कर दी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : लगाई होनी चाहिए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, मैं कोटा जाकर आया हूं और वहां मैंने मैनेजर से पूछा कि कि सरकार से जो पैसा मिला है इस कारखाने को बढ़ाने के लिए उस पैसे को आपने खर्च किया है या नहीं ? तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारी स्कीम ही पूरी नहीं हुई है कि कैसे बढ़ाना चाहिए। स्कीम पूरी नहीं हुई और सरकार ने पैसा पहले ही दे दिया। पहले भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन पूछा था और उस

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

पर हाफ एन आवर डिस्कशन भी हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो इतनी लम्बी-चौड़ी बातें की जाती हैं और कैपिटलिस्ट्स के फेवर में बातें की जाती हैं उनकी वजह से नुकसान भी हुआ है। एक स्कीम का मामला भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया था वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस बिना पर खारिज हो गया कि उसका मुआवजा अभी तय करना है, उसमें आपने बताया था कि इसमें इतना इन्वेस्टमेंट है और इतनी सिक्योरिटी है। इस तरह का गलत जवाब दे दिया जाता है। मैंने एक प्रश्न में पूछा था कि ३ करोड़ ४५ लाख की मशीनरी बम्बई पोर्ट पर पड़ी हुई है तो उस समय मन्त्रीजी ने कहा था-नहीं। मैंने वहां के मैनेजर से पूछा तो उन्होंने कहा कि जनवरी १९६१ को ३ करोड़ ४५ लाख की मशीनरी हिन्दुस्तान की सरकार ने जब वह कारखाना अपने हाथ में लिया था तब छुड़वाई। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जितना काम करे, और जो बात वह सदन में कहे वह बहुत सही और सच्ची होनी चाहिये, वह उन लोगों के फेवर में ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो इस तरह की गड़बड़ी करने वाले हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : सदन को जो इन्फार्मेशन देते हैं वह सच देते हैं। आपने जो पूछा है उसका सही जवाब दिया है। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि अब की बार बिजली में कमी होने के कारण उन्होंने डीजल सेट्स भी खरीदे हैं। कई ऐसी इन्डस्ट्रीज को ऋण दिया गया है, गारन्टी दी गई है ताकि उनके उद्योग में प्रॉडक्शन सफर हो तो वह डीजल सेट्स लगायें। यह जो पैसा दिया है वह उसमें भी लगा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जो इन्डस्ट्रीज को ऋण दिया जाता है वह स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया जाता है। यह जो लोन के लिए एप्लाई किया है वह क्या फरदर एक्सटेंशन के लिए एप्लाई किया है क्योंकि पर्टीक्यूलर पर्पज के लिए लेते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : पर्टीक्यूलर पर्पज बताते हैं। यह एक्सटेंशन और डीजल सेट के लिए ऋण दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह लोन दिया गया है, क्या इस लोन को लेने के पहले सरकार को जो एप्लीकेशन दी है उसमें यह मेन्शन किया था कि इतने डीजल सेट्स, जो इतनी कॉस्ट के हैं, के लिए ऋण चाहिये, और इस आधार पर ऋण दिया जाय या अपनी इच्छा से डीजल सेट खरीद लिये हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह जितनी इन्डस्ट्री है जो डीजल सेट लगाना चाहती हैं क्योंकि पॉवर की कमी थी, इसलिए एप्लाई किया कि कितने डीजल सेट लगाने हैं, क्या-क्या है ? और उस आधार पर ऋण दिया गया। उन्होंने फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से भी ऋण लिया है और उसकी एवज में हमने गारन्टी दी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : डीजल सेट का सवाल है, वह डी. सी. एम. का सवाल है, उन्होंने डीजल सेट लगाया है, लेकिन जे. के. सिन्थेटिक्स ने नहीं लगाया है।

श्री हरिश्चन्द्र : लगाया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : गये साल पैसा दिया है इस कारखाने के एक्सटेंशन के लिए उसके लिए पूछना चाहता हूं। क्या इस कारखाने के जो मालिक हैं उन्होंने इस कारखाने का एक्सटेंशन कर दिया है ? अगर नहीं किया है तो पैसा वापिस वसूल करने की हैसियत में हैं या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने निवेदन किया कि डीजल सेट लगाया है, आपकी सूचना मेरे ख्याल में गलत है। अब जो ऋण दिया है, जहां तक मेरा ख्याल है, उससे एक्सटेंशन प्रोग्राम काफी चल चुका है, काफी एडवान्स एक्शन उन्होंने लिया है एक्सटेंशन प्रोग्राम के लिए।

श्री अध्यक्ष : डीजल सेट के लिए फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने दिया है, सरकार ने नहीं दिया है।

श्री हरिश्चन्द्र : सरकार ने भी दिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : गये साल ऐसी डिमाण्ड के बारे में विचार हुआ था तब कारखाना को यहां से पैसा दिया गया। यह कामानी ब्रदर्स को भी दिया गया था और धौलपुर वालों को भी दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि साढ़े चार रुपया लाख कामानी ब्रदर्स को दिया, क्या उससे उन्होंने जमीन उदयपुर में खरीद ली ? क्या कोई योजना कारखाना बनाने के लिए बनाई है ? मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं उदयपुर में यह कामानी ब्रदर्स कारखाना बनाना चाहते हैं लेकिन एक पैसा भर काम की शुरुआत नहीं हुई और पैसा दे दिया गया है, जे. के. सिन्थेटिक्स को दे दिया गया है। आप किसानों को पम्पिंग सेट के लिए दो हजार देते हैं, और अगर वह एक साल में नहीं लगाये तो रुपया वापिस होता है। लेकिन इनको लाखों रुपया दिया है और जिस काम के लिए दिया है वह उन्होंने नहीं किया है। तो मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार इस स्थिति में है कि जिन लोगों को पैसा दिया गया है अगर वह उन्होंने खर्च नहीं किया है तो उसको वापिस लेने की व्यवस्था करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो लोन लेते हैं वह जिस पर्पज के लिए एप्लाई करते हैं उसको मान कर देते हैं, तो उस लोन का यूटीलाइजेशन हुआ या नहीं इसका सेटिसफेक्शन करने की क्या व्यवस्था है ?

श्री हरिश्चन्द्र : कई कम्पनी के अन्दर तो हमारे डॉइरेक्टर हैं, वह देखते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नॉयलोन फैक्ट्री को १९६५-६६ के अन्दर जिस पर्पज के लिए दिया था उसका यूटीलाईजेशन उसमें हुआ या नहीं, इसकी रिपोर्ट सरकार के पास किस माध्यम से आई ?

श्री हरिश्चन्द्र : हमारे डाइरेक्टर कम्पनी में जाकर बैठते हैं, वह देखते हैं कि रेग्युलर वहां काम होता या नहीं। और जो फाइनल रिपोर्ट होती है वह सरकार के पास आती है।

प्रश्न संख्या २४०

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा !

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रावतराम !

छात्रावास में रहने का खर्चा

२४१. **श्री रावतराम** (सादुलपुर) : क्या समाज—कल्याण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :——

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान के विभिन्न प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को कालेज छात्रावास का पूरा खर्चा देने का निश्चय सरकार ने किया है ? यदि हां, तो किन किन कालेजों में कितने कितने स्थान सुरक्षित किये हैं और छात्रावास का खर्च देने की व्यवस्था किस प्रकार की गई है ?

(२) क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि राजस्थान के अनुसूचित जाति के छात्रों को कालेज छात्रावास का पूरा खर्च दिया जाय ?

जन—सम्पर्क मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (१) प्रावधिक शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति तथा जन—जाति के छात्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त छात्र-वृत्ति के अतिरिक्त मेरिट-कम-नीड छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया गया है जिससे वे कालेज छात्रावासों का पूरा खर्चा वहन कर सकें। शिक्षण संस्थाओं से संलग्न छात्रावासों में अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के छात्रों के लिये ५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यह सही है कि समाज—कल्याण बोर्ड की तरफ से जो छात्रावास चलाये जाते हैं और जो संस्थायें छात्रावास चलाती हैं उन दोनों को पैसा छात्रों के हिसाब से दिया जाता है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह आल टुगेदर दूसरा प्रश्न है, इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल !

करौली में प्रशिक्षण केन्द्र

२४२. **श्री बृजेन्द्रपाल** (करौली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:——

(१) क्या यह सही है कि रेड क्रास सोसाइटी ने यह सिफारिश की है कि करौली में एक आग्जीलरी नर्सेस ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित किया जाय ?

(२) यदि हां, तो यह सिफारिश सरकार के पास कब पहुंची और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) यह सिफारिश संचालनालय में दिनांक १३-४-६६ को पहुंची। संचालक द्वारा तुरन्त यह केन्द्र प्रॉविजनली खोलने के आदेश दे दिये गये किन्तु पढ़ाई १ सितम्बर से होती है अतः यहां छात्राओं को भर्ती किया जाकर अध्ययन के लिए करौली भेज दिया गया है।

हिण्डौन में बी श्रेणी का अस्पताल

२४३. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन सु०): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

क्या यह सही है कि हिण्डौन की आबादी और अन्य आवश्यकताओं को देखते हुए हिण्डौन का स्वास्थ्य केन्द्र अपर्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे बी श्रेणी के अस्पताल में परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

चिकित्सा मन्त्री (**श्री** दामोदरलाल व्यास) : जी नहीं। हिण्डौन की जनसंख्या २०,२३० है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में १२ रोगी शैयाएं हैं जबकि औसतन २००० की जन संख्या पर १ रोगी-शैया होती है।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि पी० एच० सी० होने के कारण डॉक्टर को चार दिन से अधिक क्षेत्र में जाना पड़ता है और इससे वहां के मरीजों को तकलीफ होती है।

श्री दामोदरलाल व्यास । वहां के मरीजों को तकलीफ नहीं होती। पी. एच. सी. होने से गांव में जाना पड़ता है। लेकिन हॉस्पिटल का वर्क निकाल कर जाते हैं।

श्री श्रवणलाल : क्या रोगियों की संख्या को देखते हुए जो बेड्स हैं उनको बढ़ाने की योजना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हजार की जन संख्या पर १ रोगी-शैया होती है और वहां जो जनसंख्या है उसको देखते हुए मौजूदा बैड्स की संख्या काफी है।

श्री श्रवणलाल : क्या माननीय मन्त्री ने हिण्डौन में जनता को आश्वासन दिया था कि वे वहां पर ६ बैड्स बढ़ा देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, हिण्डौन में आपने जनता को आश्वासन दिया था कि जनता की आवश्यकता को देखते हुए और मरीजों की संख्या को देखते हुए ६ बैड्स बढ़ा दिए जावेंगे और आज सदन के सामने झूठ कह कर गुमराह करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां मरीजों की हालत खराब है। २० हजार की संख्या पहले थी, जैसा कि मन्त्री महोदय ने अभी बताया है। अब २५ हजार की जनसंख्या से भी ज्यादा हो गई है। मरीजों की संख्या को देखते हुए वहां पर बैड्स बढ़ाना आवश्यक है। डॉक्टर को पी.एच सी. होने के कारण उसको, क्षेत्र में जाना पड़ता है। इसके अलावा वहां पर लोगों को दवाइयें नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि बैड्स की संख्या बढ़ाई जावे और दवाइयों की वहां पर अधिक मात्रा में सुविधा उपलब्ध की जावे।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : जनता को आश्वासन दिया था। आपको नहीं दिया गया था।

श्री श्रवणलाल : जनता में जाते हैं तो दुनियां भर के आश्वासन देते हैं और यहां पर आकर कहते हैं कि कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

श्री दामोदर लाल व्यास: अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरा जनता के सामने हिन्डौन जाने का काम नहीं पड़ा। लोगों की मांगें और शिकायतें मैंने जरूर सुनी थीं और उन पर विचार करने के लिए कहा था। मैंने इसके लिए कोई आश्वासन नहीं दिया।

प्रश्न संख्या २४४

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गोकुलचन्द !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

नेक्स्ट।

प्रधान द्वारा पंचायत समिति में धंधा

२४५. **श्री अमरसिंह (दूदू)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या प्रधान, पंचायत समिति, दूदू ने पंचायत समिति दूदू में मार्च ६२ से अब तक गेहूं व अन्य बीजों का धंधा किया है ?

(२) क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत आई थी ?

(३) यदि हां, तो पड़ताल इस संबंधी किस स्टेज पर चल रही है ?

पंचायत मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां, पंचायत समिति ने सन् १९६२ व १९६५ में बीज प्रधान से खरीदा था।

(२) जी हां, एक गुमनाम पत्र आया था।

(३) बीज खरीदने में कोई अनियमितता नहीं होना प्रकट हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

प्रश्न संख्या २१६.

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसको दूसरे समय पर लेने के लिए पहले ही निवेदन कर दिया है।

प्रश्न संख्या २१८।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द !

(अनुपस्थिति)

श्री मुरलीधर व्यास !

बीकानेर में नायकों को भूमि

२२०. **श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की करेंगे:—

(१) क्या बीकानेर पाबूपुरा बस्ती के पास नायकों (भीलों) ने अपने बसने के लिए वहां खाली जमीन को देने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है ? क्या यह सही है कि इस कार्य में विलम्ब होने से उन्हें समाज-कल्याण विभाग से मिलने वाली सहायता नहीं मिल पा रही है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) जी हां। ता० ७-१०-६३ को जिलाधीश, बीकानेर को दिया है जो उन्होंने

Page No. 18

(श्री बरकतुल्ला खां)

ट्रस्ट बीकानेर को मुनासिब कार्यवाही के लिए भेज दिया।

(२) सरकार के निर्णय का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यू. आई. टी. एक्ट के तहत जमीन अलॉट करने की पॉवर्स यू. आई. टी. को दी है। सरकार के पास देरी का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि खास कर दलित वर्ग के लिये नायक, भील, मेगवाल आदि के लिये सरकार जमीन देती है और इसके बाद में समाज-कल्याण विभाग ७५०) रु० देता है जिसको जमीन अलॉट होती है, जिससे वह मकान बना सके। इस प्रकार की सहूलियतें पहले भी दी गई हैं। इस पाबूपुरा में जमीन पहले कलेक्टर ने दी है। जमीन तो उन गरीबों को अरबन इम्प्रूमेंट ऐसे ही देगा। समाज-कल्याण विभाग ७५०) उनको सहायता देगा और बस्ती बसा लेंगे। यह बहुत दिनों से चल रहा है। आपके यहां से जमीन अलॉट नहीं होने से यह नहीं हुआ है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं निवेदन करूंगा कि जमीन अलॉट करने के लिये कोई परमिशन नहीं मांगी है। यह ऑर्डीनरिली उनको अधिकार है। उन्होंने कागज सरकार के पास नहीं भेजे हैं। सरकार कागज मंगा कर जो भी फैसला होगा जल्दी करने की कोशिश करेगी।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या सरकार ने कोई क्राइटेरिया तय कर रखा है कि इतनी जमीन उनको अलॉट की जावेगी ?

श्री बरकतुल्ला खां : सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जो लो इन्कम ग्रुप के प्लॉट्स हैं उसमें से ६० पर्सेन्ट उनके लिये रखे हैं जिनकी आमदनी १००) माहवार तक की है। इसलिये इसको अलग से रिजर्व करने का सरकार ने यह मुनासिब नहीं समझा कि गरीब और गरीब में मतभेद करें। २) रु० में देते हैं। इसलिये यह तय है कि कम तनख्वाह पाने वाले हैं उनको ज्यादा मिलने की संभावना है। इसलिये लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स हैं उनमें रिजर्वेशन नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले सरकार ने उन गरीब लोगों को प्लॉट्स दिये हैं और समाज-कल्याण विभाग ने सहायता ७५०) रु० की दी है और वे मकान बनाकर वहां पर बसे हैं। ठीक उसी तरह का प्रावधान इसमें भी करना चाहिये। इसलिये उन्होंने इसके लिये दरख्वास्त दी है। पहले तो कलेक्टर ने दिलाया। वैसे तो वह जमीन नीलाम होती है और नीलाम में वे गरीब खरीद नहीं सकेंगे। अगर आप उन गरीबों को बसने के लिये जमीन नहीं देंगे तो वे नहीं बस सकेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जो अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने भेजा है उस पर....

श्री बरकतुल्ला खां : राज्य सरकार के पास अभी अरबन इम्प्रूवमेंट से कागज आये नहीं हैं।

श्री रावतराम : आप लो इन्कम ग्रुप में उनको शामिल कर देते हैं इससे उनको न्याय नहीं मिलता है। वहां पर म्युनिसिपैलिटी और अरबन इम्प्रूवमेंट न्याय नहीं करते। वे कहते हैं कि अल्प आय वालों को मिलते हैं और उनमें उनका नम्बर नहीं आता। आपने दूसरी चीजों में उनके लिए रिजर्वेशन कर रखा है तो प्लाट देने में भी रिजर्वेशन करने में आपको क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर तो दे चुके हैं कि अल्प आय वालों में वे भी आते हैं और १००) वाले भी आ जाते हैं।

श्री रावतराम : अल्प आय में सब आ जाते हैं और गरीब रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जेठमल !

श्यामपुरा की सामूहिक कृषि सहकारी समिति

२११ **श्री जेठमल बरबड़** (परबतसर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम श्यामपुरा, तहसील परबतसर में एक सामूहिक कृषि सहकारी समिति है ? यदि हां, तो इस सहकारी समिति का कब निर्माण किया गया और कितने इनके सदस्य हैं ? सदस्यों की सूची मय वल्दीयत सदन की मेज पर रखी जाय।

(२) क्या यह सही है कि सरपंच श्री नीलाराम, ग्राम पंचायत खोकर ने विभाग व पंचायत समिति परबतसर को शिकायत की थी कि इस सहकारी समिति में जो सदस्य हैं वह न तो श्यामपुरा के रहने वाले है और न पंचायत क्षेत्र के हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस सहकारी समिति को बीजघर बनाने के लिए पंचायत समिति, परबतसर में अनुदान भी दिया है ? यदि हां, तो समिति ने बीजघर बनाया या नहीं ?

सहकारी मन्त्री (**श्री परसराम मदेरणा**) : (१) यही सही नहीं है कि ग्राम श्यामपुरा तहसील परबतसर में एक सामूहिक सहकारी कृषि समिति है बल्कि श्यामपुरा संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि० के नाम से एक समिति है। इस समिति का रजिस्ट्रेशन दिनांक २५.६.६३ को हुआ इस समिति में १८ सदस्य हैं। सदस्यों की मय वल्दीयत के सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(२) जी हां।

(३) जी हां, समिति ने बीजघर बनाया है जो अभी अपूर्ण है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जेठमल बरबड़ : अध्यक्ष महोदय, जितने भी सदस्य हैं वे वहां के रहने वाले नहीं है और बाहर के रहने वाले हैं। ठाकुर साहब की पासवान है उसके पति का नाम नहीं लिख कर उसके पिता का नाम लिखा है। इसलिये सीलिंग से बचने के लिये यह किया है। सरकार ने पैसा दे दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जावे। जब इसकी जांच करने के लिये

Page No. 20

(श्री जेठमल-बरबड़)

गए तो ठाकुर साहब ने कहा कि सब सदस्य गांव गये है। क्या १४ के १४ सदस्य गांव गये हुए थे ? अध्यक्ष महोदय, इस सोसायटी की जांच होनी चाहिये, इससे साबित हो जायगा कि वैसे ही गलत नाम देकर सोसायटी बनाई गई है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, गोदाम बनाने के लिये एक पैटर्न है उस ही के अनुसार ३७५०) रु० ऋण और १२५०) रु० अनुदान दिया जाता है। जो पंचायत समिति द्वारा दिया जाता है। पंचायत समिति ने २ हजार रुपया ऋण दिया इसलिये यह गोदाम अभी तक अधूरा है। जहां तक दूसरी शिकायत है इस गांव के सरपंच मोलाराम ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटीज के पास दिनांक २५.६.६६ को की थी उसके अनुसार ए.आर. सी. एस, नागौर से रिपोर्ट चाही गई। ए. आर. सी. एस. ने प्रसार अधिकारी को मौके पर भेजा था, वह ३१.६.६६ को मौके पर गया तो मौके पर न शिकायत-कर्ता ही उपस्थित मिले और न समिति के दूसरे सदस्य ही मिले इसलिये जांच पूरी नहीं हो सकी है। इसकी जांच करवाई जायेगी और रिपोर्ट आने पर ही इस पर कुछ कहा जा सकता है।

श्री जेठमल बरबड़ : आप इसकी जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

प्रश्न संख्या २२२

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल !

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २२३

श्री हरिप्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा !

महंगाई भत्ता

२२४. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या मंहगाई भत्ता १०००) रु० पाने वाले राज्य कर्मचारियों को ४५) रु० प्रति माह मंजूर किया गया है ?

(२) इसका लाभ कितने कर्मचारियों को मिलेगा ?

(३) इससे सरकार का सालाना कितना-कितना खर्च बैठता है ?

(४) क्या यह सही है कि केवल १०००) रु० तक को या इससे कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को ही केन्द्रीय सरकार मंहगाई भत्ता देती है, इससे ऊपर पाने वालों को नहीं।

(५) अन्य और कौन से राज्य हैं जो कि १०००) रु० या उससे ऊपर तनख्वाह पाने वालों को मंहगाई भत्ता देते हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) जी हां, १०००) रु० से २२०५) रु० तक वेतन पाने वालों को ४५) रु० माहवार महगाई भत्ता स्वीकार किया गया है।

(श्री बालकृष्ण कौल)

२२०५) रु० से अधिक वेतन पाने वाले को २२५०) रु० व उनके वेतन का अन्तर मंहगाई भत्ता मिलता है।

(२) लगभग २००) रु० ऑफीसरों को जो १०००) रु० से अधिक लेकिन २२५०) रु० से कम वेतन पाते हैं, लाभ होगा।

(३) लगभग एक लाख आठ हजार रुपये सालाना।

(४) जी नहीं। १०००) रु० से २२५०) रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार १००) रु० माहवार मंहगाई भत्ता देती है।

२२५०) रु० से अधिक वेतन पालों को २३५०) रु० व उनके वेतन का अन्तर मंहगाई भत्ता मिलता है।

(५) मद्रास, केरल एवं महाराष्ट्र राज्य १०००) रु० या इससे अधिक वेतन पाने वालों को मंहगाई भत्ता देते हैं। समस्त राज्य सरकारें आज इन्डिया सर्विस के ऑफिसरों को भी मंहगाई भत्ता देती हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने तीन प्रान्तों के नाम लिए हैं, तीन प्रान्त ऐसे हैं जो १ हजार से ऊपर तनख्वाह पाने वालों को मंहगाई भत्ता देते हैं। मैं समझता हूं आर्थिक संकट के युग में १०००) रु० से ऊपर तनख्वाह पाने वालों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री बालकृष्ण कौल : आवश्यकता नहीं पड़ी जो माननीय सदस्यों ने बहुत दफा कहा कि मंहगाई बढ़ती जा रही है, उनको तनख्वाह को देखते हुए मंहगाई मिलनी चाहिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : १०००) रु० से ऊपर वेतन पाने वालों को सामान्यतया हिन्दुस्तान की १६ स्टेट्स में से ३ स्टेट्स ही ऐसी हैं जो मंहगाई भत्ता दे रही हैं। भारत सरकार ने रिसेन्टली १००) रुपया दिया है। छोटे कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने की बात कही जाती है सदन में, १०००) रु० से ऊपर वेतन पाने वालों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने की बात नहीं कही जाती।

प्रश्न संख्या २२५।

श्री अध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल !

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २२६

श्री रावतराम !

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २२७

श्री गंगासिंह !

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २२८

श्री राधाकृष्ण गोयल !

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या २२६

श्री हनुमानसिंह चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा !

पंचायत समिति झुंझुनू में विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण

२३०. **श्रीमती सुमित्रा** (झुंझुनू) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पिछले तीन सालों में झुंझुनू पंचायत समिति, जिला झुंझुनू में कितने विकास अधिकारी नियुक्त हुए ? व हर एक विकास अधिकारी कितने समय तक वहां रहा ?

(२) क्या यह सही है कि उनका स्थानान्तरण बहुत जल्दी जल्दी हुआ है ? यदि हां, तो इतने कम समय में वहां स्थानान्तरित किये जाने के क्या कारण हैं।

सामुदायिक विकास मंत्री (**श्री दामोदरलाल व्यास**) : (१) तीन विकास अधिकारी नियुक्त हुए। उनमें से एक लगभग १५ माह रहे व दूसरे लगभग १२ माह। तीसरे अभी तक कार्य कर रहे हैं।

(२) स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से ही किये गये हैं।

श्रीमती सुमित्रा : क्या यह सही है कि जितने तबादले हुए प्रधान ने लिख कर रवाये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आम तौर पर प्रधान से सलाह ली जाती है।

श्रीमती सुमित्रा : मैं सलाह की नहीं पूछती मैं स्पेसिफिकेली यह पूछना चाहती हूं कि क्या जितने विकास अधिकारियों के ट्रान्सफर किये हैं ये प्रधान ने लिख कर करवाये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : श्री जगदीश नारायण को बी० डी० ओ० से डिप्टी डवलपमेंट आफीसर बनाया गया, उनके स्थान पर श्री गुमानाराम को लगाया गया, अमृतलाल अभी काम कर रहे हैं। गुमानाराम का तबादला प्रशासनिक कारणों से हुआ।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि नियमानुसार तीन साल से पहले तबादला नहीं होना चाहिये, पर यहां तीन साल में तीन चार बार तबादले कर दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तीन चार बार नहीं किये, जैसा मैंने कहा एक को डिप्टी डवलपमेंट ऑफिसर बनाया गया इसलिये दूसरे का ट्रान्स्फर किया और गुमानाराम का प्रशासनिक कारणों से ट्रान्सफर किया गया, अमृतलाल इस समय वहां कार्य कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा : क्या प्रधान की तरफ से स्वयं लिखा गया ट्रान्स्फर के लिये, एक को बी. डी. ओ. बनाया पर दूसरे का तबादला तो प्रधान के लिखने पर किया न ?

Page No. 23

श्री दामोदरलाल व्यास : ६४ का मामला है, मुझे अभी मालूम नहीं है। माननीय सदस्या स्पेसिफिक इस बारे में पूछती तो मैं जानकारी कर के बताता।

प्रश्न संख्या २३१

श्री चन्द्रसिंह वर्मा।

श्री अध्यक्ष :

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३२

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३३

श्री जयनारायण खालोदिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३४

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३५

श्री जुझारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

नर्सिंग स्टाफ को विशेष वेतन

२३६. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि एम्पलाईज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के डाक्टरों को विशेष वेतन देने के लिये जो औचित्य है वही वहां के नर्सिंग स्टाफ पर लागू होते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि विशेष वेतन देने का निर्णय एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस कोर्पोरेशन ने १६५६ में ही ले लिया था ?

(३) क्या यह सही है कि यह विशेष वेतन राज्य की इस स्कीम में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ को अभी तक नहीं दिया गया है ?

(४) जब नर्सों को १-३-६५ से यह वेतन देना स्वीकार कर लिया गया तो नर्सिंग स्टाफ को वेतन क्यों नहीं मंजूर किया गया ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जीहाँ।

(४) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : कितने असें से सरकार के विचाराधीन चल रहा है ?

Page No. 24

श्री दामोदरलाल व्यास : वित्त विभाग को लिखा है, वहां से सहमति नहीं आई है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : १६५६ में स्वीकार कर लिया था कि विशेष वेतन इनको दिया जायगा, उसको ७ साल हो गये, फिर अभी तक नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वित्त विभाग से सहमति नहीं आई है इस लिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सवाल मेरा है, मुझे पूछने दीजिये।

यह सारा का सारा खर्चा कार्पोरेशन दे रही है। राजस्थान सरकार को कुछ नहीं देना पड़ता, फिर क्या कारण है कि उनको नहीं मिलता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्या ने पहले भी इस प्रकार का सवाल पूछा था उस वक्त भी आश्वासन दिया था और शायद वे महसूस करेंगी कि वित्त मन्त्री जी को मैं अपने लेवल पर कह रहा हूं, वित्त मन्त्री जी से बात करके जल्दी ही इसका निबटारा करना चाहता हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना की या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास: अभी अभी की है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आज तक उनसे कहा कि नहीं, फाइल को फुटबाल बना रखा है....

श्री अध्यक्ष : महिलाओं के साथ विशेष तौर पर।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : (श्री भैरोंसिंह के खड़े होने पर) आप इस का जवाब दे दें उसके बाद आप पूछ लेना।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : अब तो पूछने दो उनको।

श्री भैरोंसिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि आपके विभाग द्वारा फाइनेन्स डिपार्टमेंट को कब लिखा गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ५६ के बाद एक बार ही लिखा या कई बार लिखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दो तीन बार लिखा है, फाइनेन्स डिपार्टमेंट से लौट कर आया है पर तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ५६ में गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और आज ७ साल बाद मन्त्री महोदय कहते हैं कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट से सहमति नहीं आई है, आपने फाइनेन्स डिपार्टमेंट को मूव नहीं किया और अपनी बचत के लिये कह दिया कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट को लिखा।

Page No. 25

श्री दामोदरलाल व्यास : १९५९ मैंने नहीं कहा, माननीय सदस्या कहती हैं।

श्री भैरोंसिंह : अच्छी तरह देखिये प्रश्न के भाग (२) के उत्तर में आपने "जी हां" कहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करूं कॉर्पोरेशन ने सिफारिश की कि ३ केटेगरीज को अलाउन्स दिया जाय :

1. Special pay to Compounders.

2. Special Pay to midwives

3. Conveyance Allowance to Lady Health Visitors.

इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को १८ जनवरी, ६० को रेफर किया कि यह सेंक्शन कर दिया जाय। स्टेट गवर्नमेंट ने १९-७-६० को आइटम नं० ३ का सेंक्शन कर दिया। तो वित्त विभाग में उस समय से मामला चल रहा है। अब वित्त विभाग को लिखा है कि सेंक्शन करें और वित्त मन्त्री से भी कह दिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह उचित समझती है कि १९६० से १९६६ तक यह फाइल वित्त विभाग और आपके विभाग के बीच में मूव करती रहे और सरकार अन्तिम निर्णय न ले।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस बीच में एम्पलाइज स्टेट इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन भी आता है। क्वेरीज में समय लगता है।

श्री भैरोंसिंह : आप एम्पलाइज के वेतन के मामले में इतना क्रिमिनल नेग्लीजेन्स करें, सरकार के पार्ट पर उचित नहीं है। आप अपने वेतन या कोई भी बड़ा अधिकारी अपने वेतन के मामले में एक दिन भी चुप नहीं रहते और कर्मचारियों के वेतन के मामले में ६-६ साल लग जायें? आखिर बताएं तो सही कि यह कब तक हो जायगा?

वित्त मन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल) : मुझे अभी मालूम हुआ, थोड़े दिन हुए तो केस आया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : कितनी बार आया है आपके पास में?

श्री बालकृष्ण कौल : जो कम्पाऊंडर्स हैं ई० एस० आई० में, उनका केस थोड़े दिन पहले आया है। दो चार दिन में इसका फैसला हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : श्रीमती चूंडावत का असर एकदम मन्त्री पर पड़ गया।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

शराब के ठेकेदारों से वसूल की जाने वाली रकम

२३८. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) [**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 26

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(१) क्या शराब के ठेकेदारों से वसूल की जाने वाली कोई रकम जो उनके द्वारा तयशुदा गारन्टी के अनुसार देय होती थी राज्य सरकार ने राइट ग्राफ की है ?

(२) यदि ऐसी कोई रकम राइट ग्राफ की गई है, तो उसकी सम्पूर्ण सूची ठेकेदार का नाम, स्थान व रकम व वर्ष जिसकी रकम राइट ग्राफ की गई है, सदन की मेज-पर रखें।

(३) क्या उक्त निर्णय किये जाने के पूर्व कानून विभाग की सलाह भी ले ली गई थी ?

(४) जिन २ ठेकेदारों की रकम राइट ग्राफ की गई है, उसके लिए उन्होंने क्या कोई प्रतिवेदन राज्य सरकार को पेश किया था ?

(५) जिन २ ठेकेदारों की रकम राइट ग्राफ की गई है उनके साथ राज्य सरकार का क्या कोई इकरारनामा था ?

(६) राज्य सरकार ने उक्त रकम किस तारीख को राइट ग्राफ की और उक्त रकम को राइट ग्राफ करने के क्या आधार है ?

ग्राबकारी मन्त्री (श्री दामोदरलाल **व्यास)** : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) चूंकि कोई अपलेखन नहीं हुआ है यह प्रश्न नहीं उठता।

(४) कुछ ठेकेदारों से प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त हुए हैं, किन्तु अभी तक कोई रकम की छूट नहीं दी गई है।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार कितनी रकम ठेकेदारों में पेंडिंग है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फिगर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जानकारी अवेलेबल नहीं है, ठेकेदारों ने रिप्रजन्टेशन्स कर रखे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुल कितने हैं ?

श्री भैंरोंसिह (किशनपोल बाजार) : अमाऊंट कितना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई राइट ग्राफ नहीं हुआ है।

श्री भैंरोंसिह : बकाया कितना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मालूम नही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कुछ मामले पी० डी० आर० के तहत कलेक्टर्स को भेजे गए और बाद में वापस ले लिए गए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां की बात पूछ रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : इन्हीं ठेकेदारों की रकम की बात करता हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : १९६३-६४ के मामलों में जहां कुछ ठेकेदारों की रिप्रेजन्टेशन्स हैं, उनके लिए कमेटी बनी हुई है, कमेटी उन रिप्रेजन्टेशन्स को एग्जामिन कर रही है । उनमें से अगर किसी का केस पी० डी० आर० में भेजा गया हो और वापस मंगाया होगा यह देखने के लिए कि उनकी रिप्रेजन्टेशन्स वैलिड हैं या नहीं और जो ग्राउंड्स दिए हैं, खास तौर से उनका कहना है कि उन दिनों वेयर हाऊसिंग पर शराब नहीं मिलती थी और इश्यू नहीं की गई थी, इसलिए गारंटी की रकम में शार्टफाल हुआ है । एक कारण यह है । जो कमेटी बनी है उसमें कमिश्नर एक्साइज, कमिश्नर टैक्सेशन, एक्साइज सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी एक्साइज हैं, उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई ।

श्री भैरोंसिंह : ये जो केसेज पी० डी० आर० में गए थे, कमेटी की स्क्रीनिंग से पहले ही चले गए थे और बाद में कमेटी अपाइंट हुई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है, मुझे जानकारी नहीं है, मगर कमेटी पेंडिंग रिप्रेजन्टेशन्स को एग्जामिन करने के लिए बनाई गई थी, डिफाल्ट को देखने के लिए नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एक्साइज विभाग ने २३ लाख की रेमिशन की सिफारिश की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह के क्लेम्स कब से पेंडिंग थे, कमेटी कब बनाई गई और पी. डी. आर. के तहत अजमेर में सब पर नोटिस सर्व करके, वापस क्यों लिए गए ?

श्री अध्यक्ष : कमेटी को किस आधार पर बनाया है, उनके निर्णय करने के आधार क्या हैं ? या तो नियमों में आधार रखा होगा, क्या नियमों में कोई प्रावधान रखा गया है कि इस आधार पर माफ किया जाय और अगर है तो किन परिस्थितियों में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गारंटी सिस्टम जो शुरू हुआ उस साल के लिए, वित्तमंत्री, जो एक एक्साइज मंत्री थे, सदन के अंदर विस्तृत स्टेटमेंट दिया है कि गारंटी सिस्टम में जिनको अगर हार्डशिप हुई है तो क्या एक्शन लिया जायगा । अभी भी सरकार ने इस बात का कोई निर्णय नहीं लिया है गारंटी सिस्टम की रकम अगर शार्टफाल हुई है तो रेमिट किया जाय । ठेकेदारों ने अपनी रिप्रेजन्टेशन्स में बहुत कारण लिखे हैं । अगर यह सही है कि उन दिनों वेयरहाऊसिंग पर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

शराब मौजूद नहीं थी और उसके कारण गैरन्टी में शार्टफाल हुआ है, तो यह माकूल वजह है और इन कारणों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, तो वह जब अपनी रिपोर्ट दे देगी, सरकार फैसला करेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस कमेटी से यह भी कहा गया है कि जब तक उनके इन्डेंट्स नहीं देख लें तब तक वेरीफाई न करें कि शराब जितनी मात्रा में उनको मिलनी चाहिये थी, उतनी मिली है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप जो भी आधार मुकर्रर करें, करें। अगर शराब नहीं मिला है, इस प्रकार जो कारण हैं, उनको निश्चित करें कि किन किन परिस्थितियों में आप उनको छूट देना चाहते हैं बजाय इसके कि किसी केस में आप हां करें और किसी में ना करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपका व्यक्तिगत प्रश्न है ?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मेरा कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका कहना सही है कि जिन वेलिड ग्राउन्ड्स पर रेमिशन हो सकता है, उन ग्राउंड्स को कमेटी एग्जामिन करे और अगर वेलिड होंगे तो "सर्कम्स्टान्सेज बियांड दी कन्ट्रोल आफ दी कान्ट्रैक्टर्स" की वजह से गैरन्टी की रकम में शार्टफाल हुआ है...

श्री अध्यक्ष : यह तो एक कारण है और भी हो सकते हैं, उनको निर्धारित करें और फिर निर्णय करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल्कुल सही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह कौनसे साल का झगड़ा है जिसके अन्दर आपने कमेटी एपाइन्ट की है और यह बकाया गैरन्टी किन किन सालों की है, गैरन्टी पर आपने दिया, दूसरे कम्पीटीशन में आए। एक कारण आपने बताया कि इसकी वजह से शराब इश्यू नहीं हुई, आपने कमेटी बिठाई कि एग्जामिन करे। आपने पी. डी. आर. में केसिज देने के बाद क्यों वापिस लिए ? या तो नहीं देते। आप जब मन्त्री बने या बाद में अखबारों में आया कि ३५ लाख रुपये आपने माफ करवाए उसके बाद आपने इन्कार किया कि किसी को माफ नहीं किया और धीरे धीरे आपने वसूल नहीं किया और पी० डी० आर० में जाने के बाद एक ही रात में क्या मिरैकिल हुआ कि सुबह को सपना आया और कमेटी बना दी, उनका इन्डेन्ट था या नहीं, आज तक सरकार के कितने रुपए बकाया हैं और कितने रुपए वसूल करने से....

श्री दामोदरलाल व्यास : १९६२–६३ में जब गारंटी सिस्टम शुरु हुआ, उस साल शार्टफाल हुआ, १९६३–६४ के अन्दर शराब की सप्लाई में डेफीसिट थी, वेयर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हाऊसिंज में समय पर वाकई ठेकेदारों को शराब नहीं दी गई। ये ही दो साल हैं जिनकी रकम बकाया है, जिसके लिए डिस्प्यूट है। यह जो कहा गया है कि ३५ लाख मैंने छूट दे दिए, मैंने कोई छूट नहीं दी। कमेटी मुकर्रर की है। वह इस बात को ध्यान में रखकर मुकर्रर की है आया जो परिस्थितियां ठेकेदार बता रहे हैं, वे वास्तव में ऐसी थीं कि जो उनके बियान्ड कन्ट्रोल हों और रीजनबुल और वेलिड थीं कि जिन पर कोई रेमिशन दिया जा सकता है। जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो मैं इसका फैसला करने वाला नहीं हूं, कैबिनेट फैसला करेगी कि परिस्थितियां वेलिड हैं या नहीं। अभी तक कोई रेमिशन नहीं हुआ है न ही निश्चय हुआ है, केवल उनकी रिप्रेजन्टेशन्स कमेटी को भेज दी गई हैं।

(१२ मध्याह्न)

श्री भैरोंसिंह : क्या इस कमेटी को लिखित रुप से सरकार ने डाइरेक्शन दिये हैं ?

(विराम)

क्या फाइल पर नोटिंग के जरिये या अलग ऑर्डर से इस कमेटी को डाइरेक्शन दिये हैं कि अमुक २ केसेज जो हार्डशिप के बारे में कमेटी स्क्रीनिंग करके बाद में रिपोर्ट पेश करे।

श्री दामोदरलाल व्यास : कमेटी के अन्दर जो सदस्य हैं एक पहले के एक्साइज टेक्सेशन कमिश्नर थे वे हैं, दूसरे एडीशनल कमिश्नर हैं और एक्साइज के सेक्रेटरी चले आ रहे हैं, वे है। कैबिनेट में जो डिस्कशन्स हुए उनसे वे वाकिफ हैं। जितनी दिक्कतें गारन्टी सिस्टम में आयीं उनसे वे पूरी तरह से वाकिफ हैं। उनको डाइरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। उनके रिप्रेजेन्टेशन पर एक्जामिन करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि कहां तक उनके ग्राउन्ड्स वेलिड हैं।

श्री भैरोंसिंह : कमेटी को गवर्नमेंट के कोई डाइरेक्शन नहीं है और जैसा कि कहा कि कैबिनेट में भी जो एक्सपीरियेन्सड आदमी बैठे थे इसलिये डाइरेक्शन की आवश्यकता नहीं, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जब कमेटी अपोइन्ट करती है तो उनको चाहिये वह सीधी डाइरेक्शन उनको दे कि हार्डशिप के केसेज हैं उनको किस प्रकार से एक्जामिन करना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, ने जो प्रिन्सिपल्स बताये हैं उनको इनके अनुसार डाइरेक्शन दे दी जावेगी।

प्रश्न संख्या २२३

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

और कोई प्रश्न पूछना चाहें ?

डाक्टर द्वारा रिश्वत

२३२. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(१) क्या यह सही है ६ अगस्त, १९६६ को सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिकल जूरिस्ट डा० आर. के. शर्मा को डी. एस. पी. एन्टी करप्शन, जयपुर ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था ?

(२) क्या उपरोक्त डाक्टर का चालान अदालत में पेश कर दिया ?

(३) क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपरोक्त डाक्टर को मोअत्तिल किया गया या नहीं ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां । यह घटना दिनांक ८ अगस्त १९६६ की है ।

(२) जी नहीं । अभी तफतीश चल रही है ।

(३) इस डाक्टर को मोअत्तिल किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी किये मालूम होते हैं आर्डर्स । दो महीने तक तो हुए नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द ।

हरिजनों को भूमि

२१८. **श्री गोकुलचन्द** (कठूमर सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में गत वर्ष कितनी भूमि पंचायत समिति कठूमर क्षेत्र में व कितनी भूमि पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में अलॉट की गई ?

(२) दोनों पंचायत समितियों में हरिजनों को कितनी भूमि दी गई ?

(३) क्या लक्ष्मणगढ़तहसील में और भूमि अलॉट किये जाने की आशा है ?

राजस्व मंत्री (श्री कुम्भाराम आर्य) :
१. (क) पंचायत समिति कठूमर—कुछ नहीं ।

(ख) पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़-५५ बीघा १३ वि० ।

२. (क) पंचायत समिति कठूमर कुछ नहीं ।

(ख) पंचायत समिति लक्ष्मण गढ़ में हरिजन परिवारों को २० बीघा ७ बिस्वा

(३) जी नहीं क्योंकि तहसील लक्ष्मणगढ़ में इस समय भू-प्रबन्ध कार्य हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नैनवा तहसील में उम्मेद कृषि फार्म को भूमि

२२३. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की नैनवा तहसील में अधिक अन्य उपजाओ आन्दोलन के समय उम्मेद कृषि फार्म के नाम पर भूमि का अलाटमेन्ट किया था ?

Page No. 31

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(२) यदि हां, तो कुल कितना रकबा भूमि एलॉट किया गया था ?

(३) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस भूमि को सिंचाई हेतु एक बांध का निर्माण करवाया ? यदि हां, तो उसमें कितना खर्चा सरकार द्वारा किया गया था ?

(४) क्या यह सत्य है कि उक्त फार्म के मालिकों द्वारा इस पूरी भूमि को आबाद नहीं कर सकने के कारण व पड़त रह जाने पर लैन्ड युटिलाइजेशन एक्ट के अन्तर्गत उक्त भूमि को एस० डी० ओ० नैनवा व तहसील नैनवा ने अन्य काश्तकार जो उसी ग्राम के भूमिहीन थे, एलाट करदी व फार्म मालिकों की लीज को समाप्त कर दिया था ?

(५) क्या यह सही है कि अब पुनः श्री के० के० पारासर द्वारा उक्त भूमि जो कि किसानों को एलाट कर दी गई थी, श्री रामेश्वरदास दिल्ली वाले को ठेके पर देकर किसानों को बेदखल किया जा रहा है व पंजाबियों को ले आकर लड़ाई झगड़े किये है ?

(६) क्या यह सही है कि कलेक्टर बूंदी से किसानों ने इस बात की प्रार्थना की है कि वे एलाट शुदा भूमि पर ३ वर्ष से काश्त कर रहे हैं व बंजड़ भूमि को काबिलकाश्त बनाया है ? यदि हां, तो कलेक्टर बूंदी ने किसानों को क्या आश्वासन दिया है ।

उत्तर

(१) कुछ व्यक्ति को भूमि व्यक्तिगत तौर से दी जिन्होंने मिलकर फार्म का नामकरण "उम्मेद कृषि फार्म" कर लिया ।

(२) इन व्यक्तियों को १ हजार बीघा भूमि एलॉट की गई थी किन्तु उनको कब्जा ६६८ बीघा १२ बिस्वा का दिया गया था ।

(३) तहसील नैनवा में दूसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा तलवास और पाई वालापुरा नाम के बांधों का निर्माण कराया गया था जिन पर क्रमशः १ ३८,४७१ रुपये और ८,४३, ३१६ रुपये खर्च हुआ ।

(४) सन् १९६३ में २०४ बीघा १७ बिस्वा जमीन लैण्ड युटिलाईजेशन एक्ट के तहत अन्य भूमिहीनों को एलाट की थी चूंकि लैसीज ने भूमि को पड़त रखा । मूलतः लीज पर दी गई भूमि का आवंटन रद्द कर दिया गया था । इस बारे में लैसीज ने हाई कोर्ट में रिट दायर करके स्टे प्राप्त कर लिया है । मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है ।

(५) श्री के० के० पारासर ने कुछ आदमियों के विरुद्ध जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनको लैण्ड युटिलाईजेशन एक्ट के तहत भूमि अलाट की थी, एक दरख्वास्त दफा १०७ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही करने की पुलिस में पेश की थी । किन्तु उस पर शांति भंग होने का अन्देशा न होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई । अलॉटीज की भूमि पर किसी पंजाबी ने कब्जा नहीं किया पंजाबियों को श्री रामेश्वर दास लाये थे । और वे केवल उसी भूमि को काश्त कर

(श्री राजस्व मंत्री)

रहे हैं जिस पर श्री रामेश्वर दास बाहैसियत खातेदार स्वयं या पावर आफ अटार्नी से काबिज हैं। इस बारे में कोई झगड़ा नहीं हुआ है।

(६) इस विषय में किसानों की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला टोंक में राहत कार्यों के लिए धनराशि

२२८. **श्री राधाकृष्ण गोयल** : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अप्रेल, १९६६ से सितम्बर, १९६६ तक के लिए जिला टोंक के अभाव ग्रस्त गांवों में राहत कार्यों हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत हुई? एवं उस राशि में से अगस्त, १९६६ तक कितनी खर्च की जा चुकी है?

(२) क्या यह सही है कि सड़कों पर रोड़ी नहीं डालने से व निर्माण कार्य अधूरे रह जाने से वर्षा के कारण सड़कों पर मिट्टी नष्ट हो रही है?

उत्तर

(१) जिला टोंक के अभावग्रस्त ग्रामों में राहत कार्यों हेतु अप्रेल ६६ से सितम्बर ६६ तक के लिए १२,८२,५०० रु० स्वीकृत किये गए थे। उक्त धन राशि के पेटे १६,१४,४३८ रु० ३१-८-६६ तक खर्च हो चुका है।

(२) कुछ मील में रोड़ी डाली जा चुकी है, तथा कुछ हिस्से में बकाया रह गई है।

नावां में तहसील कार्यालय का भवन

२२९. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि नावां में तहसील कार्यालय का सरकारी भवन नहीं होने से सरकार को अत्यधिक किराया देना पड़ रहा है, एवं किराए का मकान अनुपयुक्त स्थान पर होने से जनता को पूर्ण असुविधा भी है?

(२) बीस वर्ष पुरानी तहसील होते हुए आज तक सरकारी भवन नहीं बनाने का क्या कारण है?

(३) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया?

उत्तर

(१) नावां तहसील कार्यालय किराए के भवन में है। श्री मोतीलाल घूत का मकान २६९) रुपये प्रति मास तहसील भवन हेतु लिया गया था, बाद में श्री श्यामसुन्दर घूत का मकान १५०) रु० प्रतिमास पर लिया गया। इस तरह ११९) रु० प्रतिमास की बचत हुई। नया भवन बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

(श्री राजस्व मंत्री)

(२) नागौर जिले में निम्न तहसीलों के कार्यालय भवन नहीं थे:-

१. नावां

२. जायल

२. डेगाना

४. लाडनूं

तीन जगह भवन बन चुके शेष एक नावां का बाकी रहा है। इसको प्राथमिकता इसलिए नहीं मिली कि अन्य स्थानों पर भवन की अधिक कठिनाई थी और यहां किराए पर भवन मिल रहा था।

(३) प्रश्न कर्ता विधायक का ही प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसका उत्तर दे ा गया था।

वैद्यों का वेतन

२३१. **श्री चंद्रसिंह वर्मा** (बिलाड़): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह है कि कोटा बूंदी क्षेत्र के आयुर्वेद विभाग के कुछ वैद्यों का अगस्त ५५ से अक्टूबर, ५५ का वेतन अभी तक देना बाकी है? यदि हां, तो क्यों? ऐसे वैद्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उन वैद्यों का वेतन अब तक न दिए जा सकने के लिए कौन उत्तरदायी है?

(३) क्या सरकार इन वैद्यों का वेतन अब शीघ्र दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(१) जी नहीं, केवल एक वैद्य श्री नन्दलाल का माह अगस्त तथा सितम्बर १९५५ का वेतन नहीं चुकाया जा सका।

(२) तत्कालीन निरीक्षक बूंदी उत्तरदायी है।

(३) वेतन शीघ्र दिलाने की व्यवस्था कर दी गई है। और १५ दिन में वेतन का भुगतान हो जावेगा।

हैंडलूम बुनकर समिति को जमीन

२३३. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि ब्रह्मपुरी हैंडलूम बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड ब्रह्मपुरी, जयपुर को २४ प्लॉटों की जमीन मिली थी। यदि हां, तो कब?

(२) क्या यह सही है कि उक्त जमीन मिलने के बाद दिनांक १४-१२-६२ को पत्र नं० ६८५७० से रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग ने नगरपालिका को लिखा कि उक्त जमीन हैंडलूम बुनकर सहकारी समिति को न दी जावे, क्योंकि उक्त समिति डिफंक्ट है। यदि हां, तो क्यों?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(३) क्या यह सही है कि उक्त पत्र लिखने से पहले न तो समिति के खिलाफ कोई कार्यवाही चल रही थी और न उसमें कोई डिफैक्ट था और सिर्फ रजिस्ट्रार ने अपनी मर्जी से ही उक्त पत्र लिखा था जिसकी प्रतिलिपि सहकारी विभाग में भी नहीं रखी गई।

(४) क्या यह सही है कि उक्त पत्र जिस समिति के फेवर में लिखा था उस समिति ने आज तक उक्त जमीन को लेने के लिए रजिस्ट्रार को नहीं लिखा था सिर्फ कुछ व्यक्ति जो रजिस्ट्रार साहब के प्लॉट की चुनाई कर रहे थे, उनको खुश करने के लिए ही लिखा गया था।

(५) क्या यह सही है कि उक्त पत्र लिखने के बाद आज तक उक्त समिति को डिफंक्ट करने की गरज से कई इन्क्वारियां कराई गईं और अब भी कार्यवाही की जा रही है जब कि समिति में कोई डिफेक्ट नहीं है।

(६) क्या यह सही है कि उक्त इन्क्वारियों से समिति को हजारों रुपयों की हानि हो रही है और इस सम्बन्ध में समिति ने विभाग को नोटिस दिया है। यदि हां तो उसका क्या जवाब दिया गया और समिति को होने वाली हानि को कौन पूरा करेगा ?

उत्तर

(१) जी हां वह सही है कि ब्रह्मपुरी हैण्डलूम बुनकर सहकारी समिति लि० जयपुर को २४ प्लॉटों की जमीन देने के आदेश नगर पालिका जयपुर द्वारा दिनांक १२-७-६२ को हुए थे और समिति को दिनांक ३१-८-६२ को उसकी पहली किश्त जमा कराने को लिखा गया था।

(२) जी हां, यह सही है कि दिनांक १४-१२-६२ को रजिस्ट्रार सहकारी विभाग ने नगर परिषद जयपुर को सुझाव दिया था कि उपरोक्त ब्रह्मपुरी हैण्डलूम बुनकर सहकारी समिति को जमीन देना उचित नहीं होगा क्योंकि वह समिति ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है, और यह समिति निष्क्रिय अवस्था में है तथा इसके हिसाब किताब ठीक तरह से नहीं रखे गए हैं।

(३) यह सही नहीं है कि समिति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चल रही थी और उसमें कोई खराबी नहीं थी। समिति के खिलाफ जांच चल रही थी और रजिस्ट्रार ने उक्त पत्र दूसरी समिति से आवेदन प्राप्त होने पर ही लिखा था। इसकी प्रतिलिपि कार्यालय में मौजूद है।

(४) यह सही है कि ब्रह्मपुरी कोली बुनकर सहकारी समिति लि० के सदस्यों के आवेदन पर रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग ने नगरपरिषद को लिखा था कि उक्त जमीन ब्रह्मपुरी हैण्डलूम बुनकर सहकारी समिति को अलोट करना उचित नहीं होगा और ब्रह्मपुरी की अन्य बुनकर सहकारी समिति को उक्त भूमि अलोट करने के लिए विचार किया जा सकता है। यह गलत है कि रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग के प्लॉट की चुनाई करने वाले कुछ व्यक्तियों को खुश करने के लिए उक्त पत्र लिखा था।

(श्री सहकारी मंत्री)

(५) रजिस्ट्रार द्वारा उनको पत्र लिखने (१४-१२-६२) से पहिले ही ब्रह्मपुरी हैण्डलूम बुन कर समिति के विरुद्ध शिकायत होने पर जांच शुरू हो चुकी थी जो जारी है।

(६) यह सही नहीं है कि इन्क्वायरी समिति को हजारों रुपयों की हानि हो रही है। समिति के चार सदस्यों की तरफ से उनके वकील ने तारीख २५-४-६४ को नोटिस धारा ८४ राजस्थान सहकारी समिति एक्ट १९५३ के तहत देकर यह चाहा था कि इन सदस्यों द्वारा समिति में जमा कराई गई रकम को समिति से वापिस लौटाया जावे। दो महीने में यदि जवाब न दिया जावे तो समिति के विरुद्ध दावा दायर किया जावेगा। इस पर समिति के मंत्री श्री रामपाल गोठवाल से उत्तर प्राप्त करने पर विदित हुआ कि जमा शुदा रकम सदस्यों को वापिस लौटा दी गई है जिसकी रसीद उनके पास है। चूंकि सहायक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट से यह जाहिर हुआ है कि इन चारों सदस्यों को दिनांक १८-२--६२ को कोई रकम वापिस दिया जाना समिति की रोकड़ बही में दरज नहीं है और रोकड़ के अन्य इन्द्राज भी संदेह प्रद हैं। इसलिये इस समिति के हिसाब का इन्वेस्टीगेटिंग आडिट करना आवश्यक समझ कर डिप्टी रजिस्ट्रार, जौन ने आदेश जारी कर दिये हैं जिसके पालन में आडिट किया जा रहा है।

नगरपालिका रामगंज मंडी को जमीन

२३५. **श्री जुझारसिंह (चेचट)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भूमि नं० ७६३।१४९२ रकबा ३९ बीघा १७ बिस्वा ग्राम खैराबाद व भूमि नं० १२ रकबा ३७ बीघा ६ बिस्वा ग्राम रोंसली (तहसील रामगंज मंडी) म्युनिसिपल बोर्ड रामगंज द्वारा सन् १९४४ में अलग-अलग काश्तकारों से खरीदी गई थी जिसे पिछले सेटलमेंट के वक्त बन्जड़ सरकारी दर्ज कर दिया गया है?

(२) क्या यह सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड रामगंज मंडी द्वारा सरकार को सेटलमेंट रेकार्ड में दुरुस्ती करने व उक्त जमीन को म्युनिसिपेलिटी के नाम ट्रान्सफर करने के लिए लिखा पढ़ी की हुई है? यदि हां, तो कब से?

(३) सरकार उक्त जमीन को कब तक म्युनिसिपल बोर्ड को दिला देगी?

उत्तर

(१) भूमि नम्बर ७६३।२४९२ न.कि नं० १४९२ रकबा ३९ बीघा १७ बिस्वा ग्राम खैराबाद व भूमि नम्बर १२ रकबा ३७ बीघा ६ बिस्वा ग्राम रोंसली तहसील रामगंज मंडी में बंजड़ दर्ज है। म्युनिसिपल बोर्ड रामगंज मंडी का कोई नोट भूमि खरीद आदि का इस पर दर्ज नहीं है।

(२) सरकार की जानकारी में ऐसी बात नहीं आई है।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

तालेड़ा पंचायत समिति द्वारा वितरित धनराशि का उपयोग

२४०. श्री **हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तालेड़ा पंचायत समिति के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु पंचायतों को धनराशि दी जाती रही है ?

(२) यदि हां, तो कौनसी पंचायत को किस निर्माण कार्य हेतु कितनी धनराशि गत ५ वर्ष में दी गई और उसमें से कितने का निर्माण कार्य पूरा हो चुका और कितने का बाकी है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रक्खें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची-विस्तृत होने से विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छात्रवृत्ति वितरण का कार्य

२४८. श्री **गोकुलचन्द** (कठूमर-सु0) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति वितरण करने के अधिकार कौन से सन में शिक्षा विभाग को ट्रान्सफर किये ?

(२) उपरोक्त अधिकार ट्रान्सफर करने के क्या कारण थे ?

(३) वर्तमान में जिला स्तर पर समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय, अलवर में कितना स्टाफ है और उनके पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं ?

(४) जिला स्तर पर शिक्षा निरीक्षक को कितना स्टाफ छात्रवृत्ति वितरण हेतु सरकार ने दिया है और छात्रवृत्ति देने के लिए कौन अधिकारी ओथराइज्ड हैं ?

उत्तर

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् १९६१ में पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति वितरित करने का कार्य शिक्षा विभाग को हस्तानान्तरित किया गया है।

(२) समस्त अन्य वर्गों को छात्रवृत्ति देने और शिक्षा सम्बन्धी सब कार्य शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। अतः यह उचित समझा गया कि पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति वितरित करने का कार्य भी उसी विभाग को सौंपा जावे।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) कालेजों में छात्रवृत्ति सम्बन्धित संस्था के आचार्य द्वारा दी जाती है। मिडिल तथा हायर सेकेण्डरी कक्षाओं पंचायत समिति क्षेत्र में तथा नगरपालिका क्षेत्र

Page No. 37

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

में पहली कक्षा से ११ वीं कक्षा तक छात्रवृत्तियां निरीक्षक शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है। इसके लिए निरीक्षक शिक्षा विभाग को कोई अतिरिक्त स्टाफ समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं दिया गया।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्वर्णकारों को जमीनें

३६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या पुनर्वास मंत्री जवाब देने की कृपा करेंगे :--

राज्य सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण कानून के बाद पुनर्वास के लिए कुल कितने स्वर्ण कारों को कहां-कहां जमीनें दी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण कानून बनने के पश्चात विस्थापित स्वर्णकारों को राजस्थान में लगभग १८०४ स्वर्णकारों को ६२०६ एकड़ १३ बिस्वा भूमि का आवंटन किया है, जिसकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिवार नियोजन

३७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

परिवार नियोजन के सिलसिले में राज्य में अब तक कुल कितने ऑपरेशन किये गये?

उत्तर

जुलाई सन् १९६६ तक ४७०१५ ऑपरेशन की सूचना प्राप्त हुई है।

चूरू जिले में पंचायतों के भवन

३८. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) चूरू जिले में कितनी पंचायतें ऐसी है जिनके अपने निजी भवन कार्यालय हेतु हैं, कितनी पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास किराये के कार्यालय हैं तथा ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिनके पास न तो निजी भवन है न किराये के कार्यालय हैं?

(२) क्या सरकार ऐसी पंचायतों के, जिनके पास कोई कार्यालय भवन नहीं हैं, कार्यालय स्थापित करवाने के लिये उचित कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ऐसा कर दिया जावेगा?

उत्तर

(१) ६२ पंचायतों के निजी भवन हैं व ७० पंचायतों के पास किराये पर

उत्तर

कार्यालय हैं तथा ७१ पंचायतें ऐसी हैं जिनके कार्यालय निजी अथवा किराये के भवनों में नहीं है।

(२) पंचायत द्वारा भवन निर्माण का आधा खर्चा स्वयं वहन करने पर आधे खर्चे का अनुदान पंचायत समिति अपने साधनों की सीमा में दे सकती है।

ग्रामीण औद्योगिक परियोजना

३६. **श्री मोहरसिंह** (चूरु): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चूरू और नागौर जिलों में ग्रामीण औद्योगिक परियोजना कौन-कौन सी तारीखों से प्रारम्भ की गई है? इस परियोजना का उद्देश्य क्या है?

(२) इस परियोजना का लाभ कौन-कौन उठा सकते हैं?

(३) इस परियोजना के लागू होने से अब तक लोगों को क्या क्या लाभ हुआ और उद्योग विभाग द्वारा इसके अन्तर्गत क्या क्या कार्य किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) चूरू व नागौर जिले में ग्रामीण औद्योगिक परियोजना तारीख फरवरी ६३ एवं १५-१२-६२ से चालू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य कुछ समिति क्षेत्र को लेकर उसका पूर्ण औद्योगिक विकास करना है उस क्षेत्र में पाये जाने वाले समस्त स्थानीय स्रोतों खनिज पदार्थों के मिलने वाले कच्चे माल को काम में लाकर लघु उद्योगों को पनपाना एवं लघु उद्योगों को प्रारंभ करके बेकारी को दूर करना है।

(२) लघु औद्योगिक कार्यों में लगे हुए सभी व्यक्ति एवं नये लघु उद्योग खोलने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है।

(३) इस परियोजना के लागू होने से उद्योगों को कच्चा माल एवं ऋण दिया जाता है। चूरू जिले में १९६३-६४ से १९६५-६६ तक ७८ इकाईयों को २१७०००) रु० ऋण के रूप में दिया गया है, इस रकम में ५२०००) रु० १५ औद्योगिक सहकारी समिति को दिया गया है। नागौर जिले में १९६३-६४ से १९६५-६६ तक १०२ इकाईयों को २७४३४०) रु० ऋण के रूप में दिया गया है। इनमें १६ औद्योगिक सहकारी समिति को ६५३५०) रु० जो ऋण के रूप में दिया गया है उक्त राशि में सम्मिलित है।

परियोजना विभाग द्वारा चूरू एवं लाडनू में ४०० तकुओं की ऊन कटाई की मिलों की स्थापना के लिये ५२००००) रु० की धनराशि राजस्थान लघु उद्योग निगम जयपुर को स्थानान्तर की जा चुकी है और ६०००००) रु० की धनराशि जल्दी स्थानान्तर करनी है। निगम ने कताई मशीनों के लिये कम्पनी को आदेश दे दिया है और भवन निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। इस प्लान्ट पर कुल २४०००००) रु० का खर्चा होना है और आशा है कि यह

(श्री उद्योग-मंत्री)

प्लान्ट निगम द्वारा जल्दी ही शुरू कर दिया जायेगा। इन प्लान्टों में शुरू होने से ऊनी सूत परियोजना की छोटी इकाईयों के काम में आने से बहुत व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। चूरू जिले में राज्य की तरफ से एक वुलन डाईंग एन्ड फिनिशिंग सेन्टर लगाने की योजना है। इस सेन्टर की मशीने खरीद ली गई हैं। विद्युत मिलने पर इस सेन्टर को शुरू कर दिया जायेगा।

अजमेर जिले के वैद्य

४०. **श्री पोहूमल ईसरदास** (अजमेर-पश्चिम) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

अजमेर जिले में कितने वैद्य रजिस्टर्ड हुए हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अजमेर जिले में अब तक २६१ वैद्य, ३१ हकीम तथा १ धात्री पंजियित की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

(१२.०४ म. प.)

सदन की मेज पर रखे गए पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

उद्योग मंत्री।

(१) राजस्थान वित्तीय निगम का प्रतिवेदन

श्री ममफूलसिंह (उप-मंत्री, उद्योग) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन अधिनियम, १९५१ की धारा ३७ के अन्तर्गत, राजस्थान वित्तीय निगम के ११ वे प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखता हूं।

(विराम)

(२) परिसीमन आज्ञा

श्री भीखाभाई (मंत्री, निर्वाचन विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिसीमन आयोग, अधिनियम, १९६२ की धारा १० (३) के अन्तर्गत, राजस्थान राज्य के लोक सभा व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन आज्ञा संख्या १ दिनांक २३ अप्रेल, १९६६ को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(विराम)

(३) उदयपुर विश्व-विद्यालय का प्रतिवेदन

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्व विद्यालय अधिनियम, ११६२ की धारा ३६ के अन्तर्गत, उदयपुर विश्वविद्यालय के प्रथम प्रतिवेदन, १९६२–६३ की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, ६३–६४ और ६४–६५ का प्रतिवेदन राज्य सरकार की ओर से पेश नहीं हुआ है।

Page No. 40

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी आया नहीं है और जो आया है वही रख रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने विश्व विद्यालय से बात चीत की है कि इतने देर से क्यों प्राप्त होते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले से एरियर में थे। पहले एक साल का छाप कर भेज दिया। दूसरे को तैयार कर रहे हैं।

(४) वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के प्रतिवेदन

श्री परसराम मदेरणा (सहकारिता मंत्री), अध्यक्ष महोदय, मैं वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, १९६२ की धारा ३१ के अन्तर्गत, राजस्थान वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, जयपुर के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :

(१) वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, १९६२-६३ तथा

(२) छठा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, १९६३-६४.

(१२-८ म. प.)

ध्यानाकर्षण तथा स्थगन-प्रस्तावों पर चर्चा करने विषयक व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : जैसा माननीय सदस्यों को विदित ही है कि आज मंत्रीमंडल के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उस पर विचार प्रारम्भ होगा। साथ ही जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कि सदन की निश्चित कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या अन्य प्रकार की चर्चायें सदन में होती हैं और उनमें काफी सदन का समय लग जाता है इसलिये मेरे इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव हैं जो मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख रखना चाहूंगा।

पहला तो यह है कि जब तक इस प्रस्ताव पर बहस चले तब तक कोई स्थगन प्रस्ताव के रूप में या अन्य किसी प्रस्ताव के रूप में माननीय सदस्य कोई चर्चा उठाने की कोशिश न करें क्योंकि उनको इस अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस करने में उन सारी बातों का उल्लेख करने का अवसर मिल रहा है, साथ ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा या अन्य प्रकार से उनको सदन में उठाने की कोशिश न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और ठीक ढंग से सदन में व्यवस्था कर सकेंगे।

इसी प्रकार आज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दो हैं, कल भी दो रखे गए हैं और आगे भी रखे जावेंगे। उन पर ठीक ढंग से विचार कर सकें। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस पहले कर लें और सदन समाप्त होने से पहले आध घन्टे या घन्टा भर के लिये उन पर बहस कर लें इसलिये इस पर बहस करने का जो माननीय सदस्यों का उद्देश्य है वह भी पूरा हो जावेगा और साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर बहस भी सुचारु रूप से चल सकेगी।

आज कई स्थगन प्रस्ताव आये हैं जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट की एक बैंच जयपुर में भी कायम करने के सम्बन्ध में है। पहले भी इस प्रकार के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आये हैं और माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न

(श्री)

को कई प्रकार से उठाने का प्रयत्न किया है। यदि माननीय सदस्य इस पर बहस करना चाहते हैं तो पहले कर लें या अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो उसमें कर लें। और भी यदि किसी प्रस्ताव पर बहस होगी तो होई कोर्ट की जयपुर बैंच के सम्बन्ध में होगी और अन्य किसी प्रस्ताव पर माननीय सदस्य बहस उठाने की कोशिश न करें जिससे आगे की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना था कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न पर पृथक रूप से विचार करने के लिये समय निर्धारित किया जा सकता है तो इसके औचित्य और अनौचित्य पर सदन में पूर्ण रूप से विचार किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को पहले ले लें तो अनुकम्पा होगी, फिर जैसी आपकी आज्ञा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहें तो इस पर अभी विचार कर लें या फिर कल अविश्वास प्रस्ताव पर आगे बहस शुरू हो उससे पहले कर लें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं तो अनुशासन का पालन करने वाला हूँ। यह निवेदन अवश्य है कि इसके लिये समय मिल जरूर जाना चाहिये। मेरा यह भी निवेदन है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और सब को इस पर अवसर मिलना चाहिये। इसको आज ही रख लें तो अच्छा है। जैसा मैंने निवेदन किया आज, अध्यक्ष महोदय, आपको एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिये भी जनता का जलूस आ रहा है। इसलिये जैसे आपके इस पर आदेश हों उनके अनुसार पालन किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा आज ही कर ली जाय।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, दूसरे जो स्थगन प्रस्ताव और कॉल अटेन्शन नोटिस हैं उनके बारे में भी, जैसे खण्डेला का है, उत्तर आने हैं सरकार से। तो सदन यह चाहेगा कि पांच बजे के बाद ऐसे मुद्दों को हर रोज एकाध घण्टे के लिये ले लिया जावे तो वे भी डिस्पोज ऑफ हो जावेंगे और सदन की कार्यवाही में भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी। अविश्वास प्रस्ताव की डिबेट भी समय पर पूरी हो जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : श्री ढाबरिया की बात, मैं समझता हूं, ठीक है। बाद के समय में इन पर चर्चा हो जाय तो अच्छे ढंग से और समय पर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस प्रारम्भ कर सकते हैं। इसलिये जैसा आप समय का उपयोग करना चाहें, करें, इसके बारे में मैंने निवेदन कर दिया है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस पर बहस आज हो, तो आज हो जाय, अभी हो जाय, या फिर कभी कल हो जाय। जैसा आप चाहें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : इसे तीस को रख लें।

Page No. 42

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में लाने के सम्बन्ध में एक गैर सरकारी प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इस सम्बन्ध में मैंने आपसे भी चर्चा की है और मैं चाहूंगा कि यह विषय गम्भीर है। एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में या अविश्वास प्रस्ताव के जरिये इस पर केवल विचार व्यक्त करने से काम नहीं बनेगा। विचार तो इस पर आज तक काफी प्रकट किये जा चुके हैं।

मेरा यह निवेदन है कि इसके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी का जो वक्तव्य आया और उस पर जिस तरीके से विभिन्न राजनैतिक दलों के लोगों की प्रतिक्रिया आई और इसमें लगभग जिस प्रकार सभी दलों के लोगों ने सहमति प्रकट की, जिस प्रकार से कल यहां एक सम्मेलन हुआ....

श्री अध्यक्ष : आप डिटेल में न जावें, क्या कहते हैं शीघ्रता से संक्षेप में निवेदन कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सदन की राय विधिवत् जाहिर की जावे, इस दृष्टि से एक प्रस्ताव रख कर उस पर राय व्यक्त की जाय यह अधिक उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में काफी चर्चा हुई है कार्य सलाहकार समिति में और अन्य तरीकों से भी। इसे संकल्प के रूप में लिया जावे तो काफी सदस्य इससे सहमत नहीं हैं। इसलिये सबसे विचार विमर्श के बाद भी इस नतीजे पर आये हैं कि इस प्रश्न को सदन में उठाना चाहें तो उठा सकते हैं समय ज्यादा न लेकर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम संकल्प के रूप में लाने से सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष : इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। सदन की व्यवस्था इसके बारे में हो चुकी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सदन के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और वह इतना····

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : गवर्नमेंट के क्या व्यूज हैं यह एक सेपरेट संकल्प के रूप में····

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट की राय का कोई संकल्प नहीं है। सरकार की चर्चा यहां लाना आवश्यक नहीं है। कोई पार्टी इसके लिये तैयार होती तो लाती। अब इस पर बहस आज चाहें तो आज कर लें, कल चाहें तो कल पर रख लें।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : बाद में रखा जावे फिर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अभी लन्च के बाद आपके चेम्बर में आकर हम इसके लिये टाइम निर्धारित कर लेंगे। इसमें सुविधा रहेगी।

इसके दो तीन विकल्प हो सकते हैं। एक तो तीस तारीख को इस पर चर्चा हो जाए। समयाभाव हो तो चार दिनों में से कोई दिन कर्टेल करके इस के लिये विशेष तौर पर रख लिया जावे। तो यह सब किस तरह से एडजस्ट किया जावे इसके लिये

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)

हम आपके कमरे में आकर विचार विमर्श करके निर्णय कर लेंगे। मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्य इससे सहमत हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का एक प्रश्न वाटर वर्क्स····

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं कि कोई दूसरा प्रश्न यहां न उठाया जावे, मुझे सूचित किये बगैर।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने व्यवस्था दी है।

श्री अध्यक्ष : नहीं दी है मैंने व्यवस्था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मसला है। इसमें सदस्यों द्वारा विचार प्रकट करने का प्रश्न नहीं है। कुछ न कुछ बोलना चाहते हैं, इसलिये बोलने का अवसर दिया जावे, यह भी प्रश्न नहीं है। पर इस पर काफी बोला गया है, मैं समझता हूं कि यह एक व्यापक प्रश्न है। इस पर सभी लोग सदन में बैठकर गम्भीरता से विचार कर लें। २६ तारीख को मुख्य मन्त्रीजी का उत्तर होने वाला है उससे पूर्व घन्टे-दो घन्टे का वाद विवाद हो सके और इसका परिणाम निकल सके उस दृष्टि से रेमिडियल मेजर निकाल सकें, लोगों को राहत मिल सके, तो ठीक होगा। केवल मात्र कहने के लिये कहने की इच्छा नहीं है। विचार तो हम कई बार प्रगट कर चुके हैं।

श्री दुर्गालाल बादृदार : वही मैंने, अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया। मैंने तो यही निवेदन किया कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चान्स पहले लेने की भावना से कोई मैं कहता होऊं ऐसी बात नही है।

मेरी स्वयं की भावना है कि यह गम्भीर प्रश्न है। सौभाग्य से मुख्य मन्त्री भी अभी आये हुए है। जनता सरकार से क्या अपेक्षा करती है, और न्याय की दृष्टि से भी क्या होना चाहिये यह बात उनके सामने इम्प्रेस करना चाहते है और इनसिस्ट करना चाहते हैं कि वे असलियत को समझें और इसका कोई रास्ता निकालने की कोई करें।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : सदन में जो अविश्वास का प्रस्ताव चलेगा उस पर तो पहले बहस शुरू कर दी जावे और फिर जितने भी स्थगन प्रस्ताव हैं बाद में उन पर बोल लें और सरकार जो उनका निराकरण करना चाहे कर दे। यह सब इसलिए होता है सरकार डाल डाल तो दूसरे पात पात। संघर्षमय नीति अपनाने के कारण संघर्ष करती है जनता। कोआपेरशन की भावना लेकर चलेंगे तो बहस भी अच्छी चलेगी और सभी प्रकार की बात हो जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो प्रदर्शन-कारियों के द्वारा ज्ञापन विधान सभा के सामने आपके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें भी यह मांग है कि सदन पूरी तरह से विचार करके अपना निर्णय दे और मेरा यह आपसे अनुरोध है, माननीय सतीशचन्द्र जी ने भी यही प्रस्ताव रखा है, और इस प्रश्न पर मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

निवेदन करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करके सरकार का जो निर्णय हो सदन में रक्खें।

इस प्रस्ताव पर विचार करें और विचार करते समय और पीछे और बीच में भी बातचीत के द्वारा इसका कोई हल निकल सकता है तो उसके लिये प्रयत्न करें।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसकी सामान्य चर्चा इस समय न करके समय निर्धारित कर लें और कब चर्चा की जावे इसका तय कर लें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस प्रश्न को एक राजनैतिक प्रश्न से नहीं जोड़ा जाय, सदन में इस तरह की भावना आपके द्वारा पैदा कर दी जावे। यह जनता का सवाल है, उसे सस्ता और सुलभ न्याय मिलने का सवाल है। इसमें राजनीति को बीच में नहीं आने देना चाहिए। आशा है मुख्यमंत्री भी ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि इस पर कोई सही निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जैसा कि जयपुर शहर में अभी और आस पास के क्षेत्रों में वातावरण बन रहा वह ऐसा है कि जो कभी भी सरकार को अपनी शक्ति थोड़ी इधर उधर लगाने को विवश कर सकता है। भावनात्मक एकता को भी बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि इसकी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए इस पर कोई अच्छा सा निर्णय जल्दी से लिया जाय तथा इस पर सभी प्रकार के विचारों को प्रकट करने का भी अवसर दिया जाय।

आज जो प्रदर्शनकारी जयपुर में हाई कोर्ट बेंच स्थापित करने के सम्बन्ध में जो मांग करने वाले हैं उनका एक प्रदर्शन यहां विधान सभा के सामने आ चुका है और थोड़े समय में ही आपकी आज्ञा से उनके कुछ प्रतिनिधि अपना एक ज्ञापन, अध्यक्ष महोदय, आपको प्रस्तुत करना चाहेंगे उसके लिए उनको सुविधा आप प्रदान करेंगे ही, ऐसी प्रार्थना है। साथ ही इसके सम्बन्ध में जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और अन्य माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं कल या परसों और जल्दी ही इस प्रकार का समय निर्धारित किया जाये कि सभी विचारों के व्यक्ति एक साथ बैठ कर इस सम्बन्ध में शीघ्र से शीघ्र कोई उचित निर्णय लें जिससे यह समस्या एक समस्या के रूप में न रहे और इस पर किसी प्रकार से राजनैतिक भावना को भी प्रोत्साहन नहीं मिल सके और राजनीति से दूर रह कर केवल न्याय और सुविधा की दृष्टि से इस पर विचार किया जाये। यही मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है और जो मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है वह भी इसी विचार से रखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने एक बात कही थी शुरू में और मुझे यह सूचना आई है कि कॉल अटेन्शन नोटिस प्रारम्भ में लिया जायेगा और इस धारणा के कारण महारावल साहब कुछ देरी से आने वाले हैं इसलिए पहले कॉल अटेन्शन नोटिस ले लिया जाये और फिर बाद में अविश्वास प्रस्ताव ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री रामानन्द अग्रवाल !

Page No. 45

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : Point of order, Sir. शनिवार के रोज जब कि खाद्य समस्या के ऊपर विचार हो रहा था और जिस समय मन्त्री महोदय जवाब देने के लिए उपस्थित हुए उस समय सदन में सिर्फ १५ सदस्य ही उपस्थित थे और उस समय मैंने यह प्रस्ताव भी चेयर के सामने रखा था कि क्योंकि कोरम नहीं है इसलिए कोरम के नहीं होने की हालत में सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाये। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि क्योंकि कोरम नहीं था इसलिए जो भी भाषण दिये गये हैं वह कार्यवाही से बाहर रखे जायें।

श्री अध्यक्ष : जो आपत्ति कोरम के बारे में माननीय सदस्य ने उठाई है वह आपत्ति अब नहीं लाई जा सकती। कोरम के सम्बन्ध में आपत्ति जिस समय कार्यवाही हो रही हो और जिसके सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य को आपत्ति हो तो उसी समय आपत्ति उठानी चाहिए और यह स्वीकार या अस्वीकार उसी समय की जा सकती थी और वह पाइन्ट ऑफ आर्डर के द्वारा किसी दूसरे समय उठाना उचित नहीं है इसलिए मैं आपका यह पाइन्ट आफ आर्डर अस्वीकार करता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उसी समय आपत्ति उठाई थी और कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! उस समय उठाई थी या नहीं लेकिन आज आप नहीं उठा सकते—मेरा यह निवेदन है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही चल सकती है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं चल सकती है और अगर चली है तो गलत चली है। इसका उसी समय डिवीजन करा लेना चाहिए था और अगर नहीं कराया तो अब कुछ नहीं हो सकता। नाथूराम जी तो कहेंगे कि १८ से ज्यादा थे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

(१२.२४ म० प०)

अलवर जिला किसान सभा द्वारा भूमि आवंटन हेतु सरकार को दिये गये ज्ञापन के सम्बन्ध के ध्यानाकर्षण

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री परसराम मदेरणा (पुनर्वास मन्त्री): अध्यक्ष महोदय इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि जो इसके जरिये ९ मुद्दे उठाये हैं इनमें से मुद्दा नम्बर ४, ५, ६ और ७ का सम्बन्ध पुनर्वास विभाग से है और मुझे इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में नोटिस नहीं मिल पाया था और मैंने माननीय सदस्य से भी बात की थी और आज मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि बिना फाइल को देखे इसका जवाब दे सकूं। उचित होगा कि इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को कल ले लें। क्योंकि इसका सम्बन्ध पुनर्वास विभाग, राजस्व विभाग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी है ताकि तीनों डिपार्टमेन्ट ही इस पर अपने डिपार्टमेन्ट का व्यू पाइन्ट रख सकें इसलिए इसको कल के लिए रखा जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मुझे आपत्ति नहीं है। मैं तो····

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि फिर समय नहीं मिलेगा। सरकार के पास जो भी जानकारी होगी वह उसके हिसाब से दे देगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा अलवर जिला किसान सभा की ओर से पिछली १५ मार्च १९६६ को इस विधान सभा के सम्मुख अलवर जिला के लगभग २५०० किसानों ने प्रदर्शन करके एक ज्ञापन मन्त्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया था उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस ज्ञापन के द्वारा १६ मांगें राज्य सरकार के सामने अलवर जिला के किसानों ने रखी थी। अध्यक्ष महोदय, इन १६ मांगों का अधिकतर ताल्लुक अलवर जिला के अन्दर कृषि की पैदावार को बढ़ाना था। जमीन का भूमिहीनों के अन्दर बटवारा करना था, सिंचाई के साधनों को बढ़ाना था और बिजली द्वारा सिंचाई साधनों की और सुविधायें किसानों को देकर पैदावार को बढ़ाना था। अध्यक्ष महोदय, पहली मांग भूमिहीन लोगों ने जो सरकार की पड़त जमीन पड़ी है या रूंधों के अन्दर जमीन पड़ी है ऐसी जंगलात विभाग में जमीन है जो कि काश्त योग्य समतल भूमि है और जिसके ऊपर अच्छी तरह से काश्त की जा सकती है उनको तोड़कर भूमिहीन किसानों के अन्दर बांटा जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से हमारे जिले में अभी कुछ सालों में बन्दोबस्त हुआ है और बंदोबस्त होकर उनमें इतनी अनियमिततायें छोड़ी गयी हैं कि जिससे किसानों में आपसी बहुत झगड़े खड़े हो गये हैं। एक आदमी की जमीन का इन्दराज दूसरे के नाम में हो गया है। एक आदमी की जमीन को सिवाय चक घोषित कर दिया गया है और कई जगह सिवाय चक जमीन को खुदकाश्त खातेदारी के अन्दर इन्दराज कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, अकेले अलवर तहसील में वहां के एस. डी. एम. के कहने के अनुसार लगभग २० हजार केसेज उत्पन्न होंगे। खुद कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट आई है और उन्होंने इस बात को कहा था कि किसी न किसी रूप में इस बन्दोबस्त को अस्सरे नो दुबारा से कराया जाए सरसरी तौर से तभी किसान लोग इस मुकदमेबाजी से बच सकते हैं वर्ना एक एक आदमी को रेगुलर सूट करने पड़े तो एक एक किसान को १००-१०० रुपये भी खर्च उठाना पड़ा तो यह खर्चा करोड़ों रुपयों के ऊपर पहुँच जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से उस जिले में पुरुषार्थी किसानों की बहुत बड़ी आबादी रहती है। सरकार ने मई, १९६१ में उन पुरुषार्थी किसानों की मांगों के सम्बन्ध में एक फैसला किया था और उस फैसले में राज्य सरकार को ओर से मुख्य मन्त्री जी, राजस्व मन्त्रीजी, रीहेबीलिटेशन मन्त्री जी और सम्बन्धित विभागीय सचिव उसमें शामिल हुए थे। अफसोस की बात यह है कि उसमें जो निर्णय लिया गया जमीन की कीमतों के पेमेन्ट के बारे में, जो यह तय किया गया कि जो भी रिफ्यूजीज बसे हैं उनसे जमीन की कीमत कुल १ करोड़ रुपये ली जायेगी और उसमें से मुआवजा माइनस किया जायेगा जो कि सरकार बिस्वेदारी उन्मूलन के तहत बिस्वेदारों को देना पड़ता है। वह एक करोड़ रुपये में से कम कर दिया जायेगा। इस तरीके से वह कीमत करीब १२० रुपया स्टेन्डर्ड

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एकड़ से भी कम आती थी। लेकिन राज्य सरकार उस निर्णय की, खुद के द्वारा किया गया निर्णय जो था, उसकी अवहेलना करके १५० रुपया फी स्टेन्डर्ड एकड़ रुपया वसूल कर रही है। उस पर भी उसी दिन से लगान उनसे ब्याज का वसूल किया जा रहा है जो कि जमीन की कीमत के बराबर हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, उस एग्रीमेन्ट में जो मई १९६१ में हुआ था उसके अनुसार रिफ्यूजीज से एक किश्त जमा कराने के बाद फौरन खातेदारी हकूक देने की बात तय हुई थी। उनसे सवाई जमा वसूल नहीं की जायेगी। किश्त जमा करने ही यह भी तय हुआ था लेकिन इन सब की अवहेलना करते हुए उन लोगों से सवाई किश्त जमा कराने के बाद भी वसूली हुई और उन लोगों को खातेदारी हकूक अभी तक नहीं मिले। राज्य सरकार ने जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो रूल्स बनाये हैं इस एग्रीमेंट को कार्यान्वित करने के लिए, वे रूल्स उस फसले के अनुरूप नहीं हैं, जो २३ मई, १९६१ को राज्य सरकार और पुरुषार्थी किसानों के बीच में हुए थे।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से उस मांग पत्र में यह मांग भी थी कि अलवर जिले में जो अनअथोराईज्ड कल्टीवेशन के कैसेज, हजारों कैसेज हैं जिनका जिक्र इस सदन में भी बारबार आया है और राज्य सरकार ने केवल अलवर, भरतपुर और सीकर, इन तीन जिलों का सैटलमेंट न हो सकने के कारण इन रूल्स से वंचित किया हुआ है। जो राजस्थान में दूसरे जिलों में लागू करके अनअथोराइज्ड कल्टीवेशन को रेगुलराइज किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर मैंने जब ध्यान आकर्षित किया था माननीय राजस्व मंत्री जी का कि आप ख्याल कीजिए कि अलवर जिले को, सारे को, छोड़ दीजिए और अकेले ढेलावास में ही इस अनअथोराइज्ड कल्टीवेशन की वजह से २२,०००) रुपया पेनल्टी का किसानों पर लगा है और अगर सारे जिलों की हालत को लेंगे तो वह लाखों के अन्दर यह रुपया पहुँचेगा। ये सब किसान आम तौर पर इस किस्म के भूमिहीन किसान हैं जिनके पास थोड़ी २ जमीनें हैं। अगर उनको अलाटमेंट हो गया तो जमीनों का कब्जा नहीं मिला और कब्जा मिलने की उम्मीद में जमीनों पर काश्त करते रहे। और फिर, अध्यक्ष महोदय, भूखा मरता क्या नहीं करता। जमीन उनके पास न रही तो थोड़ी बहुत जमीन को ऐसे वैसे ही काश्त कर दिया। किसान सभा यह नहीं चाहती कि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, उन लोगों की अनअथोराइज्ड कल्टीवेशन को भी लीगलाइज कर दिया जाय लेकिन जिन लोगों की इकोनोमिक होल्डिंग भी नहीं है, जिनके पास १६ बीघा जमीन भी नहीं है, उन लोगों की इस तरह की काश्त को रेगुलराइज किया जाय, यह किसान सभा की मांग थी।

इन मांगों में एक मांग यह थी, अध्यक्ष महोदय, की विजयसागर बांध की मोरियों को खोला जाय। जिसके सम्बन्ध में एक प्रश्न भी उपस्थित हुआ था और यह कहा गया था कि विजयसागर बांध को महाराजा अलवर पर्सनल प्रोपर्टी क्लेम किया करते थे। अब कानून पास हो जाने के बाद, रूलर्स एण्ड ओनर्स रिजम्पशन ऑफ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एस्टेट्स एक्ट पास हो जाने के बाद अब वह सारा बांध सरकार के अन्दर वेस्ट कर चुका है। अलवर महाराज ने उसके खिलाफ कोई रिट दायर नहीं की है और राजस्थान सरकार को अब उसमें कोई खास किस्म की बाधा नहीं है। वह उसकी मोरियां खोल सकती है और ऐसा करने में पहले भी कोई बाधा नहीं थी और आज तो कुछ भी बाधा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस बांध की मोरियों को खोलने से बीस हजार मन गेहूँ की पैदावार बढ़ सकती है। ५०० बीघा जमीन जो कि प्राइवेट प्रोपर्टी है इसमें गर्क रही है, एक हजार बीघा जमीन बेरन है जिस पर काश्त की जा सकती है और इस प्रकार बीस हजार मन गेहूँ की पैदावार यहां पर हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर बीस हजार मन गेहूँ एक तालाब की मोरियां खोलने से हो सकता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैंने इस बारे में व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर उचित कार्यवाही करेंगे। गांव के लोगों ने भी प्रतिवेदन दिया और उनको भी आश्वासन दिए गए। दो साल निकल चुके हैं उन बातों को, आप ख्याल कीजिए, दो साल पहले अगर इन मोरियों को खोल देते तो चालीस हजार मन गेहूं का हमें लोस नहीं होता। गांव वाले यह भी कहते हैं कि आप कन्ट्रोल रेट पर हमसे जो भी ज्यादा पैदावार हो उसका उसमें से ५० प्रतिशत देने को तैयार हैं। फिर भी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित मत जाहिर नहीं किया। माननीय रामप्रसाद जी लड्ढा ने जो उत्तर दिया था पिछले मौके पर वह यह था कि हम महाराजा से बातचीत करेंगे, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अब जब कि इसका एक्ट पास हो चुका है, कानून आपके हाथ में है और महाराजा ने उसके खिलाफ कोई रिट दायर नहीं की है, कोई स्टे आर्डर नहीं है, तो इस जन हित के कार्य में, आज जब कि कानून बन चुका है और अगर कानून भी नहीं होता तो भी आपको लैंड एक्वीजिशन एक्ट के तहत एक्वायर करना चाहिए था। लेकिन अब तो कानून भी फोर्स में आ चुका है तो भी आप कुछ न करें और "आ बैल मुझे मार" वाली कहावत करके महाराजा को बीच में लाकर उनकी स्टेट की तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, एक मांग यह थी किसान सभा की।

इसके अलावा एक मांग उसकी थी सिरिस्का गैम सैंक्चुअरी के सम्बन्ध में। जो जयपुर से अलवर जाते हैं तो रास्ते में यह सिरिस्का गैम सैंक्चुअरी आती है। इसके इर्द गिर्द ५२ गांव बीच में पड़ते हैं, उस सारे एरिया को गैम सैंक्चुअरी किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर गैम सैंक्चुरी ऐसी जगह निर्जन स्थान में हो, जहां किसी प्रकार की आबादी न हो, जहां किसी प्रकार की पैदावार न होती हो तो उसमें कोई एतराज नहीं हो सकता, लेकिन यह गैम सैंक्चुरी ऐसी जगह पर है जहां पर ५२ गांव बसे हुए हैं। इस गैम सैंक्चुरी के इर्द गिर्द उनकी प्राइवेट लैंड्स हैं जहां पर काश्त होती है और आज वे ऐसे बदकिस्मत लोग हैं कि वहां हमारी सरकार किसानों की जान की रक्षा की भी परवाह नहीं करती। उनकी जान की और उनकी फसलों की रक्षा करने की परवाह नहीं करती लेकिन भालू जिन्दा रहे इसकी परवाह करती है, शेर जिन्दा रहे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसकी परवाह करती है, चीता जिन्दा रहे इसकी परवाह करती है। कोई बाड़ नहीं लगाई गई है, कई तार नहीं लगा रखे हैं और जंगली जानवरों ने किसानों को मौत के घाट पर उतारा है। कितने ही किसानों को मौत के घाट पर उतार दिया है लेकिन किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया है। वन विभाग के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है। आपने उनको इस प्रकार से क्रिमिनिल प्रोसीजर कोड से वरी करके निर्बन्ध रूप से खुला छोड़ रखा है। लेकिन जो इंसान की जिन्दगी है और जिसको इतना बड़ा खतरा है और अगर कोई किसान अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फसल के प्रोटेक्शन के लिए बन्दूक चला देता है तो संकट उपस्थित हो जाता है और इस प्रकार के सैकड़ों मुकदमे किसानों पर चल रहे हैं। अगर किसान अपनी रक्षा के लिए खेत में खड़ा होकर बन्दूक चलाता है तो वन विभाग कहता है कि यह शिकार खेल रहे थे, यह हमारी बाउण्ड्री के अन्दर शिकार खेल रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, आजादी के आन्दोलन से पहले भी इस राजस्थान के अन्दर प्रजा मण्डल ने जिसमें आपने और हमने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी हिस्सा लिया, उस वक्त, शेरों से जनता को बचाओ, यह आन्दोलन चलाया था और आज राजस्थान बनने के बाद, आजाद होने के बाद इस सरकार को उनकी जान की कोई चिन्ता नहीं है। शेरों को सुरक्षा दी जा रही है और इंसानी जिन्दगी को खतरे में डाला जा रहा है, इंसान की जिन्दगी की सुरक्षा का कोई सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हजारों बीघा जमीन जो कल्टीवेबल है, अगर इस सेंक्चुरी को हटा कर आप पहाड़ पर, निर्जन स्थान पर ले जावें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और इस प्रकार यदि उसे हटा कर दिया जाय तो यह हजारों बीघा जमीन काश्त हो सकती है और लोगों के जान माल का बचाव हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, उन मांगों में एक मांग यह भी थी कि हमारे जिले में हाईडल पावर आज तक नहीं गई है। हमारे जिले को हाइडल पावर तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देने का निर्णय था। हमारे जिले ने इस बात की कल्पना की थी कि ५४–५५ में हमारे जिले को सबसे पहले भाखरा डैम से आने वाली बिजली में अलवर जिले को सबसे पहले बिजली मिल सकती थी वहां पर राणा प्रतापसागर की बिजली को मंजूर किया। हमारे जिले के प्रतिनिधियों ने अपनी फय्याज-दिली दिखा कर यह कहा कि हम गांधीसागर से जो बिजली आएगी उसको ले लेंगे। हमको चम्बल से कनेक्ट कर देना। उसका नतीजा यह हुआ, अध्यक्ष महोदय, कि गांधीसागर की बिजली सन् १९६३ में आ गई लेकिन हमारा जिला उससे भी वंचित रह गया और अब तक हमारे यहां १३२ के.वी. की लाइन जो जयपुर से राजगढ़ और वहां से भरतपुर, को जोड़ने का प्रावधान रखा गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली देने का निश्चय किया गया था और यहां पर ही माननीय भूतपूर्व बिजली मंत्री ने इसी सदन में यह सोलम एश्योरेंस दिया था कि कोई भी लाइन इस हाईटेंशन लाइन २२० की एमर्जेंसी लाइन लगाई जा रही है, इसके बाद कोई

Page No. 50

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भी लाइन अगर डाली जाएगी तो वह अलवर जयपुर से कनेक्टिंग लाइन होगी। अध्यक्ष महोदय, वे तमाम वायदे भुला दिए गए हैं, अभी भी वहां पर हाइडल पावर ले जाने का कोई सवाल नहीं है और जिसकी वजह से हमारे खेत वहां पर सूख रहे हैं विद्युत के अभाव में। और जो टोटल मालगुजारी मुकर्रर हुई थी उसको भी सरकार ने कंसीडर नहीं किया। तो किसान सभा की यह मांग भी थी।

एक और महत्वपूर्ण मांग थी मेवों के सम्बन्ध में, जो कि हमारे यहां पर माइनर कम्यूनिटी के लोग हैं इन लोगों के साथ ऐसा अन्याय हुआ कि जो लोग वहां से उखड़ कर गये और फिर वहीं पर वापिस आकर बसाए गए १९४७ के झगड़ों में, गांधीजी के कहने पर वापिस उन लोगों को बसाया गया, उन लोगों को वे जमीनें जो वहां पर मौजूद हैं, उन लोगों को वह छोड़ी हुई जमीनें आज तक नहीं मिली हैं।

अगर पुरुषार्थियों को उसमें बसा दिया गया है तो नहीं मिलनी चाहिए, इस बात से मैं भी सहमत हूं, क्योंकि बारबार उखाड़ना और बार बार बसाना इस बात से हम भी सहमत नहीं हैं और हम भी इस बात की जिद्द नहीं करते। लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि उनको आल्टर्नेटिव जमीन दी जाय। उनको आल्टर्नेटिव हवेली दी जाय। अगर उनको उनमें नहीं बसा सकते हों तो उसका मुआवजा दिया जाय। उसको एववायर्ड प्रापर्टी मानी जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, अजीब बात है कि उनको यहां बसा रहे हैं और किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण उनको उनकी जमीनें और मकान नहीं मिल सकते हैं तो उस बात को दरगुजर किया जा सकता है पीस एण्ड ट्रैन्क्वेलिटी के दृष्टिकोण से, हारमोनियस रिलेशन्स के दृष्टिकोण से, लेकिन उनके हकूक को खतम कर दिया जाय, उनको नहीं माना जाय और उनको जमीन के बदले जमीन नहीं मिले, शिकमी जमीन भी नहीं मिले। किन्हीं जगहों पर गरीब लोगों ने सरकारी जमीनों पर छप्पर बना लिये हैं जिनकी कि पक्की हवेलियां थीं तो कस्टोडियन उनकी जमीनों की कीमत मांगता है और उनकी हवेलियों की कीमत देने को तैयार नहीं। इस तरह का डिस्क्रीमिनेशन अगर हुआ तो किस तरह से माइनोरिटीज सेटिस्फाइड फील कर सकती हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर मुसलमानों के साथ न्याय हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की दलील दी जाती है सरकार के द्वारा कि मुसलमानों को बदले की जमीन में कस्टोडियन की जमीन नहीं दे सकते, लेकिन हमारा यह निवेदन है कि उनकी जमीन थी। वे यहां के रहने वाले हैं। उनको जमीन वापिस मिलनी चाहिए। किसी वजह से अगर उनको जमीन नहीं मिल सकती है तो सरकार का राजस्व विभाग अपनी जमीन दे, पड़त जमीन दे, रूंध की जमीन दे, लेकिन उन मेवों को जमीन दी जानी चाहिए। उनकी जमीन उनको मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह मांग लेकर हम यहां पर आये थे और माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय राजस्व मंत्रीजी और माननीय रिहेबिलिटेशन मंत्रीजी ने सब ने मिलकर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हमारी बात सुनी थी। उन्होंने तमाम बातों को नही माना लेकिन किन्हीं बातों को मान लिया था। उन्होंने इस बात से सहमति प्रकट की थी कि अलवर जिले के अन्दर लैण्ड पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। रूंध को तोड़कर उसकी जमीन किसानों को मिलनी चाहिए। इस बात पर काफी हद तक वे सहमति प्रकट करते हैं और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इसके बारे में निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि सीरियावस रूंध में ७५० बीघा जमीन और ११३ बीघा शाहपुरा रूंध तोड़ने के अलावा अलवर जिले में जहां ५० हजार बीघा रूंध के अन्दर है जहां कि काश्त हो सकती है उनको नहीं तोड़ा है। उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज करूं कि आखिर तंग आकर किसान सभा ने इस पिछली जुलाई के महीने में सिरदा रूंध और दूनीनाथ रूंध, इन दो रूंधों पर सत्याग्रह आन्दोलन करना पड़ा उनको तोड़ने के लिए। अध्यक्ष महोदय, सिरदा लक्ष्मणगढ़ में रूंध है कि जिसमें सरकार का कृषि फार्म है ३०० बीघे का। उस रूंध में समतल जमीन है। इस प्रकार की जमीन अगर आज उनको दे दी जाय तो उस पर आसानी से काश्त हो सकती है। वहां पर न जंगल हैं और न कोई पेड़ हैं। लेकिन सरकार जिद्द करके ४५० एकड़ जमीन को नहीं तोड़ने दे रही है। उसके लिए किसान जेलों के अन्दर गये तो उनमें ज्यादातर हरिजन थे। उसके बाद भी सरकार ने वायदा किया था, मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया था कि दो महीने के अन्दर-अन्दर इसका निर्णय कर देंगे। आज अलवर जिले के किसान, भूमिहीन किसान उस निर्णय के इन्तजार में हैं। दो महीने आज २६ तारीख को पूरे हो गये, अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी हम इन्तजार में हैं कि सरकार इसके बारे में कोई अपना निर्णय दे। मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। जहां तक बन्दोबस्त का सवाल है राजस्व मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। इसके बारे में शिकायतें आपको कांग्रेस की तरफ से भी मिली हुई हैं। रामगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने इस सवाल को बार-बार उठाया है। अलवर जिले की जिला कांग्रेस कमेटी ने इस सवाल को उठाया है, सब लोगों ने उठाया है तो इसका बन्दोबस्त करेंगे, कोई हल निकालेंगे यह आश्वासन दिया है, लेकिन सरकार को उसकी परवाह नहीं।

अध्यक्ष महोदय, रिफ्यूजीज के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि उनसे सवाई जमा वसूल की गई तो मैं देखूंगा और अगर वाकई में ऐसा हुआ होगा तो हम वापिस दिलायेंगे। उन्होंने कहा था कि खातेदारी हकूक की पहली किश्त जमा करते ही उनको खातेदारी हकूक मिलना चाहिए उसके लिए हम देखेंगे कि किस तरह से उनको हक मिल सकते हैं और खातेदारों को जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं वे पुरुषार्थी किसानों को मिल सके इसके बारे में उन्होंने कहा था। उन्होंने विजयसागर बांध की मोहरी खोलने के बारे में भी कहा था। इस तरह से मेरे जो ८ मुद्दे हैं उन पर इस तरह से किसी न किसी रूप से सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था। शीघ्र कदम उठाने का आपने आश्वासन दिया था, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जी से मिले ६ महीने गुजर गये, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से सीरावास रूंध की ७५० बीघा तोड़ने के अलावा और कोई कदम नही उठाया गया है किसी सवाल के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले के अन्दर पैदावार नहीं बढ़ने का कारण यह तमाम समस्याएं हैं। पिछले १८ वर्षों से अनिश्चित रहने के कारण सारी समस्याएं उलझी पड़ी हुई हैं।

हमारे यहां २००३ से पहले के काश्तकार हैं जिनको खातेदारी राइट्स मिल जाने चाहिये दफा १५ टेनेन्सी एक्ट के तहत। जो हिन्दू जमीन पर काश्तकार थे वे खातेदार हैं और जो मुसलमानों की जमीन के काश्तकार थे वे खातेदार नहीं हैं। यह कैसा सेक्यूलेरिज्म है? यह कैसा कानून है? इसके लिए हमने मांग की थी कि इसके लिए यह हक दिया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों की तरफ दुबारा राजस्व मंत्री जी, रिहेबिलिटेशन मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और मैं यह उम्मीद करता हूं कि उन्होंने इस पर विचार किया होगा और अपने निर्णय से इस सदन को अवगत करायेंगे।

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इसके सम्बन्ध में जो ब्योरे-वार जानकारी है, प्रस्तुत करता हूं।

संयुक्त संघर्ष समिति के लिए किसान सभा, अलवर ने अपना प्रतिवेदन दिनांक १५-६-५६ को जो मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित किया गया है उसमें पुनर्वास विभाग की मांगों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर यह स्मरण कराया है कि राजस्थान सरकार ने पुरुषार्थी किसानों से २५ मई, १९६१ को एक लिखित समझौता किया था जिसके अनुसार उन्हें क्रियान्वित करने हेतु सरकार निम्न कदम उठायेः-

(अ) समझौते के बाद में सवाई जमा नहीं ली जाय।

(आ) जमीन की कीमत ८० रुपया प्रति स्टेंडर्ड एकड़ ली जाय।

(इ) ब्याज की वसूली बन्द की जाय।

(ई) जमीन की कीमत एक किश्त जमा कराने वाले को खातेदारी हुकूक दिये जावें।

(उ) जब तक क्लेमों का फैसला न हो तब तक जमीन की कीमत, कर्जा और ब्याज की वसूली बन्द की जावे।

(ऊ) पुरुषार्थियों से कच्चे मकानों का किराया लेना बन्द किया जाये। संयोजक संघर्ष समिति ने अपने प्रतिवेदन में जिस लिखित समझौते का उल्लेख किया है वह इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक बैठक मुख्य मंत्री महोदय के कमरे में दिनांक २५-५-६१ को अलवर व भरतपुर के पुरुषार्थी व मेव मुसलमानों से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु हुई थी। जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार भारत सरकार को अपनी सिफारिशों के साथ निम्न मुद्दे उनकी स्वीकृति हेतु भेजेगीः—

(श्री कुम्भाराम आर्य)

(१) गैर दावेदार विस्थापित व्यक्तियों की जमीन की कीमत जो १ करोड़ रुपया आंकी गई है उसमें से राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट १६५६ के तहत राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मुआवजा भी इस रकम से कम किया जाना चाहिए।

(२) गैरदावेदार विस्थापित व्यक्तियों की जमीन की क़ीमत केन्द्रीय सरकार ने ४-५ करोड़ के बजाय १ करोड़ रूपया लेने स्वीकार किया है। अतः इसी अनुपात में विस्थापित किसानों से जमीन की कीमत वसूल किया जाना चाहिए।

(३) आइटम नं० १ व ८ के अनुसार जो रकम आये वह १५ वार्षिक इन्सटालमेंटों में वसूल की जाय।

(४) पहली किश्त जमा कराने के बाद पुरुषार्थी किसानों से सवाई जमा वसूल नही की जावे सिर्फ एक लैण्ड रेवेन्यू ही ले सकते हैं।

(५) गैरदावेदार विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पहली किश्त जमा कराने के बाद खातेदारी हक़ूक दे दिये जावें।

(६) पुरुषार्थी किसानों के क्लेमों का फैसला होने तक उनसे कर्जा, मकानों की कीमत आदि वसूल नहीं की जावे।

राज्य सरकार ने दिनांक २५-५-६१ की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार भारत सरकार को उपरोक्त वर्णित समस्त मुद्दों के बारे में एक अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ ३१ (१५) आर. आर।६१ दिनांक १६-७-६१ अपनी सिफारिश के साथ लिख कर भेजा तथा उनसे कहा गया कि वे इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दें। भारत सरकार से इस पर बाकी पत्र व्यवहार हो चुके हैं, अतः अनुच्छेद १ पर वर्णित मांगों के बारे में वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:-

(१) समझौते के बाद की सवाई जमा न ली जावे

किसान सभा की मांग है कि दिनांक २५-५-६१ को बैठक में लिये गये निर्णय के बाद की सवाई जमा वसूल की जावे। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से काफी पत्र व्यवहार किये जाने के बावजूद भी उन्होंने राज्य सरकार की सिफारिश को नहीं माना तथा उन्हें अस्वीकृत कर दी गई। भारत सरकार ने अलवर, भरतपुर जिलों के गैर-दावेदार विस्थापित व्यक्तियों की जमीन राज्य सरकार को दिनांक १-४-६३ से एक करोड़ रुपये में हस्तान्तरित करने की राष्ट्रपति की स्वीकृति, पत्र क्रमांक एफ ७।५।६० एल. एंड. आर. दिनांक १७-६-६३ के द्वारा भेजी है। जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि सवाई जमा ३१-३-६३ तक राज्य सरकार विस्थापितों से लेकर भारत सरकार को देगी। राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार के निर्णयानुसार जिलाधीश अलवर व भरतपुर को पत्र क्रमांक एफ. २ (६८) आर. आर।५७ दिनांक १७-३-६३ के द्वारा सूचित कर दिया है कि वे गैरदावेदार विस्थापित व्यक्तियों से सवाई जमा की वसूली दिनांक ३१. ३. ६३ तक करें। अतः २५. ५. ६१ के बाद सवाई जमा नहीं लिये जाने का प्रश्न ही नहीं

(श्री कुम्भाराम आर्य)

उठता। चूंकि यह मामला केन्द्रीय सरकार का है इसलिए राज्य सरकार इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकती।

(२). जमीन की कीमत ८०) रु. प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ ली जावे।

राज्य सरकार ने जब भारत सरकार को यह लिखा कि बिस्वेदारी व जमींदारी के मुआवजे की रकम काट कर गैरदावेदार विस्थापित व्यक्तियों को दी गई निष्क्रान्त कृषि भूमि की कीमत नियत की जावे तो उन्होंने अपने अर्द्ध-शासकीय पत्र क्रमांक एफ. ७।५।६० लैंड दिनांक २३।२५.७.६१ के द्वारा सूचित किया कि यह भारत सरकार के लिए सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में काफी पत्र–व्यवहार हो जाने के बाद राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एफ. ३(१) (१५) आर. आर.। ६१ दिनांक १४. ३. ६२ के द्वारा भारत सरकार को जमीन एक करोड़ रुपये में खरीदने की स्वीकृति दे दी। अतः यह स्वयं सिद्ध है कि राज्य सरकार भारत सरकार से वचनबद्ध हो चुकी है तथा उसमें किसी प्रकार का विपरीत निर्णय लेना व्यवहारिक नहीं है।

राज्य सरकार की उपरोक्त स्वीकृति पहुंचने के बाद केन्द्रीय सरकार ने भी अपने पत्र क्रमांक एफ ७।५।६०। लैंड एन्ड आर. दिनांक ७. १२. ६२ व १७. ६. ६३ के द्वारा अलवर, भरतपुर जिले की गैरदावेदार विस्थापित व्यक्तियों को आवन्टित की गई निष्क्रान्त कृषि भूमि राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये में हस्तान्तरित करने की स्वीकृति भेज दी। हालांकि भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति में जिन-जिन शर्तों का उल्लेख किया है वह राज्य सरकार की शर्तों से मेल नहीं खाती थीं लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने यह सोचकर कि भारत सरकार को दुबारा लिखने से कोई लाभ होने वाला नहीं है अतः इस सम्बन्ध में आगे किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया।

भारत सरकार से १ करोड़ रुपये में जमीन लेने के पश्चात राज्य सरकार ने गैरदावेदार विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित की गई जमीन का प्रबन्ध करने हेतु राजस्थान लैंड रेवेन्यू (परमानेन्ट अलॉटमेन्ट आफ इवेक्यू एग्रीकलचरल लैंड) रूल्स, १९६३ बनाये, जिसके अनुसार उक्त नियम को धारा ५ (२) के अन्तर्गत गैरदावेदार विस्थापित व्यक्तियों से जमीन की कीमत १५०) रु. प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से वसूल करने का प्रावधान किया गया जिसकी वसूली कम से कम ९ वर्ष में करनी है। केन्द्रीय सरकार ने जिस जमीन का हस्तानान्तरण राज्य सरकार को किया हैं उसकी कीमत ४५०) प्रति स्टेंडर्ड एकड़ से ३.५७ करोड़ के लगभग होती है। जिसका १।३ भाग १ करोड़ १९ लाख होता है। जिसमें से १९ लाख के करीब नाकाबिल वसूल ठहराया गया है। इसी के आधार पर जमीन की कीमत ४५०) रु. प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ न लेकर १५०) रु. प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ है, किया गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने पहिले ही जमीन की कीमत ४५०) रु से १५०) रु. प्रति स्टे-

(श्री कुम्भाराम आर्य)

न्डर्ड एकड़ वसूल करना निर्यात कर दिया था। अब इस जमीन कीकीमत ८०) रु. प्रति एकड़ वसूल करना अब राज्य सरकार के लिये सम्भव नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार को एक करोड़ की राशि वसूल करके भारत सरकार को देनी है।

३. व्याज की वसूली बन्द की जावे।

गैरदावेदार विस्थापित व्यक्तियों की आवंटित निष्क्रान्त कृषि भूमि राज्य सरकार को ३१. ३. ६३. को केन्द्रीय सरकार से जैसा कि ऊपर वर्णित है १ करोड़ रूपये में हस्तान्तरित की गई है। १ करोड़ की राशि राज्य सरकार को ऋण के रूप में दी गई है। जिस पर भारत सरकार ६॥ प्रतिशत की दर से व्याज १. ४. ६३. से वसूल कर रही है। उसी के अनुरूप राज्य सरकार भी गैरदावेदार विस्थापित व्यक्तियों से व्याज नियम ५(२) दी राजस्थान लैंड रेवेन्यू (परमानेण्ट अलॉटमेंट आफ इवेक्यू एग्रीकलचरल लैंड) रूल्स, १९६३ के अनुसार वसूल कर रही है। अतः व्याज की रकम की वसूली भारत सरकार को देने हेतु की जा रही है। अतः व्याज की रकम वसूल न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

४. जमीन की कीमत की एक किश्त जमा कराने वाले को खाते दारी हक़ूक दिये जायें।

गैरदावेदार विस्थापित व्यक्तियों को दी गई जमीन का प्रबन्ध जैसा कि इससे पूर्व भी लिखा जा चुका है राजस्थान लैंड रेवेन्यू (परमानेन्ट अलॉटमेन्ट आफ इवेक्यू एग्रीकलचरल लैंड) रूल्स, १९६३ के तहत होता है। उक्त नियम की धारा ५(१) के अनुसार खातेदारी हक़ूक तभी दिये जाते हैं जब कि अलॉटी जमीन की कीमत व अन्य ऋण चाहे वह भारत सरकार के हों या राज्य सरकार के पूर्ण रूप से भुगतान कर देता है तथा नियम ५ व सनद फार्म पार्ट सी आदि में दी हुई शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करता है। अतः एक किश्त देने पर खातेदारी हक़ूक दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

५. जब तक क्लेमों का फैसला न हो तब तक जमीन की कीमत, कर्जा व व्याज की वसूली बन्द की जावे।

दिनांक २५. ५. ६१ की मीटिंग में विस्थापित व्यक्तियों से यह कहा गया था कि वे स्वयं इस सम्बन्ध में भारत सरकार से बात चीत करें। अतः राज्य सरकार की ओर से इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी थी। फिर भी जहां तक राज्य सरकार की जानकारी में है क्लेम वाले विस्थापित व्यक्तियों में से कर्जा व व्याज की वसूली क्लेम के फैसले होने तक नहीं की जाती है। इसमें राज्य सरकार का किसी प्रकार का हाथ नहीं है।

६. पुरुषार्थियों से कच्चे मकानों का किराया न लिया जावे।

यह केन्द्रीय सरकार के क्षेत्रीय निपटारा आयुक्त द्वारा किया जाता है। इसका राज्य सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Page No. 56

(श्री कुम्भाराम आर्य)

७. निष्क्रान्त भूमि के सवंत् २००३ या उससे पूर्व के काश्तकारों से बिना कीमत लिये खातेदारी हुकूक देने की सरकारी घोषणा पर अमल किया जावे।

इस सम्बन्ध में दिनांक ३. १२. ६४ से ५. १२. ६४ को केन्द्रीय व राज्य सरकार के पुनर्वास मन्त्रियों व अधिकारियों के बीच दिल्ली में हुई मीटिंग में ऐसा विचार किया गया था कि स्थानीय काश्तकार जिनके पास निष्क्रान्त भूमि भारत--

(१. म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

विभाजन से पूर्व १२ वर्ष से अधिक समय काश्त में थी, उनसे किसी प्रकार की कीमतें वसूली न की जावे तथा जो निष्क्रान्त भूमि स्थानीय काश्तकारों के पास सं. २००३ या विभाजन के पूर्व से पहिले १२ वर्ष से कम समय से काश्त में थी ऐसे काश्तकारों से कीमत वसूल की जाय। इस मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया था कि भारत-विभाजन के समय से पूर्व में जिन मुसलमान टेनेन्ट के कब्जे में हिन्दू बिस्वेदार, जमींदार व जागीदार की जमीन थी तथा वह ऐसी जमीन पर १२ वर्ष से अधिक से काबिज रहा उसकी कीमत केन्द्रीय सरकार वसूल नहीं करेगी। लेकिन जो १२ वर्ष से कम समय के काश्त में रही उसकी कीमत केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल की जानी है। अतः भारत सरकार की ओर से इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

निष्क्रान्त भूमि के पट्टेदारों से, पुरुषार्थी किसानों से जमीन की कीमत ली जावे।

निष्क्रान्त भूमि के पट्टेदारों से जिनका कब्जा १-७-५७ से पूर्व का है, से जमीन की कीमत, डिस्प्लेस्ड परसन्स कम्पेन्सेशन एण्ड रीहेबिलिटेशन रूल्स, १९५५ की तहत तहसीलदारों द्वारा, जिनको प्रबन्ध अधिकारी की शक्ति भारत सरकार की आज्ञा दिनांक १४-३-६० से दी हुई है वसूल की जा रही है। उक्त नियम की धारा ५६ के अनुसार जमीन की कीमत ४५०) रु० प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ वसूल की जाती है चूंकि जमीन की कीमत भारत सरकार के नियमानुसार हो रही है। अतः राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध भारत सरकार से है।

मेव किसानों को बदले की जमीन और मकान का मुआवजा दिया जावे।

जिन मेव किसानों को अभी तक जमीन नहीं मिली है उन्हें बदले की जमीन दी जावे यदि निष्क्रान्त भूमि खाली न हो तो सिवाय चक या रूंध में से दी जावे।

अलवर जिले में ६२ परिवारों को बदले की जमीन दिये जाने के केसेज बाकी रहे हैं। इन केसेज में भूमि का एलॉटमेन्ट तहसील तिजारा में कर दिया है और मेवों को सूचना दे दी गयी है कि वे नई आवंटित जमीन पर कब्जा शीघ्र ले लें। ज्योंहि वे कब्जा ले लें, यह समस्या इस जिले में समाप्त हो जायेगी। भरतपुर में इतना रकबा नहीं है जो सब मेवों के क्लेम पूरे किये जा सकें। इसलिए १-७-५७ के बाद वाले पट्टेदारों के पट्टे

(श्री कुम्भाराम आर्य)

कैंसिल किये जाकर रकबा निकाला जा रहा है व नाजायज काश्तकारों से रकबा निकाला जाकर मेवान के क्लेम की पूर्ति अविलम्ब किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जिन मेव किसानों को अपने मकान नहीं मिले हैं उन्हें उनके मकानों का माकूल मुआनेजा दिया जावे।

मकानों की समस्या दो प्रकार की है (१) पक्के मकानों की तथा (२) कच्चे मकानों की। पक्के मकानों का मुआवजा देने का कार्य केन्द्रीय सरकार का है। जहां तक कच्चे मकानों का सम्बन्ध है राज्य सरकार ने ऐसे मेव परिवारों को जिन्हें सहायता की आवश्यकता थी १००) रु० अनुदान के रूप में प्रति परिवार दिया है। यह समस्या अब समाप्त प्रायः है।

इसके साथ साथ सदस्य महोदय ने सैटलमेंट का एक सबसे बड़ा प्रश्न उठाया, इसके सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही करीब-करीब समाप्त है और सरकार को निर्णय लेना है कि इस समस्या को हल करने के लिए फिर से सैटलमेंट कराया जाना उचित रहेगा या अन्य तरीके से यह समस्या हल हो सकेगी। मैं समझता हूँ कि यह निर्णय शीघ्र हो जायेगा और आपकी यह जो शिकायत है यह शिकायत रफा हो सकेगी।

इसके अलावा जो पुराने कब्जे थे, जो सीकर और भरतपुर और अलवर के सम्बन्ध में सरकार का आदेश था कि यह नियमन नहीं किये जायं। अलवर के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं, और खास तौर से पाबन्दी कर दी है कि ३०-९-६६ तक ऐसे सब लोगों से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिये जायं और इस कार्यवाही को जल्दी समाप्त कर दिया जाय।

रूंधों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, इसके अन्दर एक सबसे बड़ी रूंध सिरिसका है। इसका वर्णन करने की, मैं समझता हूं, आवश्यकता नहीं है। सभी माननीय सदस्य इसके बारे में जानते हैं। यह दिल्ली और अलवर के बीच में पड़ती है और राजस्थान के अन्दर यह एक ही ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जिसे रिजर्व रखा गया है। यह ठीक है कि इसके अन्दर कुछ गांव हैं जो इस सेंक्चुअरी में आ जाते हैं। इसमें स्थिति ऐसी बनती है कि जहां भी सेंक्चुरी कायम करेंगे वहां गांव आयेंगे। राजस्थान में ऐसी जगह नहीं होगी जहां गांव नहीं हों। इसलिए इस समस्या का इस तरीके से हल करना कठिन है कि सारी की सारी सेंक्चुरी को उजाड़ दिया जाय और एग्रीकल्चर लैंण्ड में बदल कर सबको एलॉट कर दी जाय। दूसरी ऐसी अच्छी जगह और राजस्थान में मिलना कठिन है। इसलिए गांव के लोगों को किस तरह अधिक से अधिक राहत दी जाय, इस पर सरकार विचार करेगी। और जो तालाब की, सदस्य महोदय, बात कर रहे थे, उसके सम्बन्ध में तो प्रश्न भी आया था और उस पर काफी वादविवाद हुआ था और उसी के अनुसार आज भी सरकार कार्यवाही करने के लिए तत्पर है।

Page No. 58

(श्री कुम्भाराम आर्य)

रहा कुछ रूंधों का सवाल, उनके लिए मैं संक्षेप में निवेदन कर दूं। सीरावास रूंध इसका कुल काबिल काश्त रकबा १६५३ बीघा है जिसमें से १४५३ बीघा दिया जा चुका है और २०० बीघा फौजी आफिसरों के लिए रिजर्व कर रखा था वह उनके लिए रिजर्व है।

दूनीनाथ–इसका कुल क्षेत्रफल १५०५ बीघा है। यही एक ऐसी जगह है जो मवेशियों के चरने के लिए है और गऊ-शाला अलवर की पांच सौ गायें यहां चरने के लिए रखी गई हैं।

एक रूंध है बंडरोद–इसका कुल रकबा १३४० है जिसमें से ४३० एकड़ में प्लान्टे-शन हो चुका है और प्लान्टेशन की हालत ठीक है। इस पर ३००,००) रु० खर्च हो चुका है। शेष ६१० एकड़ में चराई होती है जिसमें लगभग ७०००) रु० की आमदनी सालाना होती है। गांव वाले इस रूंध में से कोई रकबा नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके मवेशियों को चराने के लिये यही रकबा है।

शाहपुरा की रूंध–इसमें ३६० बीघा ही काबिल काश्त है, यह दो भागों में वाके है। इसमें से जो क्षेत्र किनारे पर है (११३ बीघा) पहले ही दिया जा चुका है। बाकी लगभग २५० बीघा जंगल के बीच में है। क्योंकि यह जंगल के क्षेत्र के बीच में वाकै है व चारों ओर से अच्छे धौंक के जंगल से घिरा हुआ है अतएव महकमा जंगलात शायद इस क्षेत्र को रिलीज करने के पक्ष में नहीं है। मौका जिला स्तरीय कमेटी ने भी देख लिया है व इस क्षेत्र को दिये जाने के पक्ष में नहीं है।

बीनक (पैतपुर ग्राम)–यहां पर केवल १०० बीघा काश्त के लिए मांग है परन्तु यह एरियां पथरीला होने के कारण काबिल काश्त नहीं है। इसमें २५ बीघे में अनआथो-राइज्ड काश्त हुई थी वह मुकदमा अदालत में चल रहा है।

सौखरी–२५५ बीघा। केवल चराई होती है व गांव वालों को चराई के लिये दूसरी जगह नहीं है।

मैथना-क्षेत्रफल १३३८ बीघा। इसमें १६० बीघे में प्लान्टेशन किया जा चुका है जिसकी हालत ठीक है। इस पर लगभग २००.०० रु. खर्च हुए हैं। शेष क्षेत्र में चराई होती है और लगभग ४०००) रु० की आमदनी होती है। गांव वाले भी इसमें काश्त के पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि चराई के लिए और कोई स्थान नहीं है।

सैंतूका–पहाड़ी इलाका है। केवल १०० बीघा जमीन काबिल काश्त है जिस पर प्लान्टेशन किया जा चुका है। हालत ठीक है। इसी से मिला हुआ मौजपुर रूंध है जिसके बारे में आन्दोलन हुआ था।

मौजपुर— इसमें काबिल काश्त रकबा १४०० बीघा है। इसमें से ३८६ एकड़ में प्लान्टेशन किया जा चुका है व प्लानटेशन की हालत ठीक है। शेष रकबे में से १०० एकड कृषि विभाग को आदर्श फार्म

(श्री कुम्भाराम आर्य)

के लिये १६६० में दिया जा चुका है अब केवल ४०० एकड़ बचता है इसमें चमरावली, छीलाछो, संदका मोजपुर, गूजर खोरा और बुटोली गांवों की भैंसें चरती हैं और ५५००) रु. की सालाना आमदनी होती है। इनके चरने के लिए और कहीं जगह नहीं है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : और मंत्री कहां चरते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य : रामपुर रूंध इसमें काबिल काश्त रकबा करीब १५० बीघा है। इस रकबे पर इस साल नाजायज काश्त जबरन काश्तकारान रामपुर ने की है और उनके खिलाफ चालान अदालत मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बहरोड़ में दिनांक ३-८-६६ को किया गया। मामला अदालत में पेंडिंग है। सिरिसका के बारे में मैं पहले निवेदन कर चुका हूं।

इस प्रकार से अलवर में जो रूंध हैं उनकी यह स्थिति है। मैं समझता हूं कि सदस्य महोदय को इस सारी जानकारी से संतोष होगा। इसके पश्चात् भी उनकी शिकायत या शंका होगी तो मिल कर बात करेंगे तो मैं निवारण करने की कोशिश करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एक बात तो स्पष्ट करेंगे। माननीय मंत्री जी ने जो भी उत्तर दिया है उसमें यह तो कम से कम स्पष्ट है कि पुरुषार्थी किसानों के सम्बन्ध में जो राजस्थान सरकार और पुरुषार्थी कॉन्फ्रेन्स के बीच में लिखित में फैसला हुआ, उसके लिए आपने कहा कि उसे भारत सरकार को भेजा है....

श्री कुम्भाराम आर्य : लिखित की बात नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भारत सरकार को आपने इस फैसले को अपनी सिफारिश के साथ भेजा और भारत सरकार ने मंजूर नहीं किया, ऐसा आपका कहना है। हमसे जब इस संबन्ध में बातचीत की गई और फैसला किया गया था उससे पहले चीफ मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से बातचीत करके आये थे और भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय से भी बातचीत करके आये। उसके बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि तुम खुद बातचीत करो। सभानेत्री महोदया, आप देखें कि उनके रिप्रेजेन्टेटिव भारत सरकार से बातचीत करें और पुरुषार्थी किसान जो एक पैसा भी जमीन की कीमत देने को तैयार नहीं था क्योंकि उनके पास जो कुछ था वह सब वे वहां पर खो कर यहां आये थे कि वे एक्स ग्रेशिया लेना चाहते थे। फिर भी वे १ करोड़ देने को तैयार हुए और वह भी सुखाड़ियाजी के आश्वासन पर कि वे फैसला करें, वे इस बात के लिये तैयार हुए और फिर भी अब आप यह कहते हैं कि भारत सरकार उसको मान नहीं रही है, यह कर आप उससे निकलना चाहते हैं यह उचित नहीं है। यह आपकी रेस्पॉन्सीबिलिटी है और मॉरल रेस्पॉन्सीबिलिटी जो आपने ली उसको आपको निभाना है। आप उससे निकल नहीं सकते। इसके बारे में पॉवर ऑफ एटॉर्नी लेते नहीं जिससे कि इसको एग्जिक्यूट किया जाता। यह आपका कर्तव्य है कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उसको एग्जिक्यूट किया जाए। जब हमने बात चीत कर ली उनके आश्वासन पर तो अब भारत सरकार और यहां के चीफ मिनिस्टर का काम है। अगर वे यह कहते हैं कि भारत सरकार हमारी नहीं मानती तो हमको यह कहने का पूरा हक है कि वे किसी तरह पर इसको पूरा करें और एसर्ट करें अपनी जिम्मेदारी को और यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है उसको पूरा कराने की।

सभानेत्री महोदया, दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार से इसका संबन्ध नहीं है, इसका राज्य सरकार से ही संबन्ध है। खातेदारी हकूक देने की बात रेवेन्यू मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और चीफ सेक्रेट्री मौजूद थे उनके बीच में यह फैसला हुआ और अब आप कहते हैं कि खातेदारी दफा १५ की तहत इस तरह मिल सकती है। तो, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपका इसके बारे में एश्योरेन्स दिया हुआ है तो आपको चाहिये कि आप टेनेन्सी एक्ट में अमेन्डमेंट लाकर उस अमेन्डमेंट के द्वारा इसको रख सकते हैं और एग्जिस्टिंग कानून की बुनियाद पर आप अमेन्डमेंट ला कर ठीक कर सकते है। अगर एग्जिस्टिंग कानून के अनुसार ही करना हो तो कोर्ट के जरिये ले लेते। अब आप यह कहते हैं तो यह आपका लेम एक्सक्यूज है और आप इस प्रकार लेम एक्स्क्यूज लेकर उस एश्योरेन्स से निकलने की बात करते हैं। इस मामले में तो भारत सरकार कहीं बीच में नहीं आती है। आप टेनेन्सी एक्ट में अमेन्डमेंट करा सकते हैं। यह तो टेनेन्सी एक्ट में अमेन्डमेंट करने की बात है जो आप कर सकते हैं।

यह तो तीन जिलों का प्रश्न है अलवर, भरतपुर और गंगानगर इन तीनों में ही आप स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : किस प्रकार के डिसप्लेस्ड पर्सन्स को खातेदारी की बात आप कह रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिनको कोई क्लेम नहीं मिला। २० हजार से कम के जिनके क्लेम्स थे। भारत सरकार ने कहा था उनको कि आप क्लेम्स मत दो। अब वे लोग कहते हैं कि हम अपना सब कुछ वहां पर खो कर आये यहां पर क्या लेकर आये ? इसलिए यह एडहॉक बेसिस पर जो कुछ मिला है, इसमें न कुछ देना न कुछ लेना और आप कहते हैं कि हिसाब करो। अगर आप यह चाहते हो कि हमारा जो देना है वह तो दे दो और आप हमको कुछ दे नहीं सकते। यह कैसे हो सकता है ? मगर इस बात में भारत सरकार को कुछ देना लेना नहीं। टेनेन्सी एक्ट में अमेन्डमेंट लाने का प्रश्न है। टेनेन्सी एक्ट में २००३ से पूर्व के काश्तकारों को टीनेन्सी एक्ट में खातेदारी राइट देने में आप अमेन्डमेंट कर दें तो उनको खातेदारी राइट्स मिल जावेंगे।

आप ब्याज के बारे में कहते हैं कि सन् ६३ से ब्याज देना होगा। आप यह मानते हैं कि उनसे ६३ से वसूल करना चाहिये। मगर मैं यह कहूंगा कि मैंने आपको पहले भी उस दिन कहा था कि आपके तहसीलदार आदि उनसे सन् ५० से वसूली कर रहे हैं। आपने उस समय कहा था कि हम बन्द कर देंगे। मैं यह कहूंगा कि आपने साहूकारी नियम बनाये हैं मगर जैसा आप करते हैं वैसे तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

साहूकार भी डबल बसूली नहीं करता और आपने अब तक वह बन्द नहीं किया है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सभानेत्री महोदया, रूंध के बारे में आपने उत्तर दिया है मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि रेवेन्यू मिनिस्टर अपने भाषणों में बहुत बातें सुनाते हैं लोगों को हल पकड़ने की तरजीह देते हैं और जिस समय भाषण देते हैं उस समय दिल में जैसे कोई दर्द हो रहा हो इस प्रकार की बातों को जाहिर करते हैं लेकिन जो सहदड़ा का पटवारी है उसने जो उनको लिख कर दिया वह उन्होंने पढ़ कर हमको सुना दिया हमें पटवारी ने पहले ही कह दिया था। हम तो पटवारी को ही रेवेन्यू मिनिस्टर मान रहे हैं, कुम्भाराम जी रेवेन्यू मिनिस्टर को, नहीं। उसने कहा था कि आपको वहां पर यही जवाब मिलेगा और वास्तव में वही जवाब मिला जो हमने वहां पर पढ़ा था और वह सही था और हम गलत समझ रहे थे। आपने प्लान्टेशन के बारे में कह दिया। आप जा कर देखें प्लान्टेशन कैसा है। ऐसा है जिसमें एक दातुन भी नहीं हो सकता। यों ही रुपया बरबाद किया है। वहां पर लोग फसल करेंगे। कुछ लोग जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, वे कहते हैं कि हमारे मवेशी कहां चरेंगे इसलिए वे कहते हैं कि गौ माता मर जावेगी और दूसरे लोग वहां पर हल चला देते हैं और फिर चमार फिर उनको मार कर निकाल देते हैं। मैं यह नहीं कहता कि चारागाह मवेशियों के लिए नहीं होना चाहिये। चारागाह अवश्य होने चाहिये। मगर जहां पर पहाड़ हैं मवेशी चरती हैं यह तो ठीक है मगर जहां पर पहाड़ों में समतल भूमि है उनको तो खेती के लिए काम में ले सकते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

जिन गांवों का जिक्र किया है चाहे वह दूनीनाथ की रूंध की बात हो या और रूंध वहां पर आपके तहसीलदार ने लिखा है कि एक हजार एकड़ भूमि काबिल काश्त है। इसी प्रकार दूनीनाथ और सिद्धों के नाथ के बारे में है, उनको दे देनी चाहिये क्योंकि आन्दोलन हुआ है, आपको खुद को सूझता नहीं है और दूसरों को जब सूझता है और आन्दोलन करें तो भी आपके कानों में जूं तक नहीं रेंगती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और आप अपनी प्रेस्टीज का प्रश्न खड़ा कर लेते हैं। तो यह सब तो कैसे चलेगा ? इसलिए मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि यह आपकी रेस्पॉन्सीबिलिटी है आप उसको पूरा करेंगे और जो वायदा किया है उसको पूरा कराएंगे।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : सभानेत्री महोदया, अभी मैंने माननीय मंत्री महोदय का जवाब सुना। शरणार्थियों के बारे में जो समस्या है काफी समय से, बावजूद इसके कि सरकार ने फैसला किया है और अब आपका यह कहना और बहाना लेना कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट मान नहीं रही है इसलिए आप सारे फैसले को तोड़ रहे हैं। आप हमेशा इस प्रकार किसानों को जमीन देने का बड़ा भारी प्रचार करते हैं और जहां

(श्री हरिराम चौहान)

कहीं मंत्री जाते हैं कहते है कि हमने इतनी जमीन दे दी । लेकिन आपका यह जवाब सुन कर मुझे बड़ी जबरदस्त निराशा हुई है । वे यह कहते हैं कि वे लोग जमीन नहीं चाहते । उन्होंने दूनीनाथ आदि का जो एरिया बताया है उसके बारे में कहा है कि वे लोग नहीं चाहते....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब वे नहीं चाहते थे तो इन्होंने आन्दोलन क्यों किया और जेलों में क्यों गये और उनकी तहसील कमेटी है बकायदा मीटिंग करती है और उनको बुलाती है और पूछती है कि कितनी जमीन काबिल काश्त होगी वे तो उनको खाते में परिवर्तन करने के लिए बुला रहे हैं और मन्त्री महोदय कहते हैं कि जैसे कोई समस्या ही नहीं है, कोई मांगने वाला ही नहीं है । समस्या है तो यह है कि भैंसें चरती हैं इसलिए जमीन नहीं दी जा सकती ।

मैं कहूंगा कि भैंसें चरती हों या पाडे, चरते हों पर सबसे मुख्य और मोटी समस्या इन्सान को रोटी मिलने की है, जब तक इन्सान को रोटी नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं । पहले इन्सान को रोटी मिले इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए । दूसरे, जो जमीन आज घास पैदा करती है वह काबिले काश्त हो जाय तो अनाज पैदा होगा और मवेशी के लिए चारा भी पैदा होगा । इसलिए जो काबिल काश्त जमीन है, जिसके लिए सरकार कहती है कि काबिल काश्त है, सरकार के तहसीलदार कहते हैं कि वह जमीन काबिल काश्त है, इस काबिल काश्त जमीन को फौरन निकाल कर किसानों को देना चाहिए, जिससे कि इन्सानों को रोटी मिले और अनाज की पैदावार बढ़े । आज भूमिहीनों की समस्या एक बड़ी जबरदस्त समस्या है, न आज रोजगार हैं, न काम हैं और न उद्योग धंधे हैं गरीबों की हालत आज बिलकुल खराब है, ऐसी हालत में भी सरकार विचार नहीं करती, यह बड़ी शोचनीय बात है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य इस मसले पर आपके साथी काफी प्रकाश डाल चुके हैं । मैं माननीय अग्रवालजी से अर्ज करूंगी कि वे दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री हरिराम चौहान : आपको पता ही नहीं है कि हम अलग-अलग हैं ।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : सभानेत्री महोदया, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं । करीब एक साल से निरन्तर मन्त्री महोदय से, मुख्य मन्त्री महोदय से, इस विधान सभा में सेटलमेंट के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं, अलावा इसके ६–७ हजार मुकदमें सेटलमेंट के चल रहे हैं जो तीन साल के जोतने वाले हैं उनको उन जमीनों से हटा कर वे जमीनें दूसरों को दी जा रही हैं । पांच बीघा जमीन पर और बीस-बीस, तीस-तीस मुकदमें चलने लग गए हैं ।

मन्त्री महोदय ने पहली असेम्बली में आश्वासन दिया था कि इस प्रश्न को जल्दी ही निबटा दिया जाएगा, इस पर मीटिंग की

(कुमारी उमा माथुर)

फैसले किए और अब कह रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट ने फैसला लिया है कि जल्दी से जल्दी निबटाया जायगा। एक साल में तो डिपार्टमेंट से मिसल निकली है, किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। इसलिए मन्त्री महोदय से मैं चाहूंगी कि मन्त्री महोदय निश्चित उत्तर दें कि कब तक इस मामले को हल कर देंगे। नहीं करना चाहते तो वैसा जवाब दें। मैं कहना चाहती हूं कि आपके पास जो रिपोर्ट्स आती हैं आपके विभाग से, वे पटवारियों की थोथी बातों के अलावा कुछ नहीं हैं, अधिकतर बातें झूठी और बेबुनियाद होती हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सेटलमेंट के मामले को फिर से लें जिससे कि सैकड़ों मुकदमे गरीब किसानों पर चल रहे हैं, उनसे उनको छुटकारा मिले।

मैं मन्त्री महोदय से फिर निवेदन करना चाहती हूं कि वे निश्चित रूप से बताएं कि कब तक इस मसले को हल कर देंगे।

श्री कुंभाराम आर्य (राजस्व मन्त्री): सभापति महोदया, जहां तक सदस्य महोदय का प्रश्न है, उनके लिए चिन्ता की बात हो रही है, जहां तक राजस्व विभाग का सम्बन्ध है, मैं उनके साथ उतनी ही सहानुभूति रखता हूं और उनको यह भी शंका नहीं करनी चाहिए कि इस कार्य में कोई ढील हो रही है। मैंने, जहां तक विभागीय व्यवस्था का प्रश्न था बहुत पहले इस मामले को निबटा दिया पर इसका सम्बन्ध केवल राजस्व विभाग से नहीं है। राजस्व विभाग से जहां तक सम्बन्ध है निबटा दिया पर जब तक दूसरे विभाग से निकल कर मन्त्री मण्डल की, केबीनेट की मोहर नहीं लग जाय तब तक यह कार्य अन्तिम रूप नहीं ले सकता। जहां तक मेरे विभाग का प्रश्न है जल्दी ही इसे निकाल कर मजबूती के साथ निरन्तर उसके पीछे लगा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या रिकमण्डेशन्स की आपने?

श्री कुम्भाराम आर्य: जल्दी ही इस समस्या का हल हो सकेगा।

रही उनकी बात कि अलवर जिले के अन्दर से जितने पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, और दूसरे अधिकारी हैं झूठी रिपोर्ट भेजते हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा था तो मैंने कहा था कि जांच करवायेंगे और जांच से जो दोषी साबित होंगे उनको सजा दी जायगी। फिर कहा कि यह तो राजस्व मन्त्री नहीं बोल रहा है हल्के का पटवारी बोल रहा है। यह बात सही है कि विभाग से जो जानकारी मन्त्री को होती है वही बोलता है, हर चीज मौके पर तो जाकर देखने से रहा। इस रिपोर्ट में संदेह है तो मैं जांच करूंगा और यदि यह रिपोर्ट गलत पाई गई तो सख्त से सख्त सजा दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मेरे साथ चलें मैं दिखाऊंगा।

श्री कुम्भाराम आर्य: साथ चलने की तो आवश्यकता नहीं।

मैं, आपकी शंकाएं थीं उनके बारे में उत्तर देना चाहूंगा। सबसे पहली बात थी कि मुख्य मन्त्री महोदय ने उनसे वायदा

(श्री कुम्भाराम आर्य)

किया था कि ये बातें भारत सरकार से मनवायेंगे। मैंने सारे कागजात देखे, न तो लिखित में समझौता हो रखा है, न रेकॉर्ड ही मिलता है कि मुख्य मन्त्री ने समझौता किया हो कि हमारी जिम्मेदारी है, भारत सरकार जाने और राजस्थान सरकार जाने, ऐसा कहीं नहीं है। केवल यह है कि हम इनको भारत सरकार के पास भेजेंगे और आपकी समस्याएं हल हो जाय इसकी हमने पूरी कोशिश की, भारत सरकार सहमत नहीं हो तो हमारे बस की बात नहीं है। जिस भावना के साथ हमने इस मामले को दिल्ली तक भेजा है, उसके साथ आपको सहानुभूति होनी चाहिए।

रहा खातेदारी का सवाल, अगर किसी एक काश्तकार को पहले खातेदारी राइट दे देंगे तो सभी किसानों के लिए सोचना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो सारी जमीनें खातेदारी में चली जायेंगी और बकाया रहेंगी उनको वसूल करना बड़ा मुश्किल हो जायगा। सारी किश्तें यदि कोई दे दें तो उसको खातेदारी राइट्स दे दिए जाते हैं। इस तरह यह मामला चलेगा तो सहूलियत रहेगी।

श्री रामानंद अग्रवाल : राजस्व मन्त्री जी, वे लोन नहीं ले सकते, दरखत वगैरह नहीं ले सकते, १५ वर्ष में किश्तें वसूल होंगी तब १५ वर्ष बाद खातेदारी राइट्स मिलेंगे तो इस तरह से वे १५ वर्ष तक इन सब सुविधाओं से वंचित रहेंगे। हां आप एरियर्स वसूल कर सकते हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य : जिनको भूमि अलॉट की जाती है, ऐसे ६ लाख किसान हैं, उन सबको खातेदारी राइट्स नहीं हैं। देने पड़ेंगे। सबको अगर खातेदारी राइट्स देते हैं तो फिर बकाया की वसूली में बड़ी भारी परेशानी हो जायगी क्योंकि खातेदारी राइट्स देने के बाद में उनको कोई पर्वाह नहीं रहेगी, वे देखेंगे कि अब हमको कोई निकाल तो सकता नहीं। इसलिए अगर उनको खातेदारी राइट्स लेने हैं तो जल्दी ही सब किश्तें अदा कर देनी चाहिए, यह डिफिकल्ट बात नहीं है।

एक ब्याज की बात कही कि सरकार उनकी बात को नहीं मान रही है, बराबर वसूल कर रही है। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस मामले को जल्दी देख लिया जायगा और गलती हुई है तो उसको जल्दी ठीक कर लिया जायगा। इसमें दो राय नहीं, "खुद की सूझ नहीं और दूसरों की मानें नहीं" यह तो कहने के लिए कहा है। हमको बहुत दूर की सूझती है। उसके बाद भी शिकायत हो तो उस पर भी खूब विचार करते हैं। पोलिटिकल किस्म का कुछ कहना है तो इसमें मुझे एतराज नहीं है।

मैं समझता हूँ माननीय सदस्य संतोष करेंगे। आगे यदि कोई कठिनाई होगी तो उसको हिल मिल कर ठीक करेंगे।

कुमारी उमा माथुर : मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वह यह है कि सिर्फ निष्कांत भूमि के बारे में किश्तें वसूल की जाती हैं। इसलिए इसमें अलाटमेंट जिनको किया जाता है, उनका तो सवाल ही नहीं उठाता। अतः मन्त्री महोदय ने ६ लाख को खातेदारी राइट देने की बात कही वह

(कुमारी उमा माथुर)

ठीक नहीं उनका यहां कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न उन्हीं का है जिनको किश्तें देनी पड़ती हैं, एक किश्त देने के बाद या तो शरणार्थी हों या निष्क्रान्त भूमि के हों, उनका ही प्रश्न है।

श्री कुंभाराम आर्य : उनके अलावा भी और हैं, जिनको भूमि अलॉट की जाती है।

कुमारी उमा माथुर : भूमि अलॉट तो फ्री की जाती है।

(१. २० म०प०)

राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न स्थिति की ओर ध्यानाकर्षण

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभानेत्री महोदया, मैं आपके द्वारा विधि मंत्रीजी का ध्यान राजस्थान हाई कोर्ट के डी० बी० स्पेशल अपील नं० ३ सन् १९६५ दामोदरदास बनाम बद्रीनारायण जिसका फैसला ७-४-६६ को हुआ है उससे जो किरायेदारों में एक विशेष स्थिति उत्पन्न हुई है, उसकी ओर विधि मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

राजस्थान में किरायेदारों को सुरक्षा देने के लिए एक संशोधन विधेयक इस सदन केद्वारा एक साल पहले स्वीकृत किया गया और उस संशोधन विधेयक के द्वारा यह सुरक्षा दी गई कि यदि एक साल में तीन साल में तीन बार भी किराएदार ने डिफाल्ट किया है, किराया समय पर नहीं चुकाया है तो भी उस किरायेदार कोबेदखली नहीं हो सकती यदि वह मुकदमे की हीयरिंग पर ही कचहरी में अपना बकाया किराया मकान मालिक को अदाकर देता है। ऐसी हालत में मकान से बेदखली करने का अधिकार उनको नहीं रहेगा। यह मूलभूत संशोधन विधान सभा ने स्वीकार किया था। इस संशोधन विधेयक को स्वीकृत करने के बाद में राजस्थान के उच्च न्यायालय ने एक नया फैसला दिया है और उसमें उनकी राय यह है कि किराएदार वही व्यक्ति होगा जिसके नाम पर किरायानामा लिखा है। यदि कोई किराएदार मर जाता है तो वह किरायानामा वारिसों पर लागू नहीं होगा और मकान मालिक को अधिकार होगा कि वह किरायेदार के लड़कों, लड़कियों और उसकी पत्नी को मकान या दुकान से बेदखल कर दे। इस तरह का फैसला उच्च न्यायालय ने दिया है। इस फैसले से एक बड़ी भारी असुरक्षा की स्थिति किरायेदारों के मन में उत्पन्न हो गई है। अगर राजस्थान के न्यायालयों में दीवानी मुकदमों में सबसे ज्यादा मुकदमे हैं तो किरायेदारों के और मकान मालिकों के हैं। उनमें भी उन मुकदमों का नम्बर सबसे ज्यादा है जिनमें मकान मालिक कहता है कि इस दुकान में मैं अपनी खुद की दुकान करूंगा या मेरा लड़का दुकान करेगा या इस मकान की मुझे अपनी व्यक्तिगत रिहाइश के लिए आवश्यकता है। व्यक्तिगत आवश्यकता के नाम पर जो मुकदमे आज किराएदारों के खिलाफ चल रहे हैं, विधि मन्त्री का ध्यान मैं इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में और दूसरे राज्यों में इस तरह के मुकदमे नहीं किए जा सकते और कानून से ऐसे मुकदमे नहीं किये जाएं, इस बात का विशेष प्रावधान उनके कानूनों में किया गया है और यह नहीं कहना चाहिये

Page No. 66

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कि दूसरे राज्यों में जो स्थिति है उसकी आंख बन्द करके नकल करना चाहिये। लेकिन आज राजस्थान के बड़े बड़े शहरों जैसे जोधपुर और जयपुर में, जैसे जयपुर में एम० आई० रोड पर कोई दुकान है, कोई २० साल से उस दुकान में किरायेदार है, तो मालिक चाहेगा कि किराएदार से खाली कराकर अपनी खुद की दुकान खोल दूं ताकि २० साल में किराएदार ने जो प्रतिष्ठा हासिल की है, उसका फायदा मैं खुद लूं। जोधपुर में भी ऐसी स्थिति है। बीकानेर में के० ई० एम० रोड पर ऐसी स्थिति है।

तो मकान मालिक अपने किराएदारों से, अदालत के जरिये, कानून की शरण लेकर, अपनी दुकानें व्यक्तिगत आवश्यकता के नाम पर, खाली कराना चाहते हैं। एक आदमी ने २० साल से दवाई की दुकान लगा रखी है, या कपड़े की दुकान लगा रखी है या होटल खोल रखी है, अब मकान मालिक चाहता है कि मैं किराया तो २००) ले रहा हूं लेकिन दुकान खोलकर २,०००) कमाऊंगा। तो वह व्यक्तिगत रिहायश के नाम पर दावा करता है और ऐसे दावों में अदालत की राय भी यही होती है और ज्यादातर फैसले मकान मालिक के पक्ष में दिए जाते हैं। इसलिए राजस्थान के बड़े शहरों में, जिनकी आबादी २५,००० से अधिक है, इस तरह के शहर और मुख्य बाजारों, में जो किराये पर बैठे हैं, उनको व्यक्तिगत रिहाइश के नाम पर दुकान खाली नहीं कराई जा सके, इसका प्रावधान कानून में करना आवश्यक है ताकि किराएदारों की दिक्कतें समाप्त हो सकें, अन्यथा उसका एक और उपयोग हो सकता है। जो मकान मालिक नोटिस देता है कि इस दुकान को खाली करो। वह जानता है कि क्योंकि किराएदार २,०००) कमा रहा है और किराया २००) दे रहा है तो वह भख मार कर ३००) ३५०) किराया करेगा, किराएदार नहीं चाहेगा कि दुकान को छोड़ दूं। इसलिए यह विषम स्थिति किरायेदारों में उत्पन्न हो रही है, उसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ साथ उच्च न्यायालय ने वज्र ढा दिया है। जो भी सामाजिक उद्देश्य विधान सभा ने नया कानून पारित करके समाज के सामने रखा है, उसको किसी न किसी तरीके से उच्च न्यायालय ने कोई न कोई फैसले में टारपीडो कर दिया है। हम तो किरायेदारों को संरक्षण देने के लिए यह प्रावधान रखते हैं कि यदि सालभर में तीनबार भी किराएदार किराया न दे तो भी उसको अपने कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता, यदि मुकदमे की पहली सुनवाई पर वह किराया चुका देता है और उच्च न्यायालय ने नई व्याख्या कर दी कि किराएदार तो अपने जीवन तक ही किराएदार है, उसके वारिस नहीं, लड़के लड़कियां या पत्नी, उस किराए नामे का कोई उपयोग नहीं कर सकते और मकान मालिक उनसे सारा मकान खाली करा सकता है। तो किराएदारों के जो उत्तराधिकारी हैं, उनको भी हमें रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट को अमेन्ड करके संरक्षण देना चाहिए और व्यक्तिगत रिहाइश के लिए किराया बढ़ाने की नीयत से और ज्यादा धन अर्जन की नीयत से जो

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मकान मालिक नए मुकदमे न्यायालयों में कर रहे है, उनको रोकने के लिए इस कानून में संशोधन करना चाहिए। क्योंकि विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस ४ दिन तक चलेगी इसलिए सरकार का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह मुद्दा क्योंकि राजस्थान के हजारों किराएदारों से सम्बन्धित है, हजारों सिविल सूट्स राजस्थान की कोर्ट्स में पेंडिंग है, इसलिए रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से, पुरानी तारीखों से कानून को लागू करके, इस तरह का संशोधन विधान सभा में स्वीकार करना चाहिये और विधान सभा इसको स्वीकार नहीं कर सके तो मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार इस बात का आश्वासन दे कि सारे कानूनों का परीक्षण करके, दूसरे राज्यों में जो भी कानूनी स्थिति है, उसको स्टडी करके, विधान सभा के सेशन के समाप्त होने के बाद सरकार ऐसे नियमों और कानूनों में संशोधन करेगी जिससे किराएदारों में जो असुरक्षा की स्थिति है, वह समाप्त हो जाय। मैंने उच्च न्यायालय की रूलिंग्स के कोटेशन्स नहीं दिए हैं क्योंकि मेरे हवाले से मन्त्री महोदय, उसका अध्ययन करके सारी स्थिति पर प्रकाश डालेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय उच्च न्यायालय का फैसला जिसकी ओर मैंने ध्यान-आकर्षण प्रश्न के तरीके से विधि मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया है, यह फैसला उच्च न्यायालय ने ७-४-६६ को दिया और आज इस फैसले को साढ़े पांच महीने से भी अधिक हो गए। यह फैसला जिस तरह से मुझ से पूर्व बोलने वाले बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, इतना महत्वपूर्ण है कि एक किराएदार की परिभाषा, जो वर्तमान कानून में है, उसकी व्याख्या जिस प्रकार से इस फैसले में की गई है, उससे राजस्थान के हजारों किराएदार, जिनके पिता किसी जमाने में शुरु के किराएदार थे और उसके उत्तराधिकारी लगातार किराएदार चले आ रहे हैं, उन सबकी स्थिति एकदम से अनिश्चित हो गई। इतना ही नहीं, निश्चित तौर से बेदखली के काबिल बन गए इस फैसले के अनुसार और कोई भी मकान मालिक ऐसे तमाम लोगों को, जिनके बुजुर्गों ने कोई मकान किराए पर ले रखा था और अभी तक रह रहा है तो उनको इस फैसले के अनुसार बेदखल किया किया जा सकता है।

सभापति महोदया, अव्वल तो मुझे इस तरफ ध्यान आकर्षित करना है कि ५।। महीने हो गये यदि सरकार इस प्रश्न पर वास्तव में यह मानती है कि उसका इरादा न केवल टिनेन्ट को जीवन भर प्रोटेक्ट करने से है बल्कि उसके जो सरवाइवर हैं, जानशीन हैं, उत्तराधिकारी हैं उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करने का है जैसा कि मैं इसका मकसद समझता हूँ। राजस्थान रेण्ट कन्ट्रोल एक्ट, १९५० के अन्तर्गत टिनेन्ट को प्रोटेक्शन देने की नीयत है, असेम्बली में बहस हुई है, उससे न केवल उन किरायेदारों को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि उनके जीवन के बाद उनके उत्तराधिकारियों को भी प्रोटेक्ट करने का है। आज हाई कोर्ट ने अप्रेल की ७ तारीख को इस प्रकार की व्याख्या करके यह कहा है कि इस कानून की मन्शा जो कुछ भी हो, जो प्रावधान रखा गया है उससे यह हर्गिज मतलब नहीं निकलता है। माननीय जजेज ने इस बात पर अफसोस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भी जाहिर किया है कि बड़ी विषम स्थिति किरायेदारों के लिये पैदा हो जावेगी परन्तु उन्होंने मजबूरी जाहिर की है कि जैसा भी कानून है उसके दायरे से बाहर हम नहीं जा सकते हैं। माननीय जजेज ने कहा है :—

"It is true the legal representatives will be able to raise all the defences which were open to the deceased tenant under the general law, but as the Rent Control Act does not provide for any devolution of such rights claimable under section 13 of the Act in favour of legal heirs of a deceased tenant as per dicta of their Lordships of the Supreme Court in Anand Pvt. Ltd. Vs. Anandji Kalyanji etc. Such amenity cannot be claimed by the present respondent as we have already observed."

माननीय जजेज ने कहा है :

"Thus, as the law stands in Rajasthan, the surviving members of a tenant's family who were living with him cannot come under the category of 'tenant' for the purpose of getting protection against the eviction under the Act on the death of the tenant. We appreciate the difficulties of the members of a tenant's family resulting from his death and they will certainly be faced with genuine hardship in being thrown out of the premises, but as the law stands, we cannot extend protection to them. It is for the legislature to see to what extent it should go in effecting the policy underlying the Act in giving protection to members of the family of a deceased tenant. We are, however, clearly of the opinion that the present respondents who are legal representatives of late Shri Radha Vallabh cannot claim protection under section 13 of the Act."

इस तरह से, सभापति महोदय, माननीय जजेज ने पूरी हमदर्दी जाहिर की है। उत्तराधिकारियों से उनकी मंशा जाहिर है कि लेजिस्लेचर को इस बीच में आना चाहिये और यदि उनकी मंशा उनको सुरक्षा देने की है तो इस कानून में संशोधन करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं समझता हूँ जब यह कानून बनाया गया उस वक्त भी इस की मंशा थी और आज भी इस सदन की मंशा है कि सरकार को तुरन्त ही टिनेन्ट की परिभाषा में तब्दीली करनी चाहिये। आंध्र का, केरल का, मद्रास का, वेस्ट बंगाल का मैं पढ़कर नहीं सुनाना चाहता। उनकी जो टिनेन्ट्स की परिभाषा है उसमें साफ तौर से लिखा है कि 'टिनेन्ट' का मतलब उनके उत्तराधिकारी और जो भी उनके पीछे जा-नसीन होगा उनसे होगा और उसमें यह लेकुना नहीं रहा कि टिनेन्ट के मर जाने के बाद उसके उत्तराधिकारियों को उसका फायदा न मिल सके।

सभापति महोदय, इस निर्णय के साथ साथ एक बहुत गम्भीर स्थिति की ओर भी मैं राज्य सरकार का ध्यान खींचना चहता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हूँ कि आखिर सरकार की क्या मशीनरी है ? हाईकोर्ट में जो फैसले होते हैं, एडवर्स फैसले होते हैं जिसका असर आम जनता पर पड़ता हो, जिन कानूनों से आप जनता को राहत देना चाहते है और हाई कोर्ट का कोई फैसला उस कानून को अवैध घोषित कर दे या लेकुना बता दे जिसमे हजारों और लाखों नागरिकों पर असर पड़ता हो स्पीडी एक्शन लेने के लिये राजस्थान सरकार ने क्या मशीनरी बनाई है। क्या एडवोकेट जनरल को यह रेस्पोन्सिबिलिटी सौंपी है कि वह इस बात को देखता रहे कि हाईकोर्ट के फैसलों में कौन-कौन से ऐसे फैसले है जिनका गवर्नमेन्ट की पॉलिसी पर असर पड़ता है, जिनके बारे में गवर्नमेन्ट को फौरन रिपोर्ट की जानी चाहिए फौरन गवर्नमेन्ट के नोटिस में लाया जाना चाहिये। सभापति महोदया, एक तरफ यह दिखाई देता है कि यह सरकार गांधी जी के तीन बन्दरों की तरह बैठी हुई है। जो न सुनता है—कानों में उंगली लगी हुई है, न देखता है—आंखें बन्द हो गई हैं और न बोलता है—क्योंकि मुंह बन्द किया हुआ है। सभापति महोदया, मुझे आश्चर्य है यहां पर ला मिनिस्टिर हैं, ला डिपार्टमेन्ट है, एडवोकेट जनरल है, आज तक इस सरकार को नहीं पता कि ७-४-६६ को हाईकोर्ट ने इस तरीके से फैसला कर दिया। यदि आप अमेन्डमेन्ट करके उस टिनेन्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उनके उत्तराधिकारियों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो जिस गरीब के खिलाफ यह फैसला हुआ है आपकी लेथारजी और इन एक्शन के कारण वह तो मारा गया। हाईकोर्ट ने तीन महीने का टाइम दिया था कि डिग्री लागू न हो, कुम्भकरण ६ महीने में जगता था, अब बिजली बिजली हो गयी है तीन महीने में तो। यह सरकार जग जावेगी, लेकिन सभापति महोदया, यह तीन महीने गुजर गये। वह हरिवल्लभ गरीब वहां से निकाल दिया गया। लेकिन आप प्रोटेक्शन नहीं दे सके। कानून में संशोधन करके प्रोटेक्शन नहीं दे सके। सभापति महोदया, हालत तो यह है कि इस कानून की मयाद जब पिछले साल खत्म होने जा रही है टिनेन्ट्स चिल्लाये राजस्थान किरायेदार संघ चिल्लाया इस सरकार के सामने की मयाद खत्म होने जारही है, दस वर्ष पूरे हो गये, मयाद बढ़ाओ वरना हम निकाल दिये जावेंगे। तब ला डिपार्टमेन्ट जगा। एक आप हैं जिनकी कुम्भकरण की सी नींद नहीं खुली। आज भी नहीं खुली। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के पास वास्तव में यदि इस समय कोई इस प्रकार की रिपोर्ट करने की मशीनरी है तो उसको इस बात की इन्क्वायरी करनी चाहिए कि इस प्रकार के केसेज गवर्नमेन्ट के नोटिस में क्यों नहीं लाये गये। विधि मन्त्री जी की मजबूरी मैं मानता हूं। वे हाईकोर्ट में नहीं रहते, उनके पास फौरन फसला आ जाय यह जरुरी नहीं है। केसेज ए० आई० आर० में देर से रिपोर्ट होते हैं। उनके द्वारा उनको सूचना शीघ्र नहीं मिल सकती। आपकी एजेन्सी हाईकोर्ट, रेवेन्यू बोर्ड और ऐसी तमाम ज्युडिशियल ऑथोरिटीज के लिये वहां होनी चाहिये जो फौरन आपको इस तरह के फैसले से अवगत कराये ताकि आप फौरन इमिडियेट एक्शन ले सकें और यदि ऐसी एजेन्सी है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लें कि यह इनएक्टिवनैस क्यों दिखायी, और नहीं है तो फौरन एजेन्सी क्रियेट करें जिससे

Page No. 70

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आपकी लेथार्जी से जनता को नुकसान न हो।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (विधि मन्त्री) सभापति महोदया, मेरा ऐसा विश्वास है कि ज्यादा इस पर वाद-विवाद न हो और आप आज्ञा दें तो जल्दी ही इसका सुलभाड़ा हो सकता है। रामानन्द जी और अन्य माननीय सदस्य मुझ से इस सम्बन्ध में मिले हैं। इसका यहीं समझौता करते हों आपके सामने, तो ज्यादा अच्छा होगा।

सभापति महोदया, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरा ख्याल है अनभिज्ञता से ऐसा यह है कि कोई एजेन्सी क्रीयेट कर दी जाय राज्य सरकार और हाईकोर्ट के बीच में। यह प्रशासन का प्रश्न उनको मिलेगा। गवर्नमेन्ट एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट,एडवोकेट जनरल और ए.आई.आर. तो बाद में आते हैं। ये एजेन्सीज ऐसी हैं कि जब ऐसा कोई प्रश्न हाईकोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत होता है और जो उसमें निर्णय लिये जाते हैं तब और ऐसे निर्णय जिसमें सरकार की आवश्यकता कानून के प्रश्न पर पड़े तो राज्य सरकार के सामने वे जल्दी भेज दिए जाते हैं इस तरह यह प्रश्न भी जैसा अभी आप शब्द लेथर्जी वगैरा से संकेत दे रहे थे, नहीं है। मैं उसके लिये तो क्या कहूँ, लेकिन ७-४-६६ को यह जजमेन्ट हुआ।

जजमेंट में टीनेन्ट की परिभाषा का इन्टरप्रीटेशन किया गया और यह कहा गया कि इसमें कियायेदार के वारिस नहीं आते हैं इसलिये यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया किरायेदारों की दृष्टि से।

यह प्रश्न हमारे पास जब आया तो इसका सारा विश्लेषण किया गया। जब कानून में संशोधन का प्रश्न होता है तो उस पर उचित रूप से विचार और चिन्तन किया जाता है कि आगे कहीं इस प्रश्न पर और कोई समस्या तो पैदा न हो जाय।

मैं इस सम्बन्ध में सदन को कोई निर्णीत बात कहने की स्थिति में तो नहीं होऊंगा, पर विश्लेषण जरूर करना चाहूंगा कि जब टीनेन्ट की परिभाषा का प्रश्न टीनेन्ट के वारिसों को भी इस परिभाषा में शामिल करने का है तब इसके साथ ही बिजनेस प्रीमिजेज का प्रश्न भी इससे जुड़ जाता है और यह प्रश्न जब आता है तो तीगली और भी सवाल आते हैं।

ऐसी स्थिति में जैसा आपने कहा प्रश्न सामान्य सा है, ऐसी बात तो नहीं रहती। किरायेदार का प्रश्न जब सामने आता है तो मकान मालिक का भी प्रश्न आता है। मकान मालिक और किरायेदार के बीच की स्थिति इस प्रश्न पर अधिक से अधिक चिन्तन किया जाना उपयुक्त होता है। यदि किरायेदार के इन्टरप्रिटेशन में उसके वारिशों को भी शामिल कर दिया जाता है तो यह बहुत ही क्रान्तिकारी कदम है, स्तुत्य है और हमेशा के लिए किरायेदार को प्रोटेक्शन देने वाला है। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि किरायेदार को जहां प्रोटेक्शन मिलता है तो वहां मकान मालिक के प्रश्न पर भी अधिक नहीं तो कुछ रूप में गौर जरूर किया जाना चाहिये। मैं उनकी पैरवी नहीं करता हूँ। मैं किसी तथ्य या निर्णय पर नहीं पहुंचा हूँ। पर मैं माननीय सदस्यों के लिए सूचना

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

रख देना चाहता हूँ इसलिए कि जहां लैंड लार्ड का प्रश्न है वहां बिजनैस प्रेमिजेज का बहुत बड़ा प्रश्न भी है।

साधारण आर्थिक स्थिति वाला किराये-दार को प्रोटेक्शन मिलता है तो पास वाले का जिसका बिजनैस कन्सर्न चलता है उसको भी प्रोटेक्शन मिले तो यह स्थिति कहीं संघर्षमय न हो जावे। इसके साथ यह प्रश्न क्रांतिकारी कदम का है, सामाजिक व्यवस्था में क्रान्ति लाने वाला है। पर इसका इफैक्ट यह न पड़े कि आवासगृह बनना कहीं बन्द न हो जावे। अगर लैंड लार्ड यह समझने लगे कि किरायेदार पर देना मकान को खोना है या दुकान को खोना है। अगर यह भावना या डर लैंड लार्ड में उत्पन्न हो गई तो, सभापति महोदया, आगे चलकर यह नौबत आ सकती है कि कोई रहने का मकान ही न मिल सके। जो आबाद है वे तो हैं, पर आबाद होना जो चाहते हैं वहां रहने के मकानों के प्रश्न पर अभाव की स्थिति पैदा न हो जावे। ये दोनों प्रश्न तुलनात्मक दृष्टि से देखे जाने योग्य हैं। इसलिए इस प्रश्न पर जब से 'टीनेन्ट' की परिभाषा का महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया कोर्ट का फैसला होने के बाद, तब से सरकार ने इसको अपने सामने लिया और विधि विभाग की ओर से भी इस प्रश्न का गहन चिन्तन के साथ विश्लेषण किया गया। इसकी आगे आने वाली प्रति-क्रियाओं के सम्बन्ध में भी अत्यधिक गहराई से देखा गया।

मैं इस स्थिति में यह निवेदन कर सकता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है किरायेदार के सम्बन्ध में, उसके साथ साथ उस मालिक मकान की चिन्ता का भी समन्वय किया जाकर इस प्रश्न को गहराई से सोचा जाने के आधार पर यह प्रश्न अब राज्य सरकार के सामने विभाग से भेजा गया है यानी कैबिनेट के सामने अन्तिम निर्णय के लिये पड़ा है।

इसलिए मैं समझता हूं कि जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है इस प्रश्न पर पूरा विचार किया जा चुका है और कैबिनेट के सम्मुख अन्तिम निर्णय के लिए रख दिया गया है। इससे अधिक मैं इस स्टेज पर अर्ज नहीं कर सकता। और मेरा विश्वास है कि जो 'टीनेन्ट' की परिभाषा के सम्बन्ध में मैंने जो सदन के सम्मुख सारी परिस्थितियां प्रस्तुत की हैं उन सारी परि-स्थितियों पर विचार करते हुए राज्य सर-कार शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लेने वाली है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महो-दया, राज्य सरकार ने नोटिस में यह फैसला हाई कोर्ट का कौनसी तारीख को लाया गया यह बताने की कृपा करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जजमेंट के बाद गवर्नमेंट एडवोकेट के पास होता हुआ उसके माध्यम से जितना शीघ्र हो सका, सरकार के पास आया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो कोई उत्तर नहीं है। ५।। महीने हो गये इसे फिर इसमें कोई सीक्रेसी जैसी बात नहीं है। जनता से और गरीब किरायेदार के हितों से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसका सीधा सम्बन्ध है। इसके लिए नीचे के विभाग ढिलाई करते हैं जो हमारा काम सरकार का ध्यान इधर आकर्षित करने का है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वैसे नीचे से अगर विलम्ब हुआ होगा तो कान खींचूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बताइये तो सही कि कौनसी तारीख को आपके पास आया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे पास तारीख नहीं है इस समय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं यह जानना चाहता हूं, सभापति महोदया, कि प्रश्न तो यह है कि इस सदन की यह मंशा थी कि इस तरह के जितने केस चल रहे हों उनमें किरायेदार को प्रोटेक्शन मिले और सदन ने यही भावना इसका कानून बनाते समय प्रकट की थी। दो साल तक तन एजीटेशन चलने के बाद वह कानून पास हुआ। अब इसमें हाई कोर्ट यह मानती है कि उसमें कोई किरायेदार की डेफीनेशन में गलती रह गई है और इसकी वजह से जो लेजिस्लेशन की मंशा है वह पूरी नहीं होती है।

बड़े दुख के साथ हाई कोर्ट को यह फैसला देना पड़ा यह इस फैसले को देखने से जाहिर है। फिर अब यह आपके पेट में मकान मालिक कब से कूदने लगा ? और एक्स्ट्रानियस सरकमस्टान्सेज सामने लाकर कैसे रख दी ? जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाया और जिस भावना से किरायेदार को लाभ पहुंचाने की, उसको प्रोटेक्शन देने की, नीयत से बनाया, वह प्रोटेक्शन सरकार उसे देने में नाकामयाब रही।

ऐसी हालत में तीन महीने तक मौका दिया उस आदमी को कि उसे लेजिस्लेचर की मंशा के खिलाफ सफर नहीं करना पड़े। आप चेत जाते और ऑर्डिनेन्स निकाल देते डेफीनेशन किरायेदार के बारे में। पर आप ने इसके लिये ऑर्डिनेन्स नहीं निकाला।

आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया। इसके बाद विधि मन्त्रीजी सोच रहे हैं कि मकान मालिक का सवाल आ गया, बिजनैस प्रेमिजेज का सवाल आ गया। सीलिंग हो गया है जमीनों का। मकान मालिक हजारों हजार कमा रहे हैं उनका कोई सीलिंग नहीं बनाते। अब इन्कम का सीलिंग हो, यह कांग्रेस सिद्धान्त रूप से मानती है। उस सिद्धान्त के खिलाफ मकान मालिक की बात करके कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि इससे आवास गृह बनने बन्द हो जावेंगे। कोई मकान नहीं बनवाने का सवाल नहीं है यहां पर।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन सर। माननीय सदस्य का सवाल था, मैंने उत्तर दे दिया। इसके बाद तो ये शान्त हो जावें। क्या मुझे फिर प्रत्युत्तर देने का मौका दिया जावेगा ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे बोलने दीजिये। फिर आवेगा आपने प्रत्युत्तर का

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सवाल । अभी तो क्लैरिफिकेशन की बात है । आप खेत की बात को खलिहान में ले जाते हैं । आप कह सकते हैं कि आपने जवाब दिया । पर आपने यह नहीं बतलाया कि वह फैसला कब हुआ । कब आपको इन्फोर्मेशन हुई । कह दिया मकान मालिक का भी हमको ध्यान करना है क्योंकि मकान बनने बन्द हो जावेंगे । राज-स्थान में मकान मिलेंगे नहीं और जो हैं किरायेदार अभी उनको भी निकाल बाहर किया जावेगा, सड़कों पर डाल दिया जावेगा। क्या आप इसका इन्तजाम करना चाहते हैं ।

सीधा प्रश्न है । 'टीनेन्ट' क्या है ? उसकी डेफीनेशन का झगड़ा है । उसमें आप निश्चित रुप से कह सकते हैं कि एक्ट बनाते वक्त सदन की और सरकार की एक ही इच्छा थी कि 'टीनेन्ट' का मतलब है उससे और उसके वारिसों से । इसके लिये उसी समय स्टैप लेना था । आर्डिनेन्स निकलना था । पर आप जनता के हित के लिये आर्डिनेन्स नहीं निकाल सकते । दस दस वर्षों तक गलत काम करते रहें, उनको बिठाये रक्खें उनके लिये आप ऑर्डिनेन्स निकाल सकते हैं। जनता की बर-बादी का रास्ता निकालते हैं। पर गरीब आदमी की आवाज के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता पहले तो, फिर अब हाई कोर्ट में जाकर उसके हक में निर्णय होता है तो भी आप सोते रहते हैं ।

(२ म० प०)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभानेत्री महोदया, इस सम्बन्ध में मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा । माननीय मन्त्रीजी ने जो बात कही और नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा उस सम्बन्ध में मेरा यही निवेदन है कि कोई न कोई सरकार को मध्यमार्गीय नीति अप-नानी चाहिये लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक हाईकोर्ट के फैसले के द्वारा किरायादारों के जो अधिकार हैं उनका हनन हो । किरायेदारों को भी प्राटेक्शन मिलना चाहिये और माननीय मन्त्री महोदय बारबार यह कहते हैं कि सरकार की केबिनेट स्टेज पर यह प्रश्न विचाराधीन है तो विचाराधीन प्रश्न तो अनेकों और असंख्यों अब तक होने लग गये हैं और जैसा माननीय सदस्य नसी-राबाद से आने वालों ने कहा कि आप ऑर्डि-नेन्स तो निकालते हैं । तो मेरे ख्याल में यह भी ऐसी समस्या है कि उचित रूप से किरायेदारों को प्रोटेक्शन दिया जाये । मकान मालिकों के लिए भी पहले प्रावधान रखा ५ वर्ष में रिवीजन आफ रेन्ट वगैरह हो सकता है । आप मैक्सीमम रेन्ट भी लगायें, आप मार्केट प्राइज रेन्ट का समन्वय रखने के लिए प्रावधान रखिए-- अब आप लेजिस्लेशन तो इस विधान सभा में लाने से रहे । मेरे ख्याल में आपकी नीति यह है कि इलेक्शन के बाद ही विचार करेंगे । उस समय जो भी होगा तो वह होगा । लेकिन आप ऑर्डिनेन्स ला सकते हैं और टेनेन्ट्स को प्रोटेक्शन दे सकते हैं । मैं भी एक हद तक पक्ष में हूं कि मालिक मकानों के हितों का भी संरक्षण किया जाय । लेकिन आप बिल्कुल एक फैसले के ऊपर लकीर के फकीर बनकर रह जायं और फिर ऐसा बहाना बनाकर इस मामले से बिल्कुल शैल्फ कर दें यह अनुचित है और मेरे ख्याल में सामान्य बुद्धि के विप-रित है और न्याय की व्यवस्था के विपरीत

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हूँ। मैं आपसे जवाब नहीं चाहता लेकिन मेरा सुझाव है कि आपको इस बारे में विचार करना चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभानेत्री महोदया, इसका जवाब जो भी मन्त्री महोदय ने दिया है वह इसका कोई जवाब नहीं दिया है कि बिजनेस प्रिमिसेज में आज जो अस्थिरिता की स्थिति उत्पन्न हो रही है और राजस्थान के बड़े बड़े शहरों और बड़े बड़े मार्केटों प्लेसेस हैं उनके मकान मालिक अपने किरायेदारों से यह कह कर कि वे अब अपनी दुकान खोलना चाहते है इस जगह पर इस बिना पर उनको बेदखल करना चाहते हैं। 'टेनेन्ट' की डेफीनेशन में उसके सक्सेसर को भी इन्कलुड किया जाये इसके लिए हम ६ महीने वेट कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न तो उन सारे टेनेन्ट्स का है कि जिनको आज धमकियां मिल रही हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे आ रहे हैं और उनको बेदखल किया जा रहा है पर्सनल इन्टरेस्ट के आधार पर कि वह अब वहां पर अपनी दुकानें खोलेंगे। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि बिजनेस प्रिमिसेस के जो भी किरायेदार हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो भी अस्थिरता की स्थिति की आज राजस्थात में है उसके लिए भी कोई मसला राज्य सरकार के विचारधीन है या नहीं और उस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार की नीति है या नहीं इसका जवाब मन्त्री महोदय दे दें।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय सभानेत्रीजी,....

श्रीमती सभानेत्री : अब माननीय मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसके बाद तो उत्तर और प्रत्युत्तर नहीं होगा। उत्तर तो मैं दे चुका हूं। उसके बाद तो कोई उत्तर नहीं आता है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मुरलीधर जी व्यास अपना आकर्षण प्रस्ताव रखेंगे।

श्री भीखाभाई : मैं दो शब्द कहना चाहूँगा।

श्रीमती सभानेत्री : विवाद बहुत लंबा बढ़ रहा है इसलिए व्यासजी को बोलने दें।

श्री हीराभाई : मै तो यह जानकारी चाहता हूँ कि यह तो हमेशा होता रहता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज की मौजूदा सरकार की कैबीनेट या तो यह फैसला कर ले कि हम नीति को यहां पर मेन्टेन मानते हैं या तो यह ठीक है या फिर आचार्य जी खड़े होकर कह दें कि पूंजीपति या मकान मालिकों की राजस्थान सरकार वकालत करने वाली है। एक तरफ हमारी प्रजातन्त्र की सरकार का ढिंढारा पीटते हैं दूसरी तरफ ऐसी बड़ी वकालत करके जहां तक समाज का नारा देने वाली सरकार वापिस पूंजीपतियों की वकालत करना चाहती है और बहाना लेते हैं कि दुनिया में आबादी बढ़ रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

Page No. 75

(श्री हीराभाई)

मैं यह कह रहा था कि यह बहानेबाजी सरकार नहीं ले कि मकान बनने बन्द हो जाएंगे। किरायेदारों को भी फायदा हो जाये कि वह मकान भी नहीं बनाए इस तरह से खाली-पीली वकालत नहीं करें। अगर सही समाजवाद लाना है तो फिर नीति निर्धारित करनी होगी कि जितने किरायेदारों का शोषण हो रहा है उस पर रोक लगाई जायेगी और मकान मालिकों के ऊपर सीलिंग के बेसिस पर नये रेट के आधार पर रेन्ट निर्धारित करके किरायेदारों को फायदा देना चाहिये।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

वरना समाजवाद का नाम ही छोड़ देना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभानेत्री महोदया, जो उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दिया है, मन्त्री महोदय इन बातों की सफाई नहीं करना चाहते हैं जो ज्वालाप्रसादजी ने भी कही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके वक्तव्य का जो भी माननीय मन्त्रीजी ने उत्तर दिया है उसका तो एक ही उद्देश्य हो सकता है कि मंत्री जी ने मालिक मकान को सरकार ने अपना प्रावधान देने के लिए मजमून बताया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सारे मसले हमारे पास प्रस्तुत हैं। आपके सारे पाइन्टस हमारे पास हैं जिनके ऊपर हम निर्णय ले रहे हैं। जो माननीय ज्वालाप्रसाद जी ने कहा वह भी प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री जी ने अपने उत्तर में केवल कहा है कि मालिकों से न जाने क्या चिंता हो सकती है। सवाल यह है कि टेनेन्ट की डेफिनेशन चेन्ज कर दी जाये। यही मन्शा थी कि उसमें सक्सेसर को शामिल कर लें। करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ५ महीने हो गये यह भी नहीं बताया। आपने तो एक ऐसा सवाल खड़ा किया जो बिल्कुल नहीं था कि मालिकों के ऊपर क्या असर पड़ेगा....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : श्री व्यास !

(२. ८ म. प.)

किराया नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत दुकान मालिकों द्वारा किरायेदारों की बेदखली के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभानेत्री महोदया, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत दुकान–मालिकों द्वारा किरायेदारों की बेदखली से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : वही प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास : सभानेत्री महोदया, अभी जो भी हाईकोर्ट ने रूलिंग दिया उस पर जो भी स्थिति है उस पर अभी प्रकाश डाल ही चुके हैं। मैं खास करके जैसा कि अभी गृह मंत्री जी ने कहा मैं उनका ध्यान एक दो मुद्दों की तरफ खींचना

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहता हूँ। सबसे पहला तो यह जो किराये-दारों को बेदखल करने के संबंध में, जो नियंत्रण के सम्बन्ध में कानून बनाया गया था उस समय भी बहुत बहस हुई थी और सदन की क्या स्थिति थी और उस समय क्या स्पष्टीकरण था वह आज भी मौजूद है और मैं तो यहां तक कहता हूं कि विधि मंत्री महोदय जिस समय यह विधेयक आया उस समय एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स खुद देख लें इस आधार पर एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स लेकर यहां आये थे और किस तरह से डिस्कशन हुआ और बाद में यह बिल्कुल निश्चित रूप से सदन ने बिल्कुल मान्य कर लिया था कि किसी प्रकार की कोई बेदखली नहीं होगी। मन्शा उसकी यही स्पष्ट थी कि चाहे यहां तक कि कोर्ट में भी जाकर किराये का पैसा दे देता है तो उसे बेदखल नहीं किया जायेगा। मन्शा स्पष्ट है लेकिन इसके बावजूद यह हुआ कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद में उसका फायदा बड़े बड़े मालिकों ने और जो छोटे मोटे दुकानदार थे, छोटे मोटे धंधा करने वाले थे—इतना ही नहीं जो मकानों के अन्दर रहने वाले थे इन सब से फायदा लेकर नोटिस देना प्रारम्भ किया और उनकी मन्शा यह थी कि किसी प्रकार से हम किराया बढ़ा दें या और किसी प्रकार से फायदा ले लें और नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। ऐसे राजस्थान के अन्दर कम से कम हजारों लोगों के ऊपर कार्यवाहियां प्रारम्भ हो गई है और यह कार्यवाहियां चल रही हैं। यह राज्य सरकार को भी ख्याल रखना चाहिए कि अपने भी उद्योग हैं, राज्य सरकार के भी उद्योग हैं, बहुत से काम चलते हैं जिनके लिए जगह लेते हैं। आपने भी बहुत सी जगह ले रखी हैं जहां पर कि आप जगह लेकर किराये पर देते हैं। आपके कई कर्मचारी इधर से उधर जाते हैं, जयपुर-जोधपुर जाते हैं और उनको कइ मकान किराये पर लेकर रहना पड़ता है, तो उनको भी हर तरह से यह दिक्कतें आती हैं। दुकानदारों के सामने भी इसी तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इस प्रकार की हालत में सरकार की पहले भी खुद की भी मन्शा थी और सदन की मंशा थी कि कोई बेदखल नहीं होना चाहिये और वह सब चीजें मौजूद हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं अभी दो मिनिट में ही खत्म करता हूं।

तो जब इस प्रकार की रूलिंग दे दी तो उसके बाद में सरकार को फौरन, हाउस की मन्शा को और सरकार की मंशा को मद्देनजर रखते हुए फौरन आर्डीनेंस लाना चाहिए था और जो बेदखली होती है उसको रोकना चाहिये था। होना तो यह चाहिये था लेकिन यह नहीं हुआ, फिर भी मैं विधि मन्त्रीजी का ध्यान इस बात की ओर दिलाता हूं कि जो इस हाउस की मंशा है और सरकार की भी मंशा है, सरकार बदली नहीं है तो ऐसी हालत में आज जो इस प्रकार से बेदखली होती है उसको रोकने के लिए सरकार को तुरन्त आर्डीनेंस लाना चाहिए।

अभी ज्वालाप्रसाद जी ने जैसा कहा, मैं फिर याद दिलाऊं कि कांग्रेस ने एक नया प्रस्ताव पास किया है अभी अभी। अभी तक

(श्री मुरलीधर व्यास)

तो जमीनों की सीमा पर ही प्रस्ताव पास करते थे अब तो शहर के अन्दर भी जिन लोगों के इस प्रकार से कमाई के और भी बहुत से मार्ग हैं वहां पर यह सीमा लाना चाहते हैं। आज आप देख लीजिये कि हिन्दुस्तान के अन्दर कितना पैसा, कितना काला पैसा छुपा हुआ है और इस सारे छिपे हुए पैसे से मकान बना कर किराये कमा रहे हैं। इस तरह का यह धन बहुत ज्यादा है और इस प्रकार के मकानों के अन्दर बहुत ज्यादा पूंजी देश की लग रही है। वे लोग अपना पैसा इण्डस्ट्री में नहीं लगाते, दूसरे उद्योगों में नहीं लगाते तो इससे आपको भी नुकसान होता है और ये लोग इस धन्धे में बहुत ज्यादा पैसा लगा कर मुनाफा कमा रहे हैं इस उद्योग से। इस तरह से आप इस इण्डस्ट्री को पनाह नहीं दे रहे हैं, अपने मुल्क के उद्योग धन्धो को पनाह नहीं दे रहे हैं बल्कि इस प्रकार जो किराये के लिए मकानों में पैसा लगा रहे हैं उनको पनाह दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस मुल्क के अन्दर जो समाजवाद स्थापित करना चाहती है, कांग्रेस जो प्रस्ताव पास करती है कि शहरी आमदनी पर सीमा लगाना चाहते हैं तो आखिर शहरी आमदनी है क्या ? यह मकान किराये की ही तो आमदनी है। बम्बई-कलकत्ता, नागपुर जितने बड़े बड़े शहर हैं लोग इन मकानों से ही आमदनी कमाते हैं, आप इन पर सीमा लगाइए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसके अन्दर आप अविलम्ब आश्वासन दें कि हम यह धारा जो १३ है इसके अन्दर इस तरीके का अमेंडमेंड लायेंगे। इसी सम्बन्ध में जो दूसरे प्रदेशों की स्थिति है वह भी आपको कह दूं कि सारे प्रदेशों के अन्दर राजस्थान के अतिरिक्त, आसाम, दिल्ली, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि प्रान्तों में जितने भी इस तरह के कानून हैं उनमें यह है कि कोई किसी प्रकार से बेदखल नहीं कर सकता। मैं आपको आसाम का पढ़ कर सुनाता हूं।

Section 5 of the Assam Urban Areas Rent Control Act, 1961. इसके अन्दर स्पष्ट लिखा हुआ है :

"Bar against passing an execution or decree and orders for ejection: No order or decree for the recovery of possession of any house shall be made or executed by any court so long as the tenant pays the rent to the full extent liable under this Act and performs the conditions of a tenant."

तो आसाम के अन्दर इस प्रकार है। नीचे और भी क्लियर कर दिया है।

माननीय सभानेत्री महोदया, यह सारे जितने भी प्रदेशों के कानून हैं उनके अन्दर आप देख लीजिये, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब आदि सारे प्रांतों के, उनके अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था है। तो आज हम जो एक नयी समाजवादी व्यवस्था करना चाहते हैं और राजस्थान को भी एक प्रगतिशील प्रांत बनाना चाहते हैं तो इस मामले में ही हम दूसरे प्रांतों से पीछे क्यों रहें। इसलिए मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग मुझ से मिले हैं और मैं यह भी जानता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी से लोग मिले हैं।

(श्री मुरलीधर व्यास)

उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि यह सरकार भी बहुत जल्दी इसमें सुधार लायेगी। मैं समझता हूं कि आपसे भी लोग मिले हैं। तो इस मौके पर आप यह इस सदन में आश्वासन दें कि सरकार भी इस मुद्दे पर इसी दृष्टि से विचार करती है और इसी तरह के विचार रखती है। आप इतना ही अगर यहां पर कह दें तो यह बहुत बड़ा आश्वासन होगा कि सरकार की खुद की मंशा इस रही है और सदन की मंशा भी रही है, उस मंशा को शीघ्र सरकार पूरा करने का प्रयास करेगी। इन शब्दों के साथ ही मैं विधि मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : सभानेत्री महोदया, किरायेदारों से सम्बन्धित........

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, इस पर काफी बहस हो चुकी है, आप अब बैठ जायं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं दो मिनिट ही कहना चाहूंगा।

सभानेत्री महोदया, जो भावनायें सदन में व्यक्त की गई हैं और जो बातें मुख्य मन्त्री ने समय समय पर कहीं हैं उन्हें, जो सेक्शन १३ एक्ट का मौजूद है, वह एक छुरी की तरह उस भावना को जिबह कर देता है। सेक्शन १३ के मुताबिक एक मकान मालिक या दुकान का मालिक इन आधारों पर एक किरायेदार को बेदखल कर सकता है : "For the use of occupation of himself, or for his family, for a public purpose, for a philanthropic use........"

तो कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती, कोई इस किस्म की रोक नहीं रही जिससे कि मकान का मालिक या दुकान का मालिक इस राजस्थान के कानून के अन्दर किसी भी समय किरायेदार को बेदखल नहीं कर सकता।

सभानेत्री महोदय, इस राजस्थान की दो करोड़ जनता में से ८० प्रतिशत, ९० प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जैसा कि राजस्थान की सेंसस रिपोर्ट १९६१ से क्लियर हो चुका है और उसके आँकडे बड़े गम्भीर रूप से सामने आए हैं कि जिनके पास अपने खुद का रहने का मकान नहीं है, न बिजनेस के लिए दुकान है। और आस-पास का कोई प्रान्त ऐसा नहीं जिसमें किरायेदारों को, चाहे वह पंजाब हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे वह बंगाल हो या बिहार हो या वह बम्बई हो कि जिनमें किरायेदारों की इस प्रकार की इतनी कमजोर स्थिति हो। उसको किसी भी समय उठाकर सड़क पर रख दिया जाएगा। एक दुकानदार को निकाल कर रख देते हैं तो उसका सारा धन्धा बाजार में चौपट हो जाता है और जब तक हजारों रुपया पगड़ी का इकट्ठा नहीं कर ले उसको बड़े शहरों में अच्छी दुकान मिल नहीं सकती।

सभानेत्री महोदया, उप नेता दल के बैठे हुए हैं और वे सरकार की नीतियों के बहुत बड़े वकील हैं। डीवेल्यूएशन सरकार ने किया उसके, सरकार की फूड पॉलिसी के

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

सरकार की सारी उन नीतियों की उन्होंने जितनी बड़ी एडवोकेसी की है उतनी स्वयं सुब्रह्मण्यम्, शचिन चौधरी और अशोकमेहता भी नहीं कर सके हैं और इसीलिए इन्होंने समाजवाद के नारे की वकालत की है और ये राजस्थान के उप नेता महोदय अब इन मकान मालिकों की वकालत करेंगे बड़े जोर शोर से क्योंकि कांग्रेस का जो घोर प्रति-क्रियावादी कोना है, या कांग्रेस का जो घोर अन्धकारपूर्ण कोना है उसके ये नेता हैं और ये उसके सबसे बड़े एडवोकेट हैं।

(व्यवधान)

मुझे जो दर्द होता है और विपक्ष के लोगों को जो इससे दर्द होता है और लज्जा महसूस करते हैं कि डीवेल्यूएशन किया गया, उसी तरह से कांग्रेस में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इससे लज्जा महसूस होती है और कांग्रेस में ही आप जैसे लोग भी मौजूद हैं जो किरायेदारों की इस स्थिति से चिंतित है। इसलिए....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : रूस वालों ने भी किया है

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रूस वालों की बातें आप छोड़ो, आप तो आसींद की बात करो जहां आपकी हालत पतली है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : डीवेल्यूएशन उनके लिए जरूरी हो गया है क्योंकि फॉरिन एड कहां से मिले? वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया है कि कुछ नहीं मिल सकता। कंगाल कभी खुशहाल हुआ है !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कंगाल भी ऐसा कंगला कि जिसने दुनिया में भीख मांगने का रिकार्ड तोड़ दिया। गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े देश का रिकार्ड अगर किसी ने तोड़ा है तो इस कांग्रेस ने तोड़ा है। इसमें कुछ खुद्दार कांग्रेसी भी हो सकते हैं।

तो, सभानेत्रीजी, मैं अर्ज करूंगा कि इस सम्बन्ध के अन्दर जो विभिन्न प्रान्तों के कानून हैं और जो उनको राहतें मिली हैं उनका एक मेमोरेण्डम जो किरायेदार संघ, बीकानेर ने प्रस्तुत किया है सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए उसको सदन की टेबल पर रख देता हूं ताकि मन्त्री महोदय उसका अध्ययन कर लें और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि किरायेदारों और दुकानदारों को इस स्थिति में रखना चाहते हैं। एक दलील वे बहुत जल्दी दे देते हैं कि यह कानून बना दें तो मकान बनने बंद हो जायेंगे, दुकानें बनना बन्द हो जायेंगी, विकास होना बन्द हो जायेगा, वे यह बताने की कोशिश करेंगे। तो मध्यप्रदेश में कितने मकान बनने बन्द हो गये, कितनी दुकानें बनना बन्द हो गई? पंजाब में क्या मकान बनने बन्द हो गये? दुकानें बनना बन्द हो गई? बम्बई में क्या कन्स्ट्रक्शन ऑफ दी हाउस होना बन्द हो गया? मेरे ख्याल से भारतवर्ष में दुकानें और मकान वर्ष प्रति वर्ष बनते चले जा रहे हैं। कलकत्ते में क्या इम्पेक्ट हो गया? आज उन्होंने किरायेदारों को प्रोटेक्शन दिया है। कृपा करके इसका अध्ययन करें कि क्या वहां पर कन्स्ट्रक्शन ऑफ दी हाउस खत्म हो गया है? वहां पर किरायेदारों के लिए प्रोटेक्शन है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इसीलिए, सभानेत्री, जी मैं नम्रता से अर्ज करूंगा कि सेक्शन १३ में तरमीम की बहुत बड़ी जरूरत है। किरायेदारों के प्रोटेक्शन की बहुत बड़ी जरूरत है, और इसमें तरमीम लाने की बहुत बड़ी जरूरत है कि मकान मालिक किसी भी हालत में अपने किरायेदारों को नहीं निकाल सकते। इसी सदन में जब इसी एक्ट के बारे में एक गैर सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था तो सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया था। सरकार आज उस बात के लिए कमिटेड है। माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल के प्रस्ताव पर बहस हुई थी तो उस बहस पर वोटिंग के समय सरकार ने कमिट किया था वे स्वयं एक बिल लाकर राजस्थान के किरायेदारों को एक प्रोटेक्शन देंगे। मैं आज याद दिलाऊं उनके उस आश्वासन की। सारे राजस्थान में किरायेदारों के संगठन बन जायं और यह सरकार वैसे तो जैसी कि कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानने पर चलती है। अगर किरायेदारों ने कोई बहुत बड़ा आन्दोलन राजस्थान में खड़ा कर दिया तो कल से यही सरकार इन सारी बातों को जिनके लिए वह एडवोकेसी करती है मानने के लिए तैयार है। और मैं उन्हें अर्ज कर दूं कि आपने कमिटमेंट किया है उसको मान लीजिये और उनको इस बात के लिए मजबूर न करें गरीब दुकानदारों को कि राजस्थान व्यापी आन्दोलन का प्रश्न खड़ा करें। कोई प्रश्न हो, चाहे हाई कोर्ट का प्रश्न हो, गरीब किरायेदारों का प्रश्न हो, भूमिहीनों की बेदखली का प्रश्न हो या रून्ध तोड़ने का प्रश्न हो या पानी से ताल्लुक रखने वाला प्रश्न हो....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

यह सरकार जब तक जनता उसके लिए आन्दोलन नहीं करे, जब तक जनता सरकार के दफ्तरों को न घेर ले ये इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए इन प्रजातन्त्र के शत्रुओं से मैं नम्र निवदेन करना चाहता हूँ कि प्रजातन्त्र की अगर रक्षा करना चाहते हों तो जनता के गुस्से को जागृत नहीं किया जाय। जनता के सब्र का पैमाना आज लबरेज़ हो चुका है। उसको ठुकराओ मत, वरना यह पैमाना छलक जायगा और आप उसमें डूब जायेंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (विधि मंत्री): मैं इसको लीगली एक्ज़ामिन करा लूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पैमाना तो रोज ही छलकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी भावनाओं के आधार पर, तथ्योंके आधार पर सैक्शन १३ में कोई अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं इस सारी स्थिति को लीगली एक्जामिन कराऊंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रात भर रोये और मरा एक नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(२.२५ म. प.)

मंत्रि–मंडल के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार विमर्श

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : सभानेत्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि....

श्रीमती सभानेत्री :(श्री नाथूराम मिर्धा एवं श्री रामानन्द अग्रवाल के आपस में बात करने पर) Order please ! माननीय मंत्रीजी !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : "यह सदन राजस्थान की वर्तमान मंत्रि परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।"

सभानेत्री महोदया, इस तृतीय विधान सभा के कार्यकाल में यह चौथी बार है कि मंत्रि–परिषद् में अविश्वास का मोशन, अविश्वास का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष लाया गया है। मैं यह समझता हूं.....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदया, केबिनेट के मंत्री लोग उपस्थित न हों विरोधी दल के लोग बोलें उस समय भी। साधारण शिष्टाचार तो यह है कि वे उपस्थित हों। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनको आमन्त्रित करें उपस्थित होने के लिए। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। किसी भी देश के अन्दर अविश्वास का प्रस्ताव हो और विरोधी दल के नेता बोलें और मंत्री-महोदय अपने कमरे में बैठे रहें, यह अच्छी परम्परा नहीं है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : मंत्रीगणों को अपनी जिम्मेदारी का खयाल है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभानेत्री महोदया, माननीय मुख्य मंत्रीजी अस्वस्थ हैं ऐसा सुना गया है। वे इस विधान सभा के इस सत्र में पहली ही बार कुछ मिनटों के लिए यहां आये थे। उनको देखा भी था। अगर अस्वस्थता के कारण वह गये भी होंगे तो मेरे ख्याल में यह कमी एक हद तक क्षम्य है यह मैं मानता हूँ। दूसरे मंत्री महोदय यहां पर आये हैं, वे मेरे ख्याल से पर्याप्त हैं, अगर मुख्य मंत्रीजी आ सकते तो अच्छा होता।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सभानेत्रीजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी अभी यहां थे और आपके बोलने का इन्तजार भी किया था। दो घंटे तक ठहरे थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए चले गये, वरना वे आये इसीलिए थे कि आपका भाषण सुनें। वह माफी चाहकर चले गये।

एक माननीय सदस्य : आप तो हैं ही।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं हाजिर हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपके इस उत्तर से मेरी सहानुभूति है, और मैं इस संबंध में कोई आपत्ति उत्पन्न नहीं करना चाहता। इन्सानियत के नाते मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी जल्दी ही स्वस्थ हो जायेंगे। यह तो विचार-धाराओं और भावनाओं का आवेश है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कितने ही मतभेद हों लेकिन व्यक्तिगत में मेरे ख्याल में कोई अस्वस्थ व्यक्ति हो तो दुर्भावनाएं क्यों प्रकट करें ? क्या आवश्यकता है ? हमको तो सरकार की रीति-नीतियों से विरोध है और मैं समझता हूं कि जो कुछ भी बात कहनी होगी वह कहेंगे लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी छोड़ेंगे नहीं ।

सभानेत्री महोदया, चाहे कैसा भी राज्य हो, चाहे वह बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे उसका शासन जनतन्त्र के आधार पर चलता हो, चाहे व अधिनायकवादी शासन हो, चाहे वह राजावाद में विश्वास करके उसका शासन आधारित हो, किन्तु मैं यह समझता हूं कि हरएक राज्य का माप दण्ड यही है कि उसका शासन अच्छा है या बुरा है वह इन तीनों मुद्दों पर, मेरे ख्याल में, आधारित है । वह मापदण्ड उस राज्य की सुरक्षा-नीति के सम्बन्ध में, राज्य की गृह नीति के सम्बन्ध में, और राज्य की अर्थ नीति के सम्बन्ध में है । ये तीनों मुख्य मापदण्ड हैं जिनके ऊपर जनता सामान्य बुद्धि से यह निर्णय कर सकती है कि वह राज्य सुशासित है या कुशासित है । जहां तक........

(२.२६ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सुरक्षा नीति का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, यह सीमा का विषय होने के कारण मैं सदन का बहुमूल्य समय जो है वह विशेष रूप से नहीं लेना चाहता । जब हमारा देश संकटकाल के अन्दर तरह तरह की आपत्तियों में से गुजर रहा था, सीमाओं के ऊपर तरह तरह के अतिक्रमण और आक्रमण हो रहे थे उस संबंध में मेरी कोई विवेचना करने की इच्छा नहीं, लेकिन राजस्थान की लोकल समस्याओं को लेकर और जहां तक उसकी सुरक्षा नीति का संबंध है इतना तो मैं विश्वास के साथ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहूंगा कि जिस तरह से जोधपुर जैसे ऐतिहासिक और प्राचीन नगर के साथ इस सरकार ने विश्वासघात किया वह मेरे ख्याल में निन्दनीय विषय है और हमारे भारतवर्ष जैसे विशाल देश के लिए एक अशोभनीय व्यवस्था है । वहां के नागरिकों की विचारधारा यह नहीं थी कि वे सिर्फ अरक्षित हैं किन्तु जिस तरह से मक्खन के अ. छुरी निकल सकती है आराम से as if knife plies through butter पाकिस्तान के हवाई जहाज जोधपुर पर आ आ कर एक दिन नहीं, दो दिन नहीं कई दिन तक हमला करते रहे । हमले करते रहे और क्षति पहुंचाते रहे और हमारी तरफ से इतने बड़े शहर को अरक्षित रखने में विवश थे । लेकिन यह विवशता कितनी बुरी और लापरवाही के कारण थी और यह किस क्षण में दिखाई गई थी । यदि मैं इसको लापरवाही कहूं तो अतिरंजित नहीं हो सकता ।

जहां तक गृह नीति और अर्थ नीति का सम्बन्ध है, मैं कुछ बातें गृह नीति और अर्थ नीति के सम्बन्ध में अवश्य कहना चाहूँगा । मेरे ख्याल से जहां तक गृह नीति से सम्बन्ध

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

है आपकी नीतियां आपके शासन की कमियां, सारे राजस्थान में हैं। मैं तो यह कहूंगा कि सारे देश की जो अर्थ व्यवस्था है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं यह कह सकूं कि यह नियंत्रित अर्थ व्यवस्था है। यदि नियंत्रण ही समाज के अन्दर नहीं है, यदि मानवता या इन्सानियत ही समाज के अन्दर नहीं है तो वह समाज आपका सफल समाज नहीं कहा जा सकता और वह राष्ट्र कभी प्रगतिशील राष्ट्र नहीं हो सकता। खास करके जनतंत्र की प्रगति पर उसका शासन आधारित है तो जनतंत्र में राष्ट्रीय चरित्र पर नियंत्रण परम् आवश्यक है। इस राष्ट्रीय चरित्र को भंग करने में सबसे बड़ा हाथ आपकी इस कांग्रेस की निकम्मी सरकार का है। आपने १८ वर्ष के अन्दर क्या किया यह आप मन के अन्दर जानते हैं, आप गुनहगार हैं किन्तु आप कहने के लिए अपने आपको सफेद बनाये रखते है और आपने सफेद पोशाक धारण की है लेकिन आप मन के काले हैं, मन में मैल है। आप बगुला भक्त के माफिक अन्दर से काले हैं, ऊपर से सफेद हैं। खड़े रहते हैं एक पांव ऊंचा करके और सामने मछली आती है तो गपक करके गिट जाते हो....

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : आप मगर मच्छ हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हम तो मगर मच्छ नहीं है हममें तो इन्सानियत है। यदि इधर आकर हमको मौका दी तो इन्सानियत की बात पर इन्सान की तरह से कुछ दिखा सकते हैं...

श्री मुरलीधर व्यास : मौका ये क्या देंगे; अब तो मौका आयेगा ही।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : देश में अशान्ति क्या खेत, क्या खलिहान, क्या मकान, क्या शहर और क्या गांवड़े सब जगह व्याप्त हैं। मैं तो इस हद तक कहता हूं कि मैंने खुद ने देखा है, ये भी जानते होंगे नाथूराम जी, मथुरादास जी जैसे लोग भी जानते हैं। बस में अपरिचित लोग भी बैठते हैं तो आप के ऊपर कीचड़ की बौछार करते हैं, आंख मिलाते वक्त शुरू करते हैं और ऐसी बातें कहते हैं कि कानों के कोड़े झड़ जायं, इतनी तारीफ के पुल आपके बांधते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसीलिए इन्होंने बस में बैठना छोड़ दिया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इनको कोई शर्म हो तब न।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले ये यह कहा करते थे राजाओं के जमाने में कि राजा रावण थे। वह तो गये, रावण तो खत्म हुए लेकिन अब ये अहिरावण पैदा हुए जिन्होंने कण कण के लिए जनता को भूखों मारा, कोई अनाज की व्यवस्था नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था नहीं। १८ वर्षों में आपने अरबों-खरबों बाहर से रुपया लाकर, अरबों-खरबों रुपयों का लोगों पर टैक्स लगा कर इस देश की क्या दशा की है। इन्होंने इस देश पर इतना ऋण चढ़ाया है कि सारे विश्व में किसी स्वतंत्र देश पर इतना ऋण नहीं होगा। इस देश में आपने इतना टैक्स लगाया है कि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

शायद ही किसी देश में इतना टैक्स हो। आज आप कहते हैं कि आप समाजवाद लाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इस तरीके से समाजवाद नहीं आयेगा। मैं समझता हूँ इस तरीके से मुझे केवल एक रास्ता ही दिखाई दे रहा है, समाजवाद का रास्ता नहीं अपना रहे हैं बल्कि एक भ्रष्ट अधिनायकवाद का रास्ता अपना रहे हैं।

आपने भारतवर्ष की जनता को क्या दिया ? आपने उसको भूखों मार दिया, आपने उसको रिश्वतखोरी दी, आपने जलालत दी। क्या आप समाजवाद ला सकते हैं ? आज जनता को खाने को नहीं मिल रहा है। आज जनता शहरों में, गांवों में दाने दाने के लिए लंबी क्यूज में खड़ी रहती है। १२-१२ बजे तक रात को दुकानों के ऊपर मो किलो अनाज के लिए तरसती है। इस समय आपने उचित क्या समझा कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाय। बड़े खेद का विषय है, मजाक का विषय नहीं है आप इस तरह के मेनिपुलेशन, कंप्युटेशन के जरिये कायम रहना चाहते हैं तो आप परंपरा ऐसी स्थापित कर रहे हैं जो भविष्य में देश के लिये महान् अहितकर है। मैं समझता हूं आप वही करेंगे और वही किया इसलिए आप विश्वास जनता का और हमारा खो चुके हैं। राजस्थान जैसे राज्य के लिए ८-६ मंत्रियों से अधिक क्यों हों ? इसका क्या कारण है ? इसके इतिहास को देखा जाय तो महान निंदनीय है। इस इतिहास को देखते हुए किसी सीधे सादे सामान्य आदमी का विश्वास मंत्रिमंडल में घटेगा, बढ़ेगा नहीं। आपने ८ से १०,१६, १८ और २४ मंत्री किये, आपको अधिकार है बढ़ाने का। बढ़ाते बढ़ाते कोई ताज्जुब नहीं ५० मंत्री बना लो। जनतंत्र का मखौल करके आपने जो कुछ किया है वह निंदनीय ही नहीं है बल्कि मेरे ख्याल से आपको शर्म आनी चाहिए। पहले दिन मैंने देखा कि मेरे सामने बैठने वाले महानुभावों को मैंने गिना तो पहली, दूसरी और तीसरी कतार तक मंत्री और उप मंत्री विराजमान थे और इसके चंद घंटों के बाद आपकी जनतंत्र में निष्ठा देखी कि ६-७ सदस्यों से अधिक हाउस में नहीं थे, कभी कभी तो कोरम भी नहीं है। इससे तो अच्छे बेचारे विरोधी पक्ष के लोग ही हैं जो अच्छी जनतंत्र की परंपरा को निभाने के लिए रात को दस दस बजे तक एसेम्बली को चलाते हैं। चाहे जो कुछ भी कहते हों पर चलाते तो हैं ही। आप जनतंत्र में विश्वास नहीं रखते, आप अधिनायकवाद और भ्रष्टाचार के हामी हैं।

आज नियंत्रण देखा जाय तो देश में विद्यार्थी जो हमारे देश के भविष्य निर्माता हैं वे किधर जा रहे हैं। यदि विद्यार्थीगण कानून को अपने हाथ में लेते हैं, यदि विद्यार्थीगण यह निर्णय लेते हैं कि सामान्य रूप से शिक्षा व्यवस्था उनकी स्वेच्छा के अनुसार हो जाय तो शिक्षा पर क्या नियन्त्रण रहेगा, क्या राष्ट्र के चरित्र का निर्माण आप करेंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार इसके ऊपर कोई निर्णय भी लेती है तो निर्णय लेने के पश्चात् आतंकित होकर आये दिन उस निर्णय को तोड़ती है। यह आज की नहीं कांग्रेस की कई वर्षों की परम्परा है और इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से कई वर्षों से चली आ रही है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

भाषावार राज्य बनाने के बारे में मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ। कहने को तो बहुत है लेकिन इतना और कहूँगा मुझे याद है राज्य सभा में उस जमाने में मैं हुआ करता था। यह प्रश्न आया कि मैसूर, आंध्र और हैदराबाद का विभाजन हो उस समय स्वर्गीय मौलाना आजाद ने सदन के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्तमान जो राज्यों की व्यवस्था है, जो सीमायें हैं उसमें परिवर्तन उन्होंने कहा—परिवर्तन हर्गिज, हर्गिज नहीं होगा। उन्होंने इन कैटेगोरीकल शब्दों में कहा। खेद का विषय है, उपाध्यक्ष महोदय, कि दो दिन के बाद एक सज्जन ओ०टी० रामालू ने भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक की और छः-सात दिन में गुजर गये।

श्री नत्थीसिंह :(गोविन्दगढ़) ४९ दिन। Fortynine days,

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Fourty-nine days, Sorry। माननीय सदस्य का कहना है कि ४९ दिन में गुजर गये। ४९ दिन में गुजरे तो ६० वें दिन यह व्यवस्था हो गई, यह आश्वासन भी दे दिया गया कि मद्रास का विभाजन हो जायगा, आन्ध्र की सीमा नव रूप से निर्धारित हो जायगी। तो आज जैसा देश के अन्दर भाषावाद और प्रान्तीयतावाद इस तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि मानों हमारी भावात्मक एकता ही समाप्त हो गई हो, मैसूर और महाराष्ट्र के बीच में जो सीमा विवाद है वह मानो जिस तरह दो स्वतन्त्र राज्यों में सीमा-विवाद हो उसी तरह का विवाद है, वहां के मुख्य मन्त्री जब मिलते हैं तो उनके मन में पारस्परिक भावनायें, जैसे सौ वर्ष पहले राजाओं के मन में होती थीं, उस प्रकार होती है। यह क्या है? यह क्या एक देश है? हमारा क्या हो रहा है? हम किधर जा रहे हैं? यह जनतंत्र का क्या होने वाला है? मेरी समझ में नहीं आता। राजस्थान पत्रिका का भी बार बार सदन के समक्ष वद-विवाद हुआ। आपको जो कुछ निर्णय लेना हो आप लें। मैं इस बात का हामी नहीं हूँ कि विद्यार्थियों को क्रिमिनल के माफिक बरता जाय। कैसे यह हो सकता है? सरकार के लिए ऐसी व्यवस्था सर्वथा अशोभनीय है लेकिन आखिरकार आपको कोई न कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। आप कोई सरकार हैं? मुझे बताइये। यह तो भड़भूंजे की दुकान है।

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत अच्छे शब्द हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह तो उससे भी गये बीते हुए हैं।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : तालियां बजाओ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज मंहगवारी का सवाल है। मंहगवारी दिन पर दिन गगन चुम्बी होती जा रही है। खाद्यान्न और जीवन के लिए आवश्यकता की वस्तुओं के भाव इतने बढ़ गये हैं। सरकार, खाद्य मन्त्री, अन्य माननीय मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री बार बार कह चुके हैं कि यह बढ़ती हुई कीमतें हैं—यह अच्छी चीज नहीं। बढ़ती हुई कीमतों

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पर हम काबू पाने की कोशीश करेंगे। लेकिन आप क्या काबू पाने की कोशिश करेंगे। आपके शासन की व्यवस्था तो परमिट, कोटा, लाइसेन्स पर आधारित है। जहां परमिट, कोटा, लाइसेन्स और मोनोपोली की पद्धति के ऊपर आप शासन संचालन करते हैं वहां खुशहाली और समाजवाद कैसे आ सकता है? यह मेरी समझ में तो नहीं आ सकता। यह तो समाजवाद के घातक दुश्मन हैं और कन्सेन्ट्रेशन ऑफ वेल्थ के अड्डे हैं। यह अड्डे इस तरह के हैं कि आपके रिसोर्सेज को भी बिल्कुल गलत चैनल्स में डाइवर्ट कर देते हैं। जिस चीज में आप जहां कोटा देते हैं, जहां पर भी आप परमिट देते हैं, जहां पर भी आप लाइसेन्स देते हैं उस चीज का अभाव सारे उस क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन मैं उदाहरण के रूप में यह कहूंगा कि आपने गोल्ड कन्ट्रोल किया। अगर बहुत से सरमायेदारों का सोना लेना था तो वह भी मैं एक हद तक सही समझ सकता था। लेकिन गोल्ड कन्ट्रोल करके आपने गोल्ड के तस्कर व्यापार को दुगना-तिगुना बढ़ाया है। आज स्थिति यह है कि पचास आदमी सोने को स्मगल करके लाते हैं तो उनमें से आप दो आदमियों को पकड़ते हैं। सिर्फ दो आदमियों को पकड़ते हैं। यह क्या शासन व्यवस्था है। आज अरबों रुपये का गोल्ड आता जाता है फिर आपने किस लक्ष्य से गोल्ड कन्ट्रोल किया– यह भी मुझे मालूम नहीं पड़ता कि आपका क्या लक्ष्य था। उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्य आपका जो कुछ भी रहा हो वह तो गौण रहा लेकिन परिणाम तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बापड़े हजारों सुनारों को बिल्कुल एक हद तक शरणार्थियों से बदतर कर दिया, उनकी रोजी-रोटी आपने समाप्त कर दी और जो उनको रिहेबिलिटेट करने के वास्ते व्यवस्था की उसमें इतनी ढिलगाई और रेड टेप इस सरकार की कि काफी समय तक कोई सुनारों की सुनवाई नहीं। उनको सुव्यवस्थित ढंग से रिहेबिलिटेट करने के लिए आप कुछ नहीं करें। इसके अलावा दूसरी चीजों के अन्दर कन्ट्रोल किया तो उनका भी अभाव हो गया। शक्कर का कन्ट्रोल किया तो शक्कर का अभाव हो गया, चावल का कन्ट्रोल किया तो उसका भी अभाव हो गया और फूड ग्रेन्स का कन्ट्रोल किया तो उसका भी अभाव हो गया। इसके अलावा आपने टिन-शीट्स का कन्ट्रोल किया तो टिन-शीट्स का भी अभाव हो गया। टिन-शीट्स के अन्दर ब्लेक मार्केट, सुगर के अन्दर ब्लेक मार्केट, राइस के अन्दर ब्लेक मार्केट, फूड ग्रेन्स के अन्दर ब्लेक मार्केट और सब चीजों के अन्दर ब्लेक मार्केट आखिर यह ब्लेक मार्केट कराता कौन है? इस ब्लेक मार्केटिंग के लिए, कालाबाजारी के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, कोई गुनाहगार है तो वह राजस्थान की सरकार है (हियर, हियर) आपने मोटे अनाज की व्यवस्था की, तो मोटा अनाज की भी काला बाजारी, मोटे अनाज के भी मेरे ख्याल से दर्शन दुर्लभ हो गये। हमारे डूंगरपुर के सम्बन्ध में खाद्यान्न की बहस के दौरान वहां की खाद्यान्न समस्या के बारे में कह चुका हूं, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता किन्तु मैं इतना अवश्य निवेदन करना चाहूंगा........

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कल उत्तर भी दे दिया था। आप पधार गये थे, मुझे अफसोस है, पर मैंने सब बातों का उत्तर दिया था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री जी, मुझे खेद है, उत्तर आपने देरी से दिया था। मैं चला गया था लेकिन उत्तर आपका सदन की प्रोसीडिंग्स में मैं ध्यानपूर्वक पढ़ूंगा। आपका उत्तर जो कुछ भी है उसको मैं ध्यान से पढ़ूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : धन्यवाद !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हो तो मुझे अधिकार है कि मैं अपना असंतोष बराबर व्यक्त करूं। मेरी निश्चित धारणा है कि डूंगरपुर में मोटे अनाजों में मुख्यतया बाजरा और ज्वार नहीं मिलती है, मक्का मिलती है और उस मक्का को भी स्टार्च फैक्ट्री में भेज देते हैं तो आप शासन करते हैं या गाढ़ी निद्रा में, जैसा किसी ने कहा, कुम्भकरण के माफिक, सोते रहते हैं। आप सोते रहते हैं या नहीं–यह मुझे पता नहीं। लेकिन आपको विजिलेण्ट रहना चाहिए और जनतंत्र के अन्दर कान्स्टेन्ट विजिलेन्स की कीमत है, कान्स्टेन्ट विजिलेन्स के द्वारा ही जनतंत्र जीवित रह सकता है, नहीं तो मेरे ख्याल में जनतंत्र जीवित नहीं रह सकता। आपको इस सम्बन्ध में गहरे रूप से विचार करना चाहिए।

मैं आपके मेन्युफेक्चर के सम्बन्ध में भी एक शब्द निवेदन करूंगा। आपके मेन्युफेक्चर में महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है तो वह किर्लोस्कर पम्प है। यहाँ तीन हजार रुपये में किर्लोस्कर पम्प मिलता है। लेकिन मेरे ख्याल में अफ्रीका के देश-कीनिया आदि के अन्दर बारह सौ रुपये भी उसके लिए देने को तैयार नहीं और आपके अवमूल्यन के पश्चात् तो आठ सौ- नौ सौ रुपये में उसे लेने को तैयार नहीं है। आपको स्वदेशी चीजों का मेन्युफेक्चर करना है, उत्पादन करना है तो आप अच्छी चीजों का उत्पादन करिये और स्वस्थ प्रतियोगिता, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को दृष्टिकोण में रख कर उत्पादन में वृद्धि करें और कोई अच्छी चीज बनावें तब तो ठीक है। वरना मैं समझता हूं कि यह तो भोले-भाले और गरीब जनता के लोगों को ठगना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। स्टील के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि मिलाई वगैरह में आपने किस तरह का इस्पात प्रॉड्यूस किया है, वह आप जानते हैं। लेकिन इसके सम्बन्ध में कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि यह विषय आपसे सम्बन्धित नहीं।

न्याय के सम्बन्ध में मैं अवश्य कहूँगा, गरीब आदमी के लिए न्याय जैसी चीज आज अपर्याप्त है। यह आपके वकील हैं–वकील भी क्या करें–सब चीजों की कीमत आज बढ़ गई है। वकील जो फीस दरख्वास्त लिखने के के लिए लेता है और जो बीस वर्ष पहले लेता था उसके मुकाबले में दस गुना नहीं बल्कि पच्चीस-तीस गुना बढ़ गई है। आप गरीब आदमियों को कहते हैं कि तुम उदयपुर जाओ, बीकानेर जाओ, जोधपुर जाओ तो कैसे यह सम्भव हो सकता है। इसके साथ साथ यह ताज्जुब की बात है कि सस्ते न्याय के वास्ते अगर कोई आदमी मांग करता है तो आप कानों में डूंचे देकर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बैठे रहते हैं । राजस्थान की हाई कोर्ट के विषय में, मेरे ख्याल में, राजस्थान की दो करोड़ जनता में से कम से कम एक करोड़ बीस लाख जनता की यह भावना है कि सर्किट बैंच हो । मैं इस पक्ष में कभी भी नहीं हो सकता, उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था हाई कोर्ट की आज जोधपुर में है इसमें एक तिल मात्र भी कमी की जाय । मुझे जोधपुर के साथ बहुत सहानुभूति है और उसका इतिहास भी मैं जानता हूँ । आज हम उसको उजाड़ नगरी करना नहीं मांगते । लेकिन एक बैंच की मांग है । अजब बात है कि कोई भी भारतवर्ष का ऐसा राज्य नहीं है कि जहां बैंच नहीं हो । श्री अशोक सेन, विधि मंत्री जो कल आये यहां और आम सभा में भाषण दे रहे थे उन्होंने भी आश्चर्य प्रकट किया, महाराष्ट्र और विदर्भ में व्यवस्था थी उस पर प्रकाश डाला । पंजाब हाई कोर्ट की बैंच के सम्बन्ध में, जो दिल्ली के अन्दर बैंच की व्यवस्था है, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला । पुराने जमाने का भी मैं यह कह सकता हूँ कि हाईकोर्ट ऑफ आगरा और अवध की व्यवस्था थी । उसमें यह स्पष्ट है कि न्याय को सस्ता और तत्कालीन बनाना है तो मेरे ख्याल से सर्किट हाईकोर्ट का होना परम आवश्यक है और जोधपुर में अवश्य और अवश्य हाईकोर्ट रहना चाहिए । मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्रतिक्रियावादी कोई नहीं हो सकता और इसका पूर्ण उत्तरदायित्व राजस्थान की सरकार का है ।

जब छोटे-बड़े राजस्थान के राज्यों का विलीनीकरण हो रहा था उस वक्त विलीनीकरण का मूल कारण यह बताया गया था कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरे और भी कई कारण थे, मगर खास कारण बेटर एडमिनिस्ट्रेशन था । मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या आज आप लोगों को बेटर एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर में दे रहे हैं ? इस पर आपको सोचना चाहिए और आपको शर्म आनी चाहिए इसके लिए । जयपुर एक ऐतिहासिक नगर है और उसकी सुन्दरता भारतवर्ष में और सारे एशिया में मानी हुई है । और अगर आबादी के अनुपात से देखा जावे तो भी यह प्रमुख नगर है और राजस्थान की राजधानी है ।

हर जनतान्त्रिक सिद्धान्तों पर स्वस्थ्य राज्य की तीन मुख्य व्यवस्था होती हैं :

(१) एग्ज़िक्यूटिव ।

(२) लेजिस्लेचर ।

(३) जुडिशियरी ।

इसमें जुडिशियरी शासन का एक अविभाज्य अंग है । आप हाईकोर्ट मत रखिए कौन कहता है ? लेकिन अपने यहां पर जो लोग ५० वर्षों से इसके आदी है उसको आप खतम करते है राजनैतिक कारणों से, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा क्या प्रतिक्रिया और निन्दनीय विषय हो सकता है ।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपकी न्याय व्यवस्था है वह भी खामियों से भरी पड़ी है । आपकी एक प्रकार की आदत है कि कानून में अमेन्डमेंटों की बौछार करते हैं । मैंने बहुत से वकीलों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पास पूरे अमेन्डमेंट

(महाराल श्री लक्ष्मणसिंह)

नहीं है और वे नहीं जानते कि क्या इन्टरप्रिटेशन है। कोर्ट के मजिस्ट्रेट भी नहीं जानते हैं तो आम जनता तो उसको क्या समझ सकती है। इसलिए मैं कहूँगा कि जिस समय मैं छोटा बच्चा था तभी मुझे ट्रेनिंग मिली कि कानून सिम्पल होना चाहिए। Simple rule is the best rule. और आज भी हमारे नेता राजगोपालाचार्य भी यही कहते हैं कि महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर और उनके आधार पर कानून सिम्पल लैंग्वेज में होने चाहिए जो किसानों, मजदूरों और व्यापारियों की समझ में आ सकें और मध्यम वर्ग के लोगों की समझ में आ सकें, तो यह सर्वश्रेष्ठ सेवा है। इसलिए कानून में इस तरह से परिवर्तन करना आवश्यक है। अभी विधि मन्त्री जवाब दे रहे थे तो देखा कि वे डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे थे। वे कह रहे थे कि यह हो रहा है। यह ठीक है, यह विचाराधीन है और उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा जवाब देने की गुंजायश नहीं है। यह ठीक है कि अगर आपको कोई चीज करनी है तो आप ऑर्डिनेन्स के जरिये निकालें मेरा यह निवेदन है कि आवश्यकता किसी चीज की हो तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए। क्या आवश्यकताओं की पूर्ति आपके प्रश्न को विचाराधीन रखने में ही निहित है? इस पर स्वयं विचार करें। आपके इस प्रकार के एक्शन आपका इन्टेन्शन जाहिर करते हैं और इस बात को जाहिर करते हैं कि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप बिना फूट की नीति पर चलने वाले हैं और बिलकुल निकम्मे लोग है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी योजनाओं के बारे में

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): आपको इस भाषासे मन्त्री महोदय के हृदय पर बड़ी चोट पहुँचती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: इनको यह अरमान है कि इनको कुर्सियों से कौन हटाने वाला है, कौन हटा सकता है? मगर मैं यह कहूंगा कि याद रखिये कि यह जनता आपको उखाड़ कर फेंक देगी।

(हियर–हियर)

उपाध्यक्ष महोदय, योजनाओं के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह योजना अत्यन्त खर्चीली और अत्यन्त महत्वाकांक्षी और असफल योजनाएं हैं और इन्हीं योजनाओं के पीछे आपका पाप छुपा हुआ है और नीहित है। और उसके द्वारा आप भ्रष्ट तरीकों से चुनाव जीतते हैं और करोड़ों रुपया देश का आप बिगाड़ते हैं और देश को उसके एवज में मंहगवाड़ी देते हैं और ईसके साथ साथ रेड टेपिज्म देते हैं और कई चीजों के फैसले नहीं होते। अभी पेंशन के बारे में एक प्रश्न पूछा गया। वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन पेंशन का प्रश्न मन्त्री लोग वर्षों तक विचाराधीन रखते हैं; यह एक मामूली प्रश्न है। इस विषय पर मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता मगर यह निवेदन करूंगा कि कई गरीब लोग हैं उनको विश्राम प्राप्त करने के ऑर्डर हो गये, वे नौकरी से पृथक हो गये। उनके कोई जरिया आमदनी का नहीं। मैंने कहा कि किसी तरह गरीब लोगों की मदद करनी चाहिये। यह पूछा तो कहा गया कि १४ फार्म हैं जो हिन्दी और अंग्रेजी में भरे जावें तो पेन्शन दी जावे। पूछा कि यह फार्म

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

दे दिए जावें; तो कहा कि मेरे बावों को याद करने के लिए जाओ। फार्म यहां नहीं मिलेंगे, जोधपुर में मिलेंगे। फार्म के लिए जोधपुर जाओ। खैर, जोधपुर भी भेजा। तो जोधपुर में कहा कि फार्म यहां पर नहीं हैं। पूछा कि क्यों नहीं हैं तो कहा कि छपे नहीं हैं। फिर डूंगरपुर में आ कर कहा कि फार्म दिये जावें तो उन्होंने कहा कि जयपुर और जोधपुर फार्म के लिए जाओ। उनको कहा कि हम तो सब जगह आये मगर फार्म नहीं मिलते। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए? किम कर्त्तव्य विमूढ़म्। These conditio ns are completely chaotic.

वे बेचारे गरीब आदमी हैं, बिना पेंशन के तीन चार वर्ष तक क्या फाकाकशी करेगा, क्या हवा भख करेगा? आपने उसको घर बिठा दिया है। आप यहां पर क्या करते हैं? केन्टीन में समोसे गिटते हैं और लोग-बाग भूखे मरते हैं।

श्री मथुरादास माथुर: समोसे तो भैरोंसिंहजी खाते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: सभी समोसे तो खाते है, मैं भी खाता हूं। समय देख कर खाते हैं। आप बिना समय देखे ही खाते हैं......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): हम तो समोसे से ही काम चलाते हैं मगर आप तो रसगुल्ले खाते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: आप समोसे खाते हैं तो खाइये, लेकिन जनता को सूखी रोटी तो खाने को दीजिये। अगर आप यह भी करेंगे तो हम समझेंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया, अन्यथा आपने सरकारी कुर्सियों पर बैठ कर क्या किया, भाड़ ही झोंकी है........

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: आप तो छोटु मोटु के बीकानेर के रसगुल्ले खाते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: फोरिन एड की ज्यों ज्यों मात्रा बढ़ती जाती है त्यों त्यों मंहगवाड़ी बढ़ती जाती है। मैं फोरिन एड के लिए कहूंगा, कर्जदारी के बारे में नहीं कहूंगा। आपने पहले प्लान में १८८ करोड़ और दूसरे में १०६० करोड़ रुपये रखे। ठीक है, यह एक विशाल देश है इसमें इतनी ठीक है।

थर्ड प्लान में पौ-बारा, २,४५५ करोड़ और फोर्थ प्लान में ४७०० करोड़।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): यह इससे भी ज्यादा है।

महाराव श्री लक्ष्मणसिंह: मैं ये आंकड़े हिन्दुस्तान टाइम्स, ३१ अगस्त से कोट कर रहा हूँ।

आज हिन्दुस्तान पर २३,७७७ करोड़ का कर्जा है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: १६०० करोड़ तो ब्याज ही ब्याज के है।

(३ म. प.).

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो कुछ भी हो मेरे आंकड़े तो प्रस्तुत करूंगा। मेरी जानकारी के अनुसार और आपके जो आंकड़े हैं ६५ के, उनके अनुसार, इन आधारों पर मैं कहूंगा कि २३७७७ करोड़ यानि २।।। खरब कर्जा है, उसमें फोरेन एड ११,३८३ करोड़ और विदेशी ऋण १२,३९४ करोड़ है। यह राष्ट्रदूत के १६-९-६६ के अंक से लिया है। आप कहते हैं कि विकास आया है, विकास तो कर्जदारी बढ़ाने के सम्बन्ध में आया है वरना यह विकास नहीं है, विनाश है। विकास भी किया है तो किस कीमत पर किया है यह आप स्वयं विचार कर सकते हैं।

आज राजस्थान के निश्चित रूप से तो आंकड़े नहीं कह सकता, पर राजस्थान गवर्नमेंट की १९६५ की ऑडिट रिपोर्ट में यह दिया है कि राजस्थान में २५२. ३८ करोड़ रुपया कर्ज है। वह मेरे ख्याल से अनुमानतः आज ३०० करोड़ की धनराशि हो सकती है ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ३५० करोड़।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ३५० करोड़ है यहां राजस्थान में ३ अरब और वहां है २।।। खरब। केन्द्र के दास और केन्द्र के दास और केन्द्र के अनुसार आपकी नीति कर्जदार नीति है, आप भी केन्द्र से कम क्यों रहें, केन्द्र आपका बड़ा भाई है, बड़े भाई सो बड़े भाई और छोटे भाई सो सुभान अल्लाह।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि दान लेने वाला ७५ परसेंट कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। जो भिखारी है वह भिखारी ही रहेगा। शायद १०० में से २५ प्रतिशत खुशहाल हो सकें, पर मेरे ख्याल में यह असंभव है।

इस सम्बन्ध में जो प्रकाश हमारे नेता श्री राजगोपालाचारी ने डाला है आपकी आज्ञा से, उपाध्यक्ष महोदय, उन्हीं के शब्दों में यहां प्रस्तुत करूंगा :

"The flow of sustained indefinite aid implies an obvious danger-the pauperisation of the recipients. A pauper is one who relies on unearned public assistance. Pauperisation is a term used to denote the promotion of the idea that unearned doles are a main ingredient in the livelihood of the recipient nations. Foreign did and its relation to the balance of payments difficulties of the recipients clearly undermine the status and prestige of the self-reliance required for material progress. The recent economic history of India can be summed up as progression from poverty to pauperism."

तो मेरा यह निवेदन है कि इन्हीं योजनाओं के अन्दर अवश्यमेव इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं कि जब मुद्रा प्रसारण होता है तो माल की

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अछत होती है, रुपये की बहुतायत और माल की अछत से जो प्रक्रिया पैदा होती है वही इन्फ्लेशन है। अब तो हमारी भारत सरकार और हमारी प्रधान मंत्री कहती हैं कि वह इन्फ्लेशन में विश्वास नहीं करतीं। यह कहते हुए भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा है, उसको देखने से स्पष्ट होता है कि उस पंचवर्षीय योजना में इन्फ्लेशन निहित है और अवश्यमेव निहित है। मेरे पास तो नहीं है वह रिपोर्ट पर मैं राजस्थान सरकार को, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हिन्दुस्तान टाइम्स के २२-९-६६ के लीडिंग आइटम का हवाला दूंगा जिसमें गवर्नर ऑफ दी रिज़र्व बैंक ऑफ इन्डिया ने स्पष्टतया कहा है कि यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आधार है वह देश के लिये हितकर नहीं है, आपके टार्गेट्स हैं वे अप्राप्य होंगे क्योंकि यह योजना अत्यन्त ही मंहगी और महत्वाकांक्षिणी है।

डिवेल्यूएशन इस सदन का विषय नहीं है, पर भारत सरकार का अविभाज्य अंग होने से इस डिवेल्यूएशन का असर हमारे राजस्थान पर भी पड़ना अवश्यम्भावी है। हमारा प्रथम डिवेल्यूएशन ४८ में हुआ, दूसरा इस बार हुआ। यह डिवेल्यूएशन है वह ऐसा है कि आप स्वयं जानते हैं कि बाहर के पर्यटक हमको विदेशी मुद्रा देना पसंद नहीं करते क्योंकि आज भी डालर की कीमत १० रुपया ६ रुपया है। टूरिस्ट्स अशोका होटल में आते हैं और ठहरते हैं, वे वहां से ५० कदम जाकर डालर को १० रुपये में बेच सकते हैं, ९ रुपये में एक्सचेन्ज कर सकते हैं तो ७॥ रुपये में क्यों एक्सचेन्ज करेंगे? ३६॥ परसेंट डिवेल्यूएशन किया, यह बहुत से अर्थशास्त्रियों के सिद्धान्त के अनुसार, जिस तरह इन्फ्लेशन आया, जिस तरह कर्जदारी बढ़ी, उन बातों को ध्यान में रख कर डिवेल्यूएशन अनिवार्य हो गया, वह आपने अपनी इच्छा से नहीं किया। आपने डिवेल्यूएशन बाहर के दबाव से किया, वर्ड बैंक के प्रेशर से, अमेरिका की प्रेरणा से जो वर्ड बैंक पर दी गई, उसके अनुसार अपने अन्नदाता के जी हुजूर और गुलाम बन कर के डिवेल्यूएशन किया।

(विराम)

और आप कहते हैं कि आपने स्वयं अपनी इच्छा से डिवेल्यूएशन किया। Beggers cannot be choosers. डिवेल्यूएशन के लिये डींग हांकते हैं कांग्रेस के मंत्री कि हमने अपनी इच्छा से डिवेल्यूएशन किया, देश के हित में किया। वह सही नहीं है। क्योंकि आपको बाहर की एड की चाट लग गई है, आपको फोरेन एड से पी. एल. ४८० मिलता है, बाहर से मदद आती है उससे शासन चलाते हैं। आप स्वावलम्बी बनने की बात कहते हैं, आप क्या स्वावलम्बी बनायेंगे? आप में कोई भावना हो, आप में कोई त्याग हो, आप में कोई हौंसला हो, आपके कोई सिद्धान्त हों तो मैं मानूं कि आप स्वावलम्बी बन सकते हैं पर आप स्वावलम्बी नहीं परावलम्बी बन रहे हैं और देश को रसातल में डाल रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डाल क्या रहे है, रसातल में डाल दिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप मितव्यियता में बिल्कुल नहीं समझते । मितव्ययिता परमावश्यक है, आप क्या समझें, नॉन--प्लान-एक्स्पेन्डीचर के बारे में विचार करना चाहिये, सिवाय परिवार नियोजन के, परिवार नियोजन के ऊपर खर्चा करते हैं तो वह लोंग टर्न में डिविडेन्ट देगा, पर सच्चे रूप में खर्च करो तब, नहीं तो लीपापोती करके फिजूल खर्च कर रहे हैं । परिवार नियोजन को छोड़ अन्य नॉन-प्लॉन एक्स्पेन्डीचर को कम करें, नॉन प्लॉन एक्स्पेन्डीचर १९५२ में आपका होता था ९९१ लाख वह ६५-६६ का ४६१० लाख हो गया । ५ गुना अधिक बढ़ा दिया ।

कौल साहब को चाहिए और मुख्य मन्त्री को भी चाहिए । मुख्य मन्त्री तो धोखा देंगे थोड़े दिनों में, वह बात मैं आपको बाद में बताऊंगा । जब तक मुख्य मन्त्री हैं, आप वितमन्त्री हैं, आपको चाहिए कि मितव्ययिता लाए नहीं तो आप राजस्थान की सेवा नहीं कर सकते, आप राजस्थान के गुनहगार हैं, आपको विभागों को एमल्गेमेंट करना चाहिए ।

मध्यप्रदेश में क्या हुआ, उससे भी आपको प्रेरणा लेनी चाहिए और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में आपको अध्यापक को समाज में आदर का स्थान देना चाहिए ताकि अध्यापक एक महत्वपूर्ण समाज का अंग बने, विद्यार्थी के आदर का पात्र बने, समाज के आदर का पात्र बने । हमारे पुराने जमाने से ही ऋषि कहते थे कि आप बड़े बूढ़ों का आदर करो, हमारे गुरुओं का आदर करो । आज गुरुओं का आदर तो क्या, उनका हाथ तोड़ो, यह आपने किया और वाइस-चांसलर पीटो, होलसेल चीटिंग करो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : राजस्थान पत्रिका ऑफिस में तोड़ फोड़ करो ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह आपकी शिक्षा व्यवस्था है । आप क्या कर रहे हैं, मुझे तो लगता है ...

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : शिक्षा मन्त्री तो सो रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक चीज सस्ती है इस राज्य में ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : भ्रष्टाचार ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गोली और वह भी बन्दूक की ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंहगाई की स्थिति यह है कि जयपुर सबसे ज्यादा मंहगा है । दिल्ली तीसरे नम्बर पर है । जयपुर में न फल मिलता है, न दूध मिलता है । दूध, फल, चावल और शक्कर कहां गए ? चना और बेसन भी नहीं मिलता, गेहूँ बराबर नहीं मिलता है; बाजरा, ज्वार और मक्के की भी कमी है । आपको अन्नदाता से मिलता है माइलो । वह तो ऐसा है कि ढांढे भी नहीं खा सकते । सब-स्टारवेशन की परिस्थितियों के अंदर लोग जीवित रहें, यह आपका कोटा-परमिट का राज्य है ।

मैं आपकी नीति में क्यों नहीं विश्वास रखता, इसका एक और भी कारण है । आपने मनीलेंन्डर्स एक्ट जारी किया, मैं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

समझता हूं, सद्भावना से किया, लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिए किया। लेकिन उसमें आपने क्या किया ? वही सिस्टम किया। अब वहियों के आंकड़े जिस तरह से उनके बाप-दादे लिखते आए, कोई उन्होंने बी. ए. या एम. ए. पास नहीं की, जो पहाड़ियों में आदिवासी क्षेत्रों में मेवाड़ में रहते हैं, अगर वही सिस्टम से करते हैं तो उन पर सेल्स टैक्स ऑफिसर जाकर एतराज करता है। अगर बारटर सिस्टम करते हैं तो वहियों के अंदर इंदराज करने से आपत्ति आती है। अगर बकरी या मुर्गी देकर अनाज लेना चाहते हैं तो वह आपने बंद किया। उसके अंदर भी कई गड़बड़ियां उत्पन्न की हैं। अगर आप हरेक गांव, ५-१० गांवों में बैंक स्थापित करें तो अच्छा हो सकता है। अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं तो इस तरह से कागजी कानून बनाकर कोई इंदराज नहीं करेंगे और दुगुना और तिगुना ब्याज लेकर, मनमाने तरीके से लोगों को पीड़ित करेंगे। तो इससे और भी गरीबों की हानि हुई है बनिस्बत उनको लाभ पहुंचा सके।

शिक्षा व्यवस्था महंगी है, न्याय व्यवस्था महंगी है और अपर्याप्त है। भुखमरी के कारण जो हमारा मोरल डाउन हुआ है, जो हमारा चरित्र समाप्त हुआ है, आप कुछ भी करें, ५० वर्ष के अन्दर भी वह ऊंचा नहीं आ सकता। मैं कुछ स्पेसिफिक मिसाल निवेदन करूंगा। लेकिन अभी इतना निवेदन करता हूं कि आपकी चुनाव पद्धति सस्ती होनी चाहिए। कोई गरीब आदमी चुनाव लड़ सके, वह ऐसी स्थिति में नहीं है। मैं तो प्रिवी पर्स होल्डर हूं, लेकिन मैं भी यह समझूं कि आपके और आपके कर्मचारियों के मिले हुए रहने पर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ सकूं या विधान सभा का चुनाव लड़ सकूं, निश्चित रूप से इस धारणा से लड़ सकूं कि आप न्यायपूर्वक चुनाव में लड़ेंगे, तो यह १०० कोस परे की बात है। आपको चाहिए कि चुनाव की व्यवस्था को आप पवित्र करें, आपने उसको अपवित्र कर दिया है। कर्मचारियों से मिलकर फायदा लिया। विरोधी पक्ष वाले किन मुसीबतों का सामना करके कांग्रेस से मुकाबला करते हैं, यह मैं १५-१७ साल से जानता हूं, आपको अनुभव नहीं हो सकता, आप उनको ऑर्डर देते हैं कि यह हो जाय, वह हो जाय। हमारे नेता की मांग है कि सरकार को चाहिए तीन महीने पहले आप कुर्सियां छोड़ो और राज्यपाल का शासन या राष्ट्रपति का शासन लागू करो तब तो चुनाव के अन्दर पवित्रता आ सकती है वरना क्या होता है ? श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं:—

'In a single day, from a single city, Bombay, the Congress Party collected Rs. 55 lakhs for its election fund. Minister Manubhai Shah and Minister Sadoba Patil were accompanied by Congress Treasurer Atulya Ghosh, presumably to ensure that the money was not filched for some other purpose.

Page No. 95

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

The modus operandi of this extortion is both intriguing and obnoxious. These unofficial tax-collectors sit in the office of a prominent banker, and all the debtors of the bank are sent for. One by one, the lambs come to the slaughter and have their throats cut.

It is indeed impossible for a victim, who probably has an overdraft with the bank running into lakhs of rupees, to refuse these grandees from Delhi, particularly in the office of the Bank President, where the most important directors of the Bank just happen to be present.

Minister Manubhai Shah paid a similar visit to Ahmedabad, and in a single day collected Rs. 10 lakhs.''

There is a smile on the face of the tiger यह भी मैं देख रहा हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Because they indulge in the same sort of activities.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप क्या कहते हैं, आपके महान् नेताओं के आचरण के बिल्कुल लकीर के फकीर बनकर काम करते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : Inaudible.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Lambs are being slaughtered and they are enjoying.

श्री रामानन्द अग्रवाल : They don't slaughter the lamb but the sheeps.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Lamb is tender and the sheep is tuff.

आपके रूल्स आप बनाएं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो छुरा आपके हाथ में नहीं आया, नहीं तो....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हमारे हाथ में तो छुरा रहा है और चलाया भी होगा, लेकिन इस हद तक नहीं चलाया कि स्टॉक और बैरेल फ्लीस करें और इस पैसटाइम में तो अतुल्य घोष कमाल के हैं, मैंने सुना है, क्या क्या नहीं करते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये छुरा चलायें तो दोनों तरफ से चलाएं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सिद्धांतहीन लोगों के डबुल–एण्ड सोर्ड्स चलती हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पाइंट ऑफ ऑर्डर । उपाध्यक्ष महोदय, सदन के विरोधी दल के नेता से कहूंगा कि जो लोग इस सदन में नहीं हैं और वे बड़ी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हस्तियां हैं, उनके नामों को एक्सपंज किया जाय क्योंकि वे इस स्थिति में नहीं हैं। मेरे ख्याल से विरोधी दल के नेता इस बात को महसूस करते हैं कि यह इरिलेवन्ट है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयम् इस बात को मानता हूँ कि जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है यहां सदन में उनके सम्बन्ध में चर्चा नहीं की जाय लेकिन मैंने तो अखबार में से पढ़कर सुनाया है।

श्री मथुरादास माथुर : इसकी क्या इम्पोर्टेन्स है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसमें से कोई बात एक्स्पन्ज करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। आपकी ओर से निर्णय हो जाय, आपका निर्णय सर्वमान्य है। मैं मेरा राइट मानता हूं और मैं मेरे पार्लियामेन्टरी राइट्स ही एक्सर्साइज कर रहा हूं और मैं एक इंच भी उसके दायरे से बाहर नहीं हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़वार (हवामहल, जयपुर) : These are quotations and quotations cannot be expungend.

श्री रामानन्द अग्रवाल : महात्मा गांधी होते तो आज विरोधी बैंचों पर बैठते।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ये तो नेहरू और गांधी को रो रोकर जिन्दा है।

(शोरगुल)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अब तो नेहरूजी भी यहां जन्म ले लें तो इनके आचरण को ठीक नहीं कर सकते।

They are beyond repairs and they are going to hell.

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय,....

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अगर नेहरू जिन्दा होते....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने अखबार पढ़ा और उसके बाद जिस तरह की बात कही, आपने भी स्पष्टतया एडमिट किया है कि एक्स्पन्ज किया जाना चाहिये और यदि इस प्रकार की व्यवस्था चली तो क्या होगा। वे लोग जवाब देने के लिए यहां नहीं है और उनके लिऐ चर्चा करना कहां तक जस्टिफाइड है। गांधीजी का नाम लेते हैं, अच्छा करके लेते हैं। He is the father of the nation.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : We respect him,

(व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जिनको यहां क्लेरिफाई करने का मौका नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाहिये। यह सर्वमान्य न्याय

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है। वे आज इस स्थिति में नहीं है। वे यहां जवाब नहीं दे सकते। जो कुछ कहा गया, आप कुछ व्यवस्था देते नहीं सदन को चलाने के लिये। उन्होंने जो कुछ कहा उसको क्या आप निकालने के लिये तैयार नहीं है? आप सुनते रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि कौनसी लैंग्वेज कन्टेम्पचुअस है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने कन्टेम्पचुअस नहीं कहा था।

श्री भैरोंसिंह : उसकी जरूरत क्या है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो आदमी यहां नहीं हैं, उनके नाम यहां लिये जांय तो उसको निकाल देना चाहिये। आप (उपाध्यक्ष) सुनते रहते हैं और कुछ करते नहीं।

श्री भैरोंसिंह : यह बोलकर बताना, आपने रूल्स पढ़ा हो, परम्परा को फोलो किया हो...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने रूल्स को पढा है, और कई दफा पोईन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किये हैं अगर गलत बोले होंगे तो और आज भी रखूंगा।

श्री भैरोंसिंह : गलत बोले होंगे तो रोका होगा और आज भी रोकेंगे। किसी चीज़ का नामलेना अपराध नहीं है। अनपार्लियामेन्ट्री हो तो एक्सपन्ज किया जा सकता है लेकिन किसी बात के लिये कोई रेफरेन्स आया है और उसमें नाम आये हैं तो उसको रखा जा सकता है। न उसको एक्सपन्ज करने की बात रूल्स में है और न ही परम्परा में है। माननीय सदस्य को किसी प्रकार का जोश आ जाय और वे इस प्रकार की बात करके, डिस्टर्ब करके माइडट्रिक करना चाहते हैं। आपने इस प्रकार पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठा कर दो तीन मिनिट का जो समय लिया, उन्होंने जो स्वयं ने इरिलेवेन्ट बात कही है इस प्रकार से पोइन्ट ओफ ऑर्डर उठा कर उसको ही एक्सपन्ज किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : महाराज आपको नमस्कार (हाथ जोड़ कर) करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : "आप सुनते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं" इस प्रकार से माननीय सदस्य ने कन्टेम्पचुअस लैंग्वेज का प्रयोग किया है और जिस प्रकार नमस्कार कह कर हाथ जोड़े गये हैं वह भी इस चेयर और सदन को अपमानजनक रूप से प्रकट करने जैसा है। "मैंने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया और आपने ध्यान नहीं दिया" इस प्रकार की भाषा का प्रयोग भी स्पष्ट चेयर का अपमान है। सदन कांग्रेस की ओर से और उसके जनरल सेक्रेटरी से यह एक्स्पेक्ट नहीं करेगा कि वह डिप्टी स्पीकर महोदय का सदन में अपमान करने की कोशिश करे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जवाब देने के लिये मुझे मजबूर किया जाय तो यह कहूंगा कि मैंने कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहा है और न कोई बात कही है, फूकनी में हवा भरते हैं....

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : यह और भी ऑब्जेक्शनेबल है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कौनसी फूंकनी है जिसमें हवा भरते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने तो आपके सामने पोइन्ट ऑफ ओर्डर रख दिया, आप व्यवस्था दें या न दें, मैं तो अभी भी ओब्जेक्शन करता हूं कि किसी के लिये कन्टेम्पचुअसली जो जवाब देने की स्थिति में न हो उसका नाम लेना उचित नहीं है और खास तौर से आपकी व्यवस्था कई बार हो चुकी है उसको माने न माने यह आपके देखने की बात है ।

श्री भैरोंसिंह : उनका प्रश्न हल हो गया । अतुल्य घोष के लिये इतना कहने से ही उनको कांग्रेस की ओर से टिकट मिल जावेगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप अपनी बात करो । अतुल्य घोष हमारे महान नेता हैं ।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कौन महान् नेता ? पाकिस्तानी जासूस को शरण देने वाला ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तो कहेंगे नहीं कुछ भी । इस लीडरशिप के बारे में ये कुछ भी कहें हम पर असर पड़ने वाला नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं मैंने उनको बड़ी इज्जत से सुना । मेरा तो विनम्र निवेदन आपसे यह है कि मैंने आपके महान् नेता अतुल्य घोष हैं उनके खिलाफ कोई यहां पर दुर्भावनापूर्ण बात नहीं कही । मैंने आपको एक्सट्रेक्ट पढ़ कर सुनाया....

श्री भैरोंसिंह : अतुल्य घोष वही है जिसने पाकिस्तान की जासूसी की सम्बन्ध में पकड़े गये आदमी को शरण दी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप श्री अतुल्य घोष को महान् नेता की श्रेणी में माने लेकिन हम उनको महान् नेता की श्रेणी में नहीं मान सकते और हम उनको एक महान् भ्रष्टाचारी की श्रेणी में माने तो यह अपने अपने विचार हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : महानता की परिभाषा यह है कि जो पाकिस्तानी जासूस पाले । महान् कहने वाले महान् इसलिए है कि पाकिस्तानी जासूसी....

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कहना चाहता हूँ कि आप व्यवस्था दीजिये । वे नहीं कहेंगे तो इनकी बात नहीं चलने दूंगा । उनको क्या सांप सूंघ गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप पाकिस्तानी जासूस को शरण देने वाले को महान् नेता मानते हो और उसकी यहां वकालत करते हो ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको सेठाई और कम्युनिस्ट अपने को जानता हूँ। आपकी कथनी और करनी को भी जानता हूं। इसके लिए आप और हम भुगत सकते हैं लेकिन आप इस तरह दबाना चाहे घुरबुर करना चाहें, उनके शब्दों में डिलगाई करना चाहें....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी चीज को एक्सपन्ज करने के लिए यह स्पष्ट रूल्स में है कि वे ही शब्द या बातें एक्सपन्ज की जा सकती हैं जो अनपार्लियामेंट्री हों या अभद्र हों या बिना इजाजत आसन कभी

(हीयर-हीयर)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : (श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा के द्वारा ललाट पर हाथ रखने पर) यह इस प्रकार का इशारा नहीं कर सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of order, Sir, माननीय सदस्य ने एक के बाद दूसरी बार चेयर के खिलाफ एस्पर्शन किये हैं। कभी तो यह कहते हैं कि गुब्बारे में फूंक भरते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने नहीं कहा कि गुब्बारा हैं उसमें फूंक भरते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने नहीं कहा ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of order Sir. फिर इन्होंने इस तरह से इशारा करके चेयर का अपमान किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हाथ जोड़ने से क्या होता है ? क्या कोई आप नयी डिक्शनरी बना रहे हो ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ये चेयर को क्या हाथ जोड़ेगे, बुजुर्ग और गुरुओं को हाथ नहीं जोडे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ....औलाद।

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिसकी औलाद हैं उसको भी जानता हूँ। तीसरी बार आपने रूलिंग दी तो सिर पर हाथ रखा और इस प्रकार इन्होंने आपका अपमान किया है, इस सदन का अपमान किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तू खुद अपमानित न हो जाय....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके सिर में ऐसा क्या दर्द हो रहा था ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह तो आपको मालूम पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विरोधी पक्ष के नेता। आप प्रारम्भ करिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपका आसन जो है ऐसा महत्व-

Page No. 100

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पूर्ण है जिसके प्रति हम सबको आदर का और श्रद्धा का भाव रखना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जिस तरह से जिस दूरदर्शिता से, दृढ़ता से और जिस सुरक्षितता से इस सदन का संचालन किया है उसके प्रति हमको श्रद्धा है और वह एक प्रेरणा लेने का विषय है। जिस तरह से यह आसन सदन की व्यवस्था करता रहा, अगर राजस्थान की सरकार भी उसी तरह से राजस्थान की शासन व्यवस्था करता तो यह अविश्वास का प्रस्ताव आने की नौबत नहीं आती ।

(हीयर-हीयर की आवाज)

फिर मैंने तो ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा कि जो अन-पार्लियामेन्ट्री हो । फिर भी वाद विवाद हुआ । फिर जो रूलिंग आपने दी उसके अनुसार मेरा अधिकार है कि मैं अपना भाषण जारी रखूं ।

मैं सदन का विशेष समय न लेकर, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ स्पेसिफिक इन्स्टांसेज आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन के समक्ष रखना चाहूंगा ।

भूमि अलॉटमेंट के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गईं पर इसके सम्बन्ध में मैं दो बातें निवेदन करना चाहूंगा । वह यह कि आसपुर पंचायत समिति में दौलतपुरा पंचायत है । उसमें आदिवासियों की जमीन एक पिंजारे बनिये को दे दी प्रधान और पंच दोनों ने मिलकर । हमने शिकायत की । पर कोई सुनवाई नहीं हुई । किसी तरह से हा, हू करके स्टे ऑर्डर प्राप्त किया कलेक्टर के द्वारा । तो आप अपने आचरण को क्या पवित्र करेंगे अगर आप इनको नहीं रोकते हैं तो । आप ही कानून बनाकर भंग करते हैं । यह बात कतई निन्दनीय और अशोभनीय है ।

इसी तह करियाणा पंचायत समिति सागवाड़ा में है । वहां की चरणोट की भूमि है, वह निकटतम सामरिया के लोगों को अलॉट कर दी गई । उसका मुकदमा चल रहा है । दुःसाहस करके आप अन्याय भी कर देते हैं । पर न्याय मिलने में डेढ़-डेढ़, दो-दो वर्ष लग जाते हैं तब भी मिलना कठिन है । आपके लोगों के द्वारा इस तरह से दुर्व्यवस्था होती है, रूल्स की अवहेलना होती है तो यह निन्दनीय है ।

सागवाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के 'सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए । एस. डी. ओ. ने ऐलान किया कि २४ घंटे चुनाव के पहले कोई मीटिंग नहीं कर सकते । ठीक बात थी । हमने मीटिंग करने का विचार स्थगित कर दिया । पर all of a sudden दस घंटे पहले चुनाव के, कांग्रेस पार्टी ने मीटिंग की । हमने शिकायत की एस. डी. ओ. से कहा कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिये । हम भी पार्टी हैं । वह शासनारूढ़ पार्टी हुई तो फर्क क्या हुआ । पर हमारी एक नहीं सुनी गई । हमारी शिकायत लेने से इन्कार कर दिया । फिर हमने तार दिये । इसका भी जवाब नहीं । एस० डी० ओ० साहब रिटर्निंग आफि-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मर थे। उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। कोई सद्भावना नहीं दिखाई। उल्टा कहा, चले जाओ, नहीं सुनता। ऐसी व्यवस्था करके अगर आप चुनाव जीतते हैं तो यह आपको मुबारक है। पर यह अन्याय है, जो बहुत देर तक नहीं चलेगा। एक स्थिति आ सकती है जो इण्डोनेशिया और दूसरे अफ्रीकन देशों में आई है। मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो आप ही बचा सकते हैं। हम आपको सहयोग देने को तैयार हैं। पर एक हाथ से तो ताली नहीं बज सकती। आपको एक दिन अपने इन कुकृत्यों का परिणाम भोगना ही पड़ेगा।

इसी तरह की व्यवस्था आपके न्याय की है। इलेक्शन पिटीशन आप नहीं सुनते, सुनते हैं तो बहुत देर से। मेरी इलेक्शन पिटीशन ५७ में मैंने दायर की। पांच वर्ष की अवधि होती है विधान सभा की। आपने चार वर्ष और साढ़े दस महीने के बाद मेरी पिटीशन का फैसला किया। आप कहते हैं कि छः महीने में फैसला होना चाहिये। पर यह सब साफ है। आप थ्योरी पर जाते हैं। आप प्रैक्टिकली बिल्कुल उससे उल्टा काम करते हैं। निष्पक्षता का आप बिल्कुल निराधार अभिमान करते हैं। इस सम्बन्ध में भी, उपाध्यक्ष महोदय, एक विशिष्ट कांग्रेस के नेता, जिनकी सब इज्जत करते हैं, का एक लेख आया है। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखने का साहस करूंगा।

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित लिखती हैं:-

"The clock of hypocracy by which we seek to cover our mis-deeds must be thrown away. We must face the bright light of truth in its nakedness, become pilgrimage once again in search of lost values. Then India will be reborn and have the power to influence and guide the destinies of the world. As Burtrand Russel has said-

"We are in the middle of a race between human skill as a means and human folly as and resulting in strife, insecurity and sorrow. Unless man increases in wisdom as much as in knowledge, increases of knowledge will only be increase of sorrow".

आज विस्डम तो है नहीं, नॉलेज और थ्योरी पर चलते हैं और नॉलेज और थ्योरी बढ़ती हुई जा रही है। मैं सदन का विशेष समय नहीं लूंगा।

मालपुरा और टौंक में जो व्यवस्था आपकी है, उससे लोगों में आतंक है। लोग आकर जो कुछ कहते हैं उससे ऐसा लगता है कि जैसे वे भयभीत हैं और उनको वहां इस प्रशासन से न्याय की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और वह जनता के प्रति दुर्व्यवहार है तो मैं समझता हूं शायद बहुत सी बातें इस कारण होती हों कि आउट आफ इन्थूजियाज्म आपको खुश करने के लिये बहुत से

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आपके नीचे के कर्मचारी और अधिकारी वर्ग कानून भंग करके लोगों को अनुचित रूप से दबाते हों। झूठे मुकदमे करते हों, तो बार-बार मालपुरा और टोंक के संबंध में शिकायतें लोगों ने कीं। उन पर आपको विचार करना चाहिये और न्याय और जनतन्त्र की शुद्ध परम्परा का पालन करना चाहिये।

बेगूं में बिजली के संबंध में आश्वासन दिया गया मंत्री महोदय के द्वारा कि माननीय सदस्य जब अपने क्षेत्र में वापिस जावेंगे तो पावेंगे कि बिजली लगनी शुरू हो गई है। पर बिजली अभी तक नहीं लगी। जब नहीं लग सकती थी तो ऐसा आश्वासन भी नहीं देना चाहिये था मेरे ख्याल में।

एक महत्वपूर्ण विषय हमारे डूंगरपुर जिले की बाबत निवेदन करूंगा और वह एक मन्दिर का विषय है। एक मन्दिर जिसको बींजवा माता कहते हैं, जो विन्ध्येश्वरी देवी का मन्दिर है, वह एक छोटा प्राचीन मन्दिर है। वह आसपुर तहसील में है और वह चौहान राजपूत समाज का है। मैं अच्छी तरह से उसे जानता हूं कि वह अनादि काल से इस समाज का है वहां पर मैंने सुना है, कहां तक सच है यह तो मन्त्री महोदय बतावेंगे, कि माननीय श्री भीखाभाई ने डूंगरपुर के देवस्थान के कर्मचारियों पर दबाव डलवाकर उनसे रिपोर्ट ली है कि यह मन्दिर आदिवासियों का है। मेरा आदिवासियों से कोई विरोध नहीं है। वहां पर भोपा बरफा जादू टोना करने को आते हैं वे बिल्कुल बदस्तूर आवें। कोई रुकावट नहीं। पूजा-दर्शन की रुकावट नहीं। पर समाज का मन्दिर अगर आदिवासी ट्रस्ट बनाकर उसको दे दें केवल मात्र इस कारण कि मेजोरिटी वहां आदिवासियों की है तो यह अन्याय है, न्याय की व्यवस्था नहीं है।

अगर ६० लाख खर्च किया है तो भीखाभाई पचास-साठ हजार इसके लिये भी लेकर अपना अलग मन्दिर स्थापित करते। आप आदिवासियों का अलग से भगवती देवी का मन्दिर स्थापित कराइये, हमें इससे क्या विरोध है।

और भी है, फखरूद्दीन का दरिया है। वहां भी वे अल्पमत में हैं। २५०० होंगे और आदिवासी २५ हजार होंगे। पर इस तरह से साम्प्रदायिक भावना को ठेस पहुंचाना यह सेकूलर स्टेट के लिये अशोभनीय है। और इस बारे में आप छानबीन करें। आप अपना मन्दिर बनाना हो तो अवश्य बनावें। मैं उदाहरण के रूप में कहूं कि उसी के पास एक पनोप का मन्दिर वेणीश्वर टप में है। सोपोड ब्राह्मणों का है। वहां पर कौनसी सरकार का हस्तक्षेप है?

वहां सालेश्वर महादेव का मन्दिर पीठ के पास है वहां कौन सी सरकार ने दखल दिया और सरकार के सात हजार मन्दिर जो शासन व्यवस्था के अन्दर हैं वहां पर भी सुचारु रूप से जो शासन कर रहे हैं। मुझे मालूम है। आप उसकी रिपोर्ट देखिए हजारों रुपयों का गबन है। कोई इन्वेन्ट्री नहीं है, कोई पूजा की व्यवस्था नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर समाज का मन्दिर है अगर पूजा व्यवस्था है तो उसको बदस्तूर रखना चाहिए। जिस तरह से पहले से उनकी व्यवस्था चलती आ रही है। अगर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

देवस्थान विभाग के पास चार हजार के करीब उस मन्दिर का रुपया है तो राजस्थान या भूतपूर्व डूंगरपुर की सरकार में विश्वास रखकर अमानत के रूप में जो रुपया है उस पर अमानत में खयानत हो या चोरी से भीखाभाई कब्जा करना चाहते हैं, भीखाभाई के लिए कोई दुर्भावना नहीं है लेकिन यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था होगी और एक धार्मिक स्थान के लिए इस प्रकार से कोई अन्याय करता है तो उसका मैं विरोध करता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह मुख्य मन्त्री महान छलिया हैं इनके मन्त्री अब के चुनावों में कई एक हारेंगे। यह मुख्य मन्त्री आजकल नाथद्वारा जाकर वहां से भी काफी शिक्षा ग्रहण करके आये दीखते हैं। शायद मथुरा से द्वारका जाने का उदाहरण चरितार्थ करने के रूप से वह एक छलांग मारकर जयपुर से दिल्ली पहुंचे और फिर आपको गोपी और गोपिकाओं की माफिक बिलकता हुआ छोड़कर चले जायें तो इससे तो अच्छा यही होगा कि चौधरी साहब कुम्भाराम आर्य हैं सयाने हैं, दानी हैं उनकी आप मदद कीजिए। अगर आपको यह भी पसन्द नहीं है तो फिर ३०-४० उधर से उठकर यहां आकर बैठ जाइए हम आपका स्वागत करते हैं फिर देखते हैं क्या कौतुक होता है राजस्थान में। यह मन्त्रि मण्डल बिल्कुल निकम्मा है। हमारा विश्वास इसमें उठ चुका है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रखता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : क्रम में तो श्री भैरोंसिंह का नाम है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्रम का प्रश्न नहीं, कोई भी बोल लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : म्युचुअल एडजस्टमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास!

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी दल के नेता ने अविश्वास प्रस्ताव रखते हुए बहुत ही गंभीर बातें सरकार के सामने रखी हैं। वैसे किसी के अन्दर अविश्वास क्यों होता है उसका एक मुख्य कारण यही होता है कि जब सामने वालों के कारनामे बहुत बुरे तरीके से जनता के सामने आते हैं तो उस पर अविश्वास हो जाता है। और मैं तो यह समझता हूं कि अविश्वास ही नहीं बल्कि आज जैसी भी राज्य में हालात हैं उनको देखते हुए मैं समझता हूँ कि राज्य रहे या नहीं? चाणक्य ने अपने श्लोक में कहा है "वरं न राज्यं कुराज राज्यं" याने बुरे राज्य से तो राज्य न हो तो अच्छा है। "वरं न मित्रं कुमित्र मित्रं, वरं न दारा कुदार दारा, वरं न शिष्यं कुशिष्य शिष्यं याने जहां तक राज्य का सवाल है आज देश के जो हालात हैं उनको देखते हुए चाणक्य ने जो भविष्यवाणी की है, चाणक्य जो एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था और हिन्दुस्तान की संसद के चारों तरफ जहां चाणक्यपुरी के नाम से बस्ती बसी है वही चाणक्य आपकी इस हुकूमत के लिए कहता है और देश के लिए कहता है कि कहीं बुरा

(श्री मुरलीधर व्यास)

राज्य हो तो जनता का काम है कि ऐसे राज्य का समाप्त कर दे। ऐसे राज्य से तो राज्य न हो वही अच्छा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात चाणक्य ने पुराने समय में कही। "वर न दारा कुदार दार" सरकार को स्त्री मान लें, तो बुरी औरत अगर हो तो उससे तो औरत न हो तो अच्छा है। ऐसी हुकूमत नहीं हो तो वैसे भी सोच लिया जाये तो अच्छा है।

आज कोई राज्य अच्छा है या बुरा है उसके तौलने के आधार होते हैं। आज १५-१७ वर्षों की आजादी के बाद अगर इस देश को अच्छा देश, गौरवशाली देश कहने का अगर मौका मिलता है तो उस समय मिलता है कि जब देश के ऊपर हमला होता और हम हमलावर को एक ही टक्कर के साथ में भगा देते। यह निश्चित है कि चीन के हमले के समय हम दबे। यह भी सही है कि जब पाकिस्तान का हमला हुआ उस का हमारे देश ने गौरवशाली जवाब भी दिया। लेकिन उसके साथ ही साथ जहां तक राजस्थान की सीमाओं का सवाल है यह भी मानना पड़ेगा कि हमारी राजस्थान सरकार, राजस्थान के मुख्य मंत्री की लापरवाही के कारण से एक दिन वह भी आया कि हमारे सिर के ऊपर कलंक का टीका भी पड़ा और इस टीके को हम छिपा नहीं सकते। आज सीमाओं की घटनाओं से २० हजार वर्गमील भूमि पाकिस्तान के कब्जे में आती है और उसके लिए हमारे भी ऑब्जर्वेशन हुए उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब कि आज देश के वातावरण में यह मान्यता चल रही है कि नवम्बर के अन्दर हमारे देश के ऊपर हमला होगा और चाहे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान सेनाध्यक्षों का वार्तालाप हो या कुछ भी हो लेकिन जहां तक मैं सीमा पर हो रही घटनाओं को देखता हूं मैं कहना चाहता हूं कि सीमा के ऊपर जो भी घटनायें हो रही हैं खुले आम लूटना, खुले आम हमला करना और खुले आम जानवरों को ले जाना–यह घटनायें सही हैं। उसके साथ ही साथ जो सीमा पर तैयारियां चल रही हैं वह जैसा कि आपको खुद को मालूम है पार्लियामेंट में प्रकाशवीर शास्त्री ने रखा और दूसरे लोगों ने भी रखा कि उनकी जो तैयारियां हैं वह डिफेन्स की नहीं हैं बल्कि हमला करने की तैयारियां हैं और सीमा पर जो राजस्थान की सीमा पर घटनायें घटी हैं उसके लिए राजस्थान सरकार का कर्त्तव्य है कि फौरन जागरूक हो। राजस्थान सीमा के ऊपर उन घटनाओं के अन्दर सीमा पर रहने वाले हमारे ही भाइयों ने जिन को हम सरपंच समझते थे उन्हीं लोगों ने उनके साथ मिलकर हमारे साथ बगावत की थी–मैं नाम नहीं लेना चाहता–ऐसे सैंकड़ों लोग थे जिन्होंने यह काम किया था। लेकिन आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो आने वाली स्थिति है उस स्थिति के कारण राजस्थान की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं मांग करता हूं कि क्योंकि मेरी मान्यता है कि राजस्थान की हुकूमत सीमा की सुरक्षा के सम्बन्ध में नाकामयाब रही है। उनकी जो फौजें थीं, उनके जो सिपाही थे जिन्हें कि अपनी चौकियों पर रखा था किस प्रकार की हालत में थे कि उनकी तैयारियां बिल्कुल नहीं थीं। दूसरी तरफ यह लोतकत्र है। लोकतत्र में दुर्भाग्य है हमारा और हम क्या करते हैं कि चाहे सरपंच हो या दूसरा हो क्योंकि वह

(श्री मुरलीधर व्यास)

हमारी चुनावों में मदद कर देता है, वोट दिलाता है वह चाहे देश का दुश्मन हो, गद्दारी करने वाला हो हमने उनको राहत दी है। देश की धरती की कीमत बड़ी होती है और सीमाओं पर जहां इस प्रकार के लोग रहते हैं मेरी मान्यता है कि आप वोट के लिए, कुर्सी के लिए या दूसरी चीजों के लिए उनके साथ सौदा नहीं करें और होना यह चाहिए कि क्योंकि हमारी राज्य सरकार मजबूत नहीं रही और उनकी लापरवाही से यह सारी कार्यवाही हुई है तो इस मामले में या तो उनको खुद को कह देना चाहिए भारत सरकार से कि २० मील की सुरक्षा की जिम्मेदारी वह अपने हाथ में ले ले। उस से यह होगा कि उस सीमा के ऊपर जो भी गड़बड़ी करने वाले हैं, चाहे तस्कर करने वाले हैं, चाहे सी० आई० डी० का काम करने वाले है अगर केन्द्रीय हुकूमत की निगरानी वहां रहेगी तो फिर अवश्य उनको गिरफ्तार किया जावेगा और वहां पर देख रेख रहेगी। परन्तु हमारी राज्य की सरकार सीमा मामले के अन्दर कुछ नहीं कर सकेगी। इसलिए मेरी मान्यता है और मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि आज से दो तीन महीने के बाद सर्दियों के अन्दर ऐसा मौका आ सकता है, जैसे हालात देश में हो रहे है, सीमा के अन्दर घूमने के बाद मैंने जो अपना दिल और दिमाग में नतीजा बनाया है, अगर उसके आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के समर्थक कुछ भी कहते रहें कि हम हमला होने पर यह करेंगे, वह करेंगे, ऐसा मौका आता है तो हमको सम्बन्ध तोड़ देने चाहिए और खुले आम मुंह तोड़ उत्तर देना चाहिए और कड़े से कड़े शब्दों में उत्तर देना चाहिए। तो सबसे पहली मांग मेरी यह है कि सीमा की सुरक्षा का काम केन्द्र को सौंप देना चाहिए नहीं तो हम बहुत बुरा नतीजा उठायेंगे।

दूसरा सवाल....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह-नगर) : मांग आप किससे कर रहे हैं जिस हुकूमत को हम हटाने जा रहे हैं उससे ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह देश का सवाल है और जब तक देश के अन्दर यह हुकूमत कायम है तो उससे ही यह बातें कहेंगे।

दूसरा प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आज सुरक्षा की इस देश के अन्दर जो स्थिति है, हम देश में यह भी देखते हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी इस हकूमत की दूसरी जिम्मेदारी है। यह हुकूमत लॉ एण्ड ऑर्डर को कायम रखने में भी कहां कहां कामयाब हुई है इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर छोटे मोटे गांवों में जो हमले होते हैं जो जुल्म होते हैं, मैं ऐसी घटनाओं पर नहीं जाता। परन्तु मैं समझता हूं कि जहां खुले आम कत्ल कर दिए हैं, खुले आम जला दिया जाता है लोगों को और खुले आम किसी को गोली मार दें, खुले आम किसी का गला दबा दिया जाय और यह सारी घटनाएं हो जायं हुकूमत के पास इतला आए और हुकूमत सोई रहे, यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकें कि किसने यह किया है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

मैं समझता हूं कि हुकूमत उस मामले नाकामयाब रही है। बीकानेर में दो तीन महीने पहले एक घटना हुई। एक मजदूर को बायलर के अन्दर जिन्दा डाल कर जला दिया गया। आज तक हुकूमत पता नहीं लगा पाई कि मजदूर को किस ने उस बायलर के अन्दर डाल कर जला दिया। एक फैक्ट्री में इस प्रकार से मजदूर को जिन्दा डाल कर जला दिया जाय और हुकूमत पता नहीं लगा पाए, पहचान नहीं करा पाए कि किसने ऐसा किया, पुलिस पकड़ नहीं सकें कि किसने उसको जिन्दा बायलर में डाल दिया। इसी तरह से बीकानेर के अन्दर एक १६-१७ साल की लड़की को जिन्दा जलाया गया। वह लड़की जली कैसे, क्यों जली, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, परन्तु खुले आम १० बजे वह लड़की जल गई और फिर उसको अस्पताल पहुंचाया गया और शाम को सात बजे उसकी मृत्यु हुई। परन्तु आज तक हुकूमत उसका पता नहीं लगा पाई कि किसने जलाया, कैसे जली, इसका पता नहीं लगा पाई। इस मामले के अन्दर किसी को पकड़ा नहीं गया। यह लड़की का फोटो है (लड़की का फोटो दिखाया गया) मैं इसे सदन के सामने रख दूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर एक लड़की जो इस प्रकार से खुले आम १० बजे जल जाय और जलने के बाद अस्पताल में पहुँचा दी जाय और वह ११ बजे अस्पताल में पहुंच जाय, अस्पताल में उसको रखा जाय और शाम को साढ़े सात बजे उसकी मृत्यु हो। तो क्या जूरिस्ट का यह काम नहीं था कि मजिस्ट्रेट को बुला कर बयान करवाते ? उसका बयान नहीं करवाया गया बल्कि जूरिस्ट ने खुद ने जांच कर ली। लड़की नवमीं क्लास तक पढ़ी हुई थी वह दस्तखत कर सकती थी, उसकी जगह एक नकली अंगूठा लगाकर कह दिया गया कि उसने यह बयान दिया है कि मैं स्वयं जल कर मर गई। कारण क्या बताया गया कि कोई स्टोव था, स्टोव से धोती जल गई, मेरे पास स्टोव पड़ा था उससे ही मैं जल गई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह बाड़े के अन्दर जली इस प्रकार से मानो किसी ने जलाया हो। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आपके राज्य में १६-१७ साल की लड़कियां जिन्दा जल जायं।

इस घटना के एक महीने बाद ही नर्मदा नामक लड़की जली। उसके बयान को भी आप देख लीजिए। मैं उसकी गहराई में नहीं जाता परन्तु मैं कहूंगा कि आज तक आप पता नहीं लगा पाए कि वह क्यों जली, उसके लिए आपने क्या कार्यवाही की। इस तरह से आपके राज्य में आज महिलाओं की बेइज्जती हो, उनको जिन्दा जला दिया जाय घर के आपसी झगड़ों में और सामाजिक मामलों के झगड़ों में जिन्दा जला दी जाय और आपकी हुकूमत उनके अन्दर कुछ भी न कर सके तो फिर आखिर क्या होगा ? आप स्वयं राज्य के गृह मंत्री जी, उदयपुर में रहते हैं, राज्य के मुख्य मन्त्री उदयपुर में रहते हैं, नाथद्वारा में एक बेचारा भक्त, भगवान का भक्त, वहां पर आया। उसने मानता मानी थी कि अगर पहला लड़का होगा तो मैं यहां पर आऊंगा और भोग चढ़ाऊंगा। उसने वहां

(श्री मुरलीधर व्यास)

आकर हजारों का भोग चढ़ाया और उसके बाद उस बच्चे को लेकर वह अपनी स्त्री और बच्चे के साथ उदयपुर में घूमने गया। और उदयपुर के अन्दर खुले आम कत्ल करके, मां-बाप और बच्चे का, तीनों का कत्ल करके फेंक दिया गया लेकिन आज तक हुकूमत पता नहीं लगा पाई कि वे कौन लोग हैं? क्या यह हुकूमत है? क्या इन्हीं आधारों पर आप कह सकते हैं कि आपके देश की लॉ एण्ड ऑर्डर की पोजीशन ठीक है।

मैं आपसे कहूं कि चूरू के अन्दर चले जाइए। एक लड़की को जो आज से कुछ दिन पहले, उमराव नाम की लड़की है, वह ससुराल में बैठी थी उसको किस तरीके से मार कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। मैं उसका पत्र पढ़ देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसने पत्र में क्या लिखा है। इससे आपका दिल एक प्रकार से दहल जाएगा। उसने क्या लिखा है, उस पत्र में यह मैं पढ़कर सुना देता हूं।

"दिनांक २-६-६५

आदरणीय पिताजी,

सादर प्रणाम,

आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आपको बड़े दुख के साथ यह लिखना पड़ता है पिताजी कि आपने किस नरक में धकेल दिया है। शायद ऐसी यातनाएं तो नरक में भी नहीं मिलती होंगी, ऐसी २ यातनाएं ये लोग दे रहे हैं। जो हालत है उस हालत में मेरे से तो यह सब सहन नहीं हो सकता। जो हालत इन लोगों ने की है वह कल मामीजी देख कर गई हैं। हाथ में इतनी सूजन आ गई है कि उसमें चटका चलने लगा है। दोनों छातियों पर इतनी सूजन आ गई है कि लीलें जम गई हैं। और खाने की बात ही क्या पानी भी होश आने से आधा गिलास पानी देते हैं। भंवरलाल जी का ऐसा ही हुक्म है। पिताजी मेरी जैसी दुखियारी और अभागिन तो शायद ही इस संसार में कोई होगी। दुख में कोई किसी का नहीं होता है। कल आपको दो बार बुलाने को भेजा। बाकी आना तो दूर की बात होती है, बाबू से कहा था आकर जवाब तो दे जाना। यह बाकी बाबू भी किसलिए आता। पिताजी कोई बात नहीं, मेरे कारण से आपकी इज्जत बची रह गई। अब आपसे हाथ जोड़कर आपकी अभागिन और दुखियारी पुत्री की एक ही प्रार्थना है कि अगर आप इस नरक में से, इन जीवित राक्षसों के हाथों से, एक दुखियारी के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं तब तो आज सूर्यास्त होने से पहले पहले कोई उपाय कर लीजिए अन्यथा आज के सूर्यास्त के साथ ही आपकी दुखियारी पुत्री की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी क्योंकि यह अब जीवित तो छोड़ेंगे नहीं, इतनी मेरे में शक्ति नहीं है कि इतनी शारीरिक यातनाएं सहन हो सके और अच्छा तो यही है कि इन राक्षसों के हाथों से मरने से अच्छा है कि अपने आपसे आत्म हत्या करली जाय। पिताजी अब आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि अगर आप दुख दूर कर सकें तब तो चाहे किसी भी ढंग से होकर के एक प्राणी के प्राणों की रक्षा कीजियेगा। अन्यथा अन्तिम इच्छा यही है कि आप आकर के अपनी पुत्री को अन्तिम दर्शन देने का कष्ट करें। आपको आने में

(श्री मुरलीधर व्यास)

कष्ट तो जरूर होगा वरना आते समय जीवन काका सा को साथ में जरूर लेते आवेंगे। पिताजी अगर मांसा आ सकें तो कह देना कि अन्तिम बार अपनी पुत्री से मिल तो लें....."

तो यह पत्र है जिसमें उसने इस प्रकार से लिखा अपने पिता को। जब आदमी दुखी होता है, हर घर में हर लड़की जब दुखी होती है तो अपने पिता की तरफ ही देखती है।

(४ म० प०)

परन्तु उसके बाद में लड़की मर गई। लड़की मर जाने के बाद पुलिस का काम था कि वह इसका पोस्टमार्टम कराती, जांच कराती कोई काम करती, परन्तु वह कार्यवाही भी नहीं हुई, लेकिन यहां तक हुआ कि कुछ कागजात भी थे उसको पुलिस ने दबा दिया और आज तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सरकार ने जिन सी० आई० डी० इंस्पेक्टर, लक्ष्मीनारायण जी को तजवीज किया था उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यह इस खानदान में पहला कत्ल नहीं है बल्कि अनेकों कत्ल इस खानदान में किये जा चुके हैं। सब तरह से इस केस को दबा दिया गया। लाश को फूंक दिया गया, पोस्टमार्टम नहीं किया गया और बड़े बड़े कर्म किये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : सी. आई. डी. की रिपोर्ट थी। पर कोई न कोई कारण था कि उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उसको चुपचाप जला दिया गया। इन सारी बातों से स्पष्ट है कि इस प्रकार की कार्यवाही की है। जिस तरह से इसकी मौत हुई है उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ कि सी. आई. डी. की रिपोर्ट हो जाये उसके बावजूद आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे खेद है कि बहुत से लोग, क्योंकि दूसरा पक्ष इस मामले को दबाता है तो मैं कहना चाहता हूं कि, गृहमंत्री जी, किससे बोलें। कहीं पर उस लड़की की बात सुनने वाला नहीं है तो उसका कहना उसके मां-बाप के पास होता है और राज्य के गृहमन्त्री के पास होता है। अगर गृहमन्त्री जी यह महसूस करलें कि सारी मेरी बेटियां हैं और आज आपकी बेटी की बेइज्जती इस प्रकार होती है तो जिस प्रकार से उस पर कार्यवाही करते उसी प्रकार से इस पर कार्यवाही करते। इतना दिल लेकर आप कार्यवाही करेंगे तब आपको पता चलेगा।

इसके बाद एक भंवर लाल नाम का एक आदमी मारा गया। राजनैतिक कारणों से मारा गया। राजगढ़ और चूरू के बीच में मारा गया। लेकिन आज इतना अर्सा हो गया कुछ पता नहीं। राजनैतिक कारणों से ऐसे मामले दबा दिये जाते हैं।

तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कहना चाहता हू कि लॉ एण्ड ऑर्डर वह होता है हुकूमत का कि जहां भी ऐसी घटना हो वहां पर महीने दो महीनों में ऐसी कार्यवाही हो जाये, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं करते हैं ६-६ महीने हो जायें, साल-साल भर हो जाय, दो-दो साल हो जायें। यह हुकूमत का काम है ? यह बड़ा ही गृहमन्त्री और

(श्री मुरलीधर व्यास)

हुकूमत के कलंक होता है यदि इस प्रकार की घटना उनकी आंखों के सामने घटती है इसलिये या तो उनको त्यागपत्र दे देना चाहिये या उनको गिरफ्तार करके दिखायेंगे, यह होना चाहिए, परन्तु माननीय उपाध्यक्ष, यह नहीं होता है।

अब रहा लॉ एण्ड ऑर्डर का सवाल तो ला एण्ड ऑर्डर की बातों में इस हुकूमत को ले लें, विधि के मामलों में ले लें न्याय के मामलों में ले लें, राज क्या चाहता है? न्याय क्या चाहता है? मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा न्याय आप देते है? आज आपके राज्य के अन्दर जितने भी छोटे मोटे कर्मचारी या दूसरे लोग हैं उनके प्रति न जाने कितनी गलतियां आप करते हैं कि उनको न्याय के दरवाजे खटखटाने पड़ते है। आप न्याय नहीं दे पाते। यहां तक कि कर्मचारियों को ले लीजिये किसी भी डिपार्टमेन्ट के बड़े से बड़े आदमी को आपके पक्षपात के कारण हाई कोर्ट के दरवाजे तक जाना पड़ता है, चाहे वह पुलिस का हैड हो, चाहे वह पी. डब्ल्यू डी. का हैड हो चाहे वह आई.सी.एस. सर्विस के हों या एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के लोग हों, चाहे मेडिकल डिपार्टमेन्ट के लोग हों आपका पक्षपात ऐसा होता है कि किसी को हक मिलता है और किसी को नहीं मिलता है, और सबों को हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और हाईकोर्ट में जो कुछ भी पक्षपात आपने किया है उसकी वजह से सभी फैसले आपके खिलाफ आते हैं। तो कोई अन्दाज नहीं लगा सकता है कि आपके राज्य में पक्षपात नहीं होता है। ये सारी बातें आप स्वयं देख लें और आपके प्रशासन में आपके कर्मचारियों की नियुक्तियों में, प्रमोशन्स में न जाने किस तरीके की खामियां रख देते हैं किसी तरीके से किसी को आगे बढ़ा देते हैं और किसी को पीछे हटा देते हैं। आपने इन १५ सालों में क्या-क्या कारनामे किये हैं। इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट के जितने फैसले हुए हैं वह आप देख लीजिये। यहां तक होता है, एक हाई कोर्ट का मैंने फैसला देखा है, कि एक एस. पी. थे उन्होंने गलत प्रमोशन के सम्बन्ध में हाई कोर्ट में रिट की और हाई कोर्ट में आपकी हुकूमत के बड़े बड़े ऑफिसर चाहे विष्णुदत्त जी हों या चीफ सेक्रेटरी हों वे क्या कहते हैं, क्या वे वहां पर अपनी राय रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है उनसे कि यह डॉक्यूमेंट मत रखो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही होगी। क्या हमारा न्याय का यह तरीका है। सुप्रीम कोर्ट में आपका अधिकारी प्रशासन का कोई डॉक्युमेंट पेश करना चाहता है न्याय के लिये तो वहां पर आपकी सरकार के बड़े-बड़े लोग यह कहकर कि अगर यह डॉक्यूमेंट पेश करोगे तो आपके खिलाफ कार्यवाही होगी, उसको न्याय से वंचित करवाना चाहते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के अन्दर वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप देख लीजिये। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने आपकी हुकूमत, राजस्थान की तरफ से उनको माफी मांगनी पड़ी कि हमने कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। हुकूमत ने गलती की है इस बात को कबूल कर और माफी मांगनी पड़ी। और ये कहते हैं कि हम सब को मौका देते हैं। अगर आपका बस चल जाय तो आप अपने स्वार्थ के लिए अगर मौका आये तो इन्सान को मरवा दें, कटवा दें, अलावा

Page No. 110

(श्री मुरलीधर व्यास)

दें। आप इस रास्ते पर आ गये हैं। लोकतन्त्र के अन्दर यह जो रवैया चल रहा है मैं समझता हूं बड़ा ही खतरनाक है। आपने न्याय के रास्ते सारे बन्द कर दिये हैं।

दूसरे जहां तक न्याय का सवाल है चाहे उसके बाद में प्रशासन का सवाल ले लीजिये तो प्रशासन के सवाल के मामले में प्रशासन की क्या हालत है और क्या नहीं और आप थोड़ा गहराई में जायेंगे तो चाहे प्रशासन का कोई डिपार्टमेंट हो, आज हर आदमी, आपके प्रशासन का हर आदमी परेशान है कि आपने राज्य के अन्दर कानून बनाये हैं उनमें चाहे कोई इन्सपैक्टर हो, वह चाहे फूड का काम करते हों, चाहे एडल्ट्रेशन का काम करते हों, चाहे वेट्स एण्ड मेजर्स का कान करते हों, चाहे शाप्स एक्ट के तहत दूकानों को बन्द करवाने और खुलवाने का काम करते हों, मैं कहना चाहता हूं कि आपने जितने कानून बनाये हैं यह कहकर बनाये हैं कि हमने जनता के हित के लिए बनाये है, लेकिन ये सारे कानून आज भ्रष्टाचार के बड़े-बडे अड्डे बन गये हैं। आपका इन्सपेक्टर चाहे रोड़वेज़ का हो, चाहे दूकान बन्द करवाने और खुलवाने का हो जिसने पैसा दे दिया वह दूकान खुली रखता है और जिसने पैसा नहीं दिया वह दूकान नहीं खोल सकता है। आज एक एक इन्सपेक्टर १०-१० ५-५ हजार एक साल के अन्दर करता है बड़े शहरों और दूसरे स्थानों में। आप इस बात की जांच नहीं करते कि कितनी रकम थी, कितना पैसा था उसके पास और अब इतना कहां से आया है। आपके जितने इन्सपेक्टर हैं मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बीकानेर के अन्दर जो गूजर लोग हैं, ग्वाले लोग हैं दूध बेचने वाले तो उन दूध बेचने वालों का चालान किया गया लाइसेन्स नहीं लेने की वजह से और लाइसेन्स क्या था कि सेन्ट्रल एक्ट है उसके तहत लाइसेन्स का आखिरी जो महीना खत्म होता है जनवरी की पहली तारीख से पहले उसको लाइसेन्स ले लेना चाहिए। बेचारे उन दूध बेचने वालों ने पैसा जमा करा दिया म्युनिसिपैलिटी में, लेकिन उनको समय पर लाइसेन्स नहीं मिला तो नतीजा यह हुआ कि बीकानेर के अन्दर १७६ दूध बेचने वालों के खिलाफ केस चला दिये और उन गूजरों के खिलाफ जिनकी औरतें दूध बेचती है उनके खिलाफ। उनके आदमी के पास लाइसेन्स है तो वे बोले कि नहीं दूध तो तूने बेचा है आदमी का लाइसेन्स नहीं चल सकता है तो उन १७० औरतों को कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा कर दिया, यह आपके प्रशासन का तरीका है।

आज कोई कर्मचारी इस सेक्रेटेरियेट में आकर कह सकता है बीकानेर का हो चाहे जोधपुर का हो या और कहीं का हो कि मुझे कुछ कागज निकलवाने है तो बिना कुछ दिये कुछ काम कराना मुश्किल है। देवता की भेंट दो, पूजा करो और उसके बाद देवता प्रसन्न हों तो कागज निकल जाय, नहीं तो चक्कर लगाते ही रहो। यह कोई प्रशासन नहीं है। आप इसकी गहराई में जायं कि यह किस कारण से बढ़ता चला जा रहा है। इसका मूल कारण मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसका मूल कारण मन्त्री मण्डल की

(श्री मुरलीधर व्यास)

लम्बी फौज है। आप लोग अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं सेक्रेटरी से कहते हैं काम कराना है या किसी दूसरे सेक्रेटरी से कहते हैं। आप कोई सेक्रेटरी से गलत काम करवाते हैं तो वह आप पर हावी हो जाता है और कोई गलत काम आप कर भी दें तो उसको आप रोक नहीं सकते। आज मेरी मान्यता ऐसी है कि अगर इस राज्य के प्रशासन को ठीक करना है तो हर मन्त्री अपने आप अपना नैतिक स्तर ऊंचा करे और अपने आप गलत रास्ते पर न जायें और कोई गलत काम नहीं करें तो मामला सुधर सकता है। अगर आप इस रास्ते पर आयेंगे तो कुछ सुधार होगा।

आपके राज्य के अन्दर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने मन्त्री हैं उनका रेकार्ड तो देख लें कि मन्त्रियों ने आसन पर आने के बाद अपने तरीके से किस किस ने कितना फायदा उठाया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता और इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरी यह मान्यता है कि इस लोकतन्त्र के अन्दर जब तक वह व्यक्ति जो बड़ी से बड़ी कुर्सी पर है जो कि राज्य का सबसे पहला सेवक है वह राज्य का मुख्य मन्त्री होता है। अगर मुख्यमन्त्री स्वयं अपने आचरण को बहुत ऊंचा बना लेता है तो मैं समझता हूं कि सारे राज्य पर उसका असर होता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य के मुख्य मन्त्री अपने पद का दुरुपयोग करके अपने स्वार्थों के लिए जो कुछ भी करना है वह सब कुछ कर लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गत समय में मैंने एक प्रश्न पूछा था माननीय मुख्य मन्त्रीजी से तो मैं आपके सामने ७-८ रजिस्ट्रियां रखता हूं। जिसके अन्दर ये सारी रजिस्ट्रियें जो की गई है वे इन्दुबाला के नाम से हैं। यह सारी जमीन की खरीद फरोख्त है वह सुखाड़ियाजी के नाम से नहीं हैं इसके ये माने नहीं है कि वे इसमें नहीं है। यह सारी जमीन इन्दुबाला सुखाड़िया ने खरीदी है। एक खरीदी, दूसरी खरीदी, तीसरी खरीदी चौथी खरीदी इस तरह से ७ जमीनें खरीदीं। एक स्टेट का मुख्य मन्त्री जिनकी औरत किसी स्थान पर अलग अलग जमीन खरीदे और खरीद कर अपने काम में ले और यह जमीन उन लोगों की हो जो बेचारे बागवान हैं, खेतीबाड़ी का काम करने वाले हैं उनको जमीन से महरूम करें। होना तो यह चाहिये था कि मुख्य मन्त्रीजी और उनकी पत्नी उन लोगों को आबाद करें तुम्हारे पास जमीन है उसको जोतो। यदि मुख्य मन्त्री खुद ही इस प्रकार का काम करे तो यह बड़े खेद का विषय है। आपको यह रजिस्ट्री पढ़ कर सुनाता हूं आपको मालूम हो जायगा कि कहां कहां जमीन खरीदी गई। यदि देखना चाहते हैं...

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : आप नहीं खरीद सकते हैं क्या ? पैसा देकर कोई खरीद सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : लोकतन्त्र को जिन्दा रखना है तो याद रखिये पद पर आने के बाद हम भी इस तरह से खरीदेंगे तो भ्रष्टाचार को पनपावेंगे। मैं जानता हूं कि आप लोग क्या करते हो। मैं उपाध्यक्ष महोदय सरकार से कहता हूं कि आज आप लोग खरीदें, एक साथ जमीन ले लें लेकिन एक आदमी सात बार जमीन खरीदे इस नाम

Page No. 112

(श्री मुरलीधर व्यास)

से और अलग अलग लोगों की जमीन खरीदता है तो मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा अन्याय करता है ...

श्री नत्थीसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, पर यह कितने बीघा जमीन खरीदी है और कितने रुपयों में खरीदी है। रुपयों से आप भी खरीद सकते हो।

श्री मुरलीधर व्यास : एक जमीन खरीदी है १०००) में....

एक माननीय सदस्य : कितने बीघा खरीदी ?

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरी खरीदी है २६०००) में। मैं कहता हूं आप यह देख लीजिये २२-३-६४ को किशनलाल माली की जमीन उदयपुर में....

श्री नत्थीसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन सर। कितने बीघा जमीन है यह बता दें। आपकी तैयारी तो है नहीं और बोल रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप मेरे मकसद को पहले समझने की कोशिश करें।

श्री नत्थीसिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि कितने बीघा खरीदी है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): आप राष्ट्रीयकरण की बात करते हो और बेईमानों को सहारा देते हो।

श्री मुरलीधर व्यास : उदयपुर शहर के बीच में ५१७ किसान खेती का काम करते थे उनकी जमीन के एक तरफ एग्रीकल्चर कॉलेज, युनिवर्सिटी आदि थे वह जमीन आबादी के लिए रहने के लिए चाहिये थी उस जमीन को मुख्य मन्त्रीजी की पत्नी इस तरीके से खरीदे कि ५ बीघा हो तो दे दो, ७ हो तो दे दो और इस प्रकार से रजिस्ट्रियां करादें तो यह पद का दुरुपयोग है। इस तरह से पद का दुरुपयोग बड़ेबड़े आदमी करते हैं यह कलंक की बात है।

दूसरी बात यदि जमीन को लेने में पद का दुरुपयोग किस तरह से करते हैं यह जानना हो तो नाथूरामजी मिर्धा के बारे में बताता हूं। नाथूरामजी मिर्धा को सीयलगांव में.......

एक माननीय सदस्य : मेरी अर्ज है कि ये जितने कागज इनके पास हैं मुझे शक है कि ये फर्जी हैं इसलिए इनको हाउस की टेबल पर रखा जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं रखने को तैयार हूं यदि गलती हो तो आप भी देख सकते हैं आपको मालूम हो जायगा कि मुख्य मन्त्रीजी के क्या क्या कारनामे हैं।

श्री नत्थीसिंह : बीघा बताया नहीं। आपको पता ही नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे पास इतना समय नहीं है। दूसरा, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बता रहा था यह २५ आदमियों की जमीन है। आप ख्याल रखिए ये हमारे नाथूरामजी जो किसान हैं ये कहते हैं कि हम गलत काम करते नहीं हैं। उनके पास जोधपुर में अंगूरों की खेती है यह कैसे आई कैसे नहीं इसमें मैं नहीं जाना चाहता। इन्होंने क्या किया कि जब यह जमींदारी समाप्त हुई उस समय

(श्री मुरलीधर व्यास)

एक छोटी सी जागीर जिसका नाम है सिथल इस गांव में इनकी जागीर थी, थोड़ी सी जमीन थी, मिर्धा परिवार की जागीर थी ये लोग खेती का काम करते थे, जमीन थी। जब जागीर एबोलिशन हुई तब इन्होंने क्या किया? उन्होंने यह किया कि जो जमीन थी उसके नाम से तो जागीर लेली, दूसरी तरफ क्या किया कि उस परिवार के लोगों ने जागीरदार बनकर राजस्थान कैनाल के पास किसी तरह से जमीन लेली। भोजराज उमाराम आदि की सिथल तहसील कुचेरा में १३० बीघा जमीन है उसके बावजूद भी भूमिहीन के नाम से किसनाराम दादा लखाराम पिता अंबाराम ने गोलवास में चक नं० ३४ हनुमानगढ़ में लेली। दूसरों ने भी इसी प्रकार से जमीन ले ली उनके नाम हैं रामजीवन, भगवानराम। इन लोगों ने एक छोटी सी जागीर के नाम से मुआवजा ले लिया। कुचेरा में इनके पास खेत थे, जमीन थी फिर भी भाखरा में जमीन लेली। २०० बीघा जमीन ले ली गोलुवास में। सा ६१ में छोटेलाल ने पी० एल० चक रायसिंहनगर में फिर १०० बीघा जमीन ले ली। उसके बाद ५० बीघा गोविन्दराम ने और १६० बीघा जमीन एक और ने ले ली। फिर ट्रैक्टर के लिए ऋण ले लिया गंगानगर जिले में यह जमीन थी वहां पर लोन लिया और ट्रैक्टर चल रहा है कुचेरा में। इस प्रकार से ३५ परिवारों ने छोटी सी जागीर के नाम से इतनी जमीन ले ली वह भी गंगानगर जिले में ले ली जबकि कुचेरा में इनके पास जमीन मौजूद थी। मैं कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं भूमिहीनों को जमीन देनी चाहिए....

श्री नाथूराम मिर्धा: ओन ए पोइन्ट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। सिथल गांव का इन्होंने जिक्र किया वहां पर मिर्धों के ३० ४० या ४५ घर हैं। उनकी जमीन छोटी सी २ हजार बीघों की जमीन थी जो उनके खुद काश्त की थी। इन लोगों ने कानून के नीचे खुदकाश्त की जमीन ली तो नाथूराम का इससे क्या सम्बन्ध है?

श्री मुरलीधर व्यास: मिर्धा परिवार के लोगों ने ली है।

श्री नाथूराम मिर्धा: मेरा परिवार लम्बा चौड़ा है। उन लोगों ने जमीन ले ली तो क्या अन्याय कर लिया, You are Simply wasting time of the House. वहां पर उन लोगों के ४०, ४५ घर हैं उन्होंने खुद काश्त के लिए कानून के अनुसार जमीन ले ली तो नाथूराम ने उसमें क्या किया।

श्री मुरलीधर व्यास: यदि उनके पास जमीन पहले से नहीं है तो मैं त्यागपत्र दूंगा और यदि है तो आप त्यागपत्र दें। मैं लिख देता हूं आप भी लिख कर दें।

श्री नाथूराम मिर्धा: किन्हीं आदमियों ने यदि गलत तरीके से भी जमीन ले ली है तो उसमें नाथूराम का क्या दोष है यह बताइए किसके पास कितनी जमीन है इसकी मुझे जानकारी नहीं है मेरे साथ उनका सम्बन्ध कैसे जोड़ते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मन्त्रीजी ने यह नहीं कहा कि यह जमीन लेने वाले उनके भाई भतीजे, काका, बाबा के लड़के नहीं हैं....

श्री नत्थीसिंह तारीख क्या है ।

श्री मानिकचंद सुराणा : नए नए कांग्रेस में गए हो, टिकट तय है, बात समझा करो । कुछ अकल रखा करो ।

मैं यह नहीं कहता कि कानून के अनुसार ली या कानून के विपरीत ली । प्रश्न यह है कि आपके काका का लड़का, बाबा का लड़का या छोटा भाई इनमें शामिल है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई नहीं है । हमारे मिर्धा परिवार के करीब ४०–४५ घर हैं । ७,८ पीढ़ी में जाकर हम एक होते हैं । मेरा कोई भाई भतीजा इनमें नहीं है । यदि उनमें से किसी के पास जमीन नहीं थी और कायदे कानून के अनुसार किसी ने खुद काश्त की जमीन ली, गलत ले ली, सही ले ली तो उससे नाथूराम का क्या सम्बन्ध है ?

मुझे अफसोस इसी बात का है और कुछ नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कह रहा हूँ कि यह जागीरदार, जिनके पास में जमीन थी, जमीन होते हुए भी, खुद काश्त की जमीन होते हुए भी वह जमीन लेते हैं ...

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि इसके बारे में उज्र है तो जिस महकमे ने दी है, जिसने गलत कार्यवाही की है उसकी शिकायत कीजिये । नाथूराम का कोई लेना देना नहीं है । मैं न राजस्व मंत्री हूँ, न जमीन देने वाला हूं, न जमीन लेने वाला हूँ, मेरा कोई जमीन से ताल्लुक नहीं । जिन्होंने जमीन ली है उनके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं । फिर क्यों नाथूराम का नाम जोड़ते हैं । यही निवेदन है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्योंकि आपके गांव के हैं इसलिए जोड़ते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो ठीक है, आप कहते जाइए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नाम तो उपाध्यक्ष महोदय, पूरी तरह से जुड़ता है । आप मन्त्री नहीं होते तो इनमें से किसी को भी जमीन नहीं मिलती ।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्यों ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्योंकि आप मन्त्री हैं, उप नेता हैं, इसलिए आपके प्रभाव से मिली हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हजारों लोग छोटे छोटे जागीरदार थे, जो जागीरदार तो थे लेकिन उनकी खुद काश्त की जमीन नहीं थी । उनको जमीन एलाट हुई है । वह भी उनमें से थी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सारे छोटे छोटे जागीरदार ठोकरें खाते फिरते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : जिनको जमीन दी गई है उनके बारे में इन्वेस्टीगेशन करा लीजिए, जांच करा लीजिए, तो आप देखेंगे कि अवैधानिक तरीके से दी गई है । अवैधानिक तरीके से जो आपके गांव के हैं, जो आपके गांव के रहने वाले हैं आपको देख

(श्री मुरलीधर व्यास)

रेख में और आपकी आंखों के सामने जमीन देकर गलत काम किया जाय और आप कहें कि आपको पता नहीं। आप इस गुमराह नहीं कर सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा : दुनियां आपके तरह सदन को कहने से नहीं मान सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो कुछ भी हुआ है वह आपकी आंखों के सामने हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके बारे में तो जो कुछ भी कहें दुनियां उसको सच मान लेगी।

एक माननीय सदस्य : जांच करा ली जाय तो दामोदरलालजी पर ही लगेगी। दोनों ही व्यास हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरी भावना यह है कि किसी तरीके से कोई भी मन्त्री अपने पद का दुरुपयोग न करे यह अपने आप में देश को सुधारने का प्रयास है। नहीं तो देश को नहीं सुधार सकेंगे–यह मेरी मान्यता है इसलिए ही मैं कह रहा हूं।

मैंने कहा था. आपके इस राजस्थान के अन्दर बहुत बड़ा सोने का घोटाला हुआ था। छोटी सादड़ी के अन्दर सोना पकड़ा गया और जो सोना पकड़ा गया वह कोई थोड़ा नहीं था, वह सोना लाखों रुपये का था, साठ लाख रुपये का था। जब एक आदमी कहता है कि मेरा सोना इसके पास रखा हुआ है। वह पुलिस में रिपोर्ट देता है। पुलिस में रिपोर्ट देकर कहता है कि मेरा सोना इसके पास रखा हुआ है और एस. पी. अपनी कलम से यह लिख कर भेजता है कि वहां जाकर इसकी कार्यवाही करो। सोना जहां पड़ा होता है वहां जाकर एस. पी. कार्यवाही करने के लिए लिख देता है। लेकिन जिसके पास में यह सोना था वह व्यक्ति गणपतलाल दौड़ कर वहां से जाता है कांग्रेस के एक व्यक्ति के पास चांदमल के पास। और चांदमल उसको लेकर सुखाड़िया जी के पास आ जाता है। उनसे उस सम्बन्ध में बात करता है और सुखाड़िया जी के यहां लालबहादुर शास्त्री को तोलने की बात करता है। वह व्यक्ति कहता है, यह सोना है इससे आप लालबहादुर जी को तोलें–मैं तैयार होता हूं देने के लिए। इधर से वह आपके एस. पी. फोन करते हैं चीफ मिनिस्टर को और कहते हैं–क्या कार्यवाही करूं। चीफ मिनिस्टर एक दफा तो एक लफ्ज में कहते हैं–भाई कार्यवाही तुम करो। और उसके बाद जब वह आ जाता है तो चीफ मिनिस्टर उसको खुद अपनी गाड़ी में बैठा कर वहां जाते हैं और पहले जो आदेश दिया था और आदेश में कहा था कि सोने को कब्जे में ले लो, उसी आदेश को वापिस ले लेते हैं। तो एक हुक्म देते हैं कि कार्यवाही करो और दूसरा उन्हीं का हुक्म होता है कि कार्यवाही बन्द कर दो। यह साठ लाख का सोना था, और इस सोने की १५६ ईंटें थीं। उनमें से लालबहादुर जी को तोलने के लिए उनके वजन की सोने की ईंटें अपने पास रख ली जाती हैं और दूसरा बाकी का सोना, सोने की ईंटें उस गणपतलाल के पास छोड़ दी जाती हैं। मैं इस सम्बन्ध में शक और शुबाह नहीं करता मैं तो सरकार को कहता हूं कि सरकार उसका पता लगाये। वहां जो सोने

(श्री मुरलीधर व्यास)

की ईंटें थीं उसमें से बाकी की ईंटें सोने की कहां गईं, किधर गईं। रिपोर्ट में यह है कि वे टुकड़े करके दी गईं, लालबहादुर जी के वजन के बराबर सोना दे दिया गया, लेकिन दूसरा बाकी का लाखों रुपये का सोना कहां गया, किसके पास गया, किसने किस आदमी को पकड़ा और कौनसे आदमी को पकड़ कर वह सोना बरामद किया ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर : कुछ नहीं हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे साजिश थी। इस मामले के पीछे दो एम. एल. ए. थे। श्री निवास उस गुणवन्त राय के साथ हो गये और दूसरे गणपतिलाल के साथ में हो गये। गणपतिलाल को जीप में लेकर यहां पहुंचे और उधर वह उसको लेकर पहुंचे। इन दोनों मेम्बरों के बीच में सोना गया, कहीं नहीं गया ? मुख्य मंत्री जी को कौनसा ऐसा आकर्षण हुआ कि अपनी गाड़ी में बैठा कर उधर दौड़े दौड़े गये। मैं यह सारी बातें सच कहता हूं मैं गलत नहीं कहता। जो कुछ भी कार्यवाही इस मामले में हुई है, जो कुछ भी सोना था, वह साठ लाख का सोना था, वह थोड़ा सोना नहीं था, उस सोने में से लाल बहादुरजी के वजन के बराबर सोना दे दिया गया। वह सोना तो पड़ा है लेकिन बाकी का सोना कहां गया, उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ–उसका हुकूमत क्यों नहीं पता लगाती ? वह सोना किस ने किस तरह से दबाया, इसकी जांच सरकार क्यों नहीं करती है। मेरा निवेदन है कि जांच होगी और कार्यवाही होगी तो निश्चित रूप से पता लगेगा। इन सोने की ईंटों के गबन के मामले में बड़े बड़े लोगों के हाथ थे, इसमें कोई छोटा व्यक्ति नहीं था....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसमें केवल यही बात नहीं है कि लाल बहादुर जैसे महान आदमी को इस पाप के सोने से तोलने के लिए लिया गया बल्कि पापियों के साथ में समझौता किया गया और उस सोने से लाल बहादुर जी जैसे महान आदमी को तोला गया।

श्री मुरलीधर व्यास : वह तो अच्छा हुआ कि वह जाकर महीने भर बाद में दुर्भाग्य से दुबारा आये ही नहीं, वह चल बसे। मैं तो कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी जैसे व्यक्ति यह कार्यवाही करते हैं–ऐसे पद पर बैठने वाले व्यक्ति ऐसी कार्यवाही करते हैं–यह उनको शोभा नहीं देता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके सामने कुछ नागरिक अधिकारों के बारे में कहना चाहता हूं। इस देश के जो रहने वाले लोग हैं उनके प्रति सरकार का कर्तव्य है कि वह उनके अधिकारों की सुरक्षा करे। मैं पूछता हूं कि नागरिक अधिकार राजस्थान के अन्दर अठारह साल की आजादी के बाद भी इस सरकार ने हमको क्या दिये हैं। आज सारे देश में त्राहि त्राहि मची हुई है, देश के नागरिकों को अनाज महंगा मिलता है, उनको नौकरी नहीं मिलती है और जीवन की दूसरी सुविधायें नहीं मिलती हैं। और इस सरकार के शासन में देश बरबाद हो गया है। इस लोकतन्त्र में इस देश के नागरिकों को इस सरकार ने क्या दिया है, मैं समझता हूं कि केवल एक चीज

(श्री मुरलीधर व्यास)

दी है और वह है वोट का अधिकार, लोकतन्त्र के अन्दर चुनाव पद्धति को लागू करके केवल एक चीज, वोट का अधिकार, हमको दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव की पद्धति तो इस सरकार ने दी, लेकिन लोकतन्त्र में जो बोलने का अधिकार होता है, लिखने का अधिकार होता है और अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होता है–इन सब अधिकारों का यह सरकार गला घोट देना चाहती है। आज 'राजस्थान पत्रिका' के सम्बन्ध में जो मामला हुआ है, यह उसी प्रकार से गला दबाने का मामला था, कोई पत्रिका सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसका इस प्रकार गला दबा दिया जाता है। इसी प्रकार से भरतपुर के अन्दर गुप्ता का मामला हुआ। उस घटना के पहले गुप्ता ने इस हुकूमत को बार बार चिट्ठी लिखीं कि मुझे खतरा है, मुझे मार दिया जायगा, मुझे मेरी जान का खतरा है। इस प्रकार के पत्र सूरजभान गुप्ता ने सात दफा लिखे, उसके बाद भी आपकी सरकार उसकी निगरानी नहीं कर सकी और उस सूरजभान गुप्ता को गोली से उड़ा दिया गया और वह मर गया। क्योंकि वह विचारों को निर्भीक होकर अभिव्यक्त करता था, क्योंकि वह पुलिस के खिलाफ लिखता था, इसलिए उसको गोली से उड़ा कर उसकी आवाज को दबा दिया गया। यह सरकार की नीति है कि किसी की आवाज को पनपने नहीं दे और बोलना चाहे उसकी गर्दन दबा दें, उसका गला दबा दें और उसको बोलने न दें सीकर के एक मामले के सम्बन्ध में भैरोंसिहजी जिक्र कर रहे थे, मैं आपको निवेदन करूं कि वहां के लोगों ने काले झंडे दिखाने का प्रबन्ध किया, उस सम्बन्ध में आप देखिये कि आप क्या नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं ? आपके कलेक्टर ने चुने हुए सरपंच को लिखा, उसमें वह क्या लिखते हैं—

'जिलाधीश कार्यालय'

विषय–उप मंत्री, वित्त एवं कर श्री रामदेवजी का दिनांक १४-५-६६ को ग्राम राडोली का दौरा"

फिर नीचे लिखते हैं :

"मान्यवर,

इस कार्यालय में ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि आपने १४-५-६६ को जब कि श्री रामदेवसिंह, उप मंत्री, वित्त एवं कर, राजस्थान सरकार, जयपुर ग्राम राडोली का दौरा करने पधारे हुए थे, उस वक्त आपने काले झण्डे दिखाये एवं नारे लगाये जो अशोभनीय और अभद्र की तारीफ में आते हैं।"

इससे आगे जिलाधीश लिखते हैं–

"अब आपको नोटिस द्वारा लिखा जाता है कि क्यों न आपके अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय। इस बाबत अपना जवाब दिनांक २८-६-६६ तक प्रस्तुत करें।"

एक आदमी काले झंडे दिखाये, तो उसके

(श्री मुरलीधर व्यास)

काले भण्डे आप नहीं देख सकते । आज गरीब जनता भूखी मरती है, वह आवाज करती है और आपका विरोध करती है–तो उस लोकतंत्र के अन्दर आप वोट के अधिकार को, बोलने के अधिकार को, काले भण्डे दिखाने के अधिकार को पसन्द नहीं करते हैं ।

अभी हमारे बृजसुन्दरजी निवाई गए । वहां के सोशलिस्ट कार्यकर्ता ने काले भण्डे दिखाये । एक गेट बनाया हुआ था, एक दरवाजा बनाया हुआ स्वागत में, हां वह दरवाजा काला था, उस पर मटकियां रखी हुई थीं और बीच में लिखा हुआ–'भ्रष्टाचार के देवता तुम्हारी जय हो'–यह जरूर लिखा हुआ था । तो यह गेट बना हुआ था, उसके अन्दर से वह निकले । और वहां जो काली पताका लगी हुई थी उसको तोड़ने की कोशिश की, वहां पर डण्डे भी पड़े हुए थे । वहां पर खुद मिनिस्टर हाजिर थे, सर्किल इन्सपेक्टर और उसके साथ पुलिस भी हाजिर थी और वह डण्डे ले ले कर आये थे । वहां पर केवल काली भण्डी दिखाई, इतनी सी बात की, वह इनकी आंख को खटकी और बिहारीलाल मानिक लाल के ऊपर, उनका क्या ऐसा कसूर था, कि तीन–चार डण्डे बरसाये गये, उसका सर फोड दिया जावे और आप वहां पर हों ।

हो सकता है कि आप यह कहें कि मैं तो सुनता नहीं । मैं बडे अदब के साथ कहना चाहता हूं कि लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करने की जिम्मेदारी आपकी भी है । आप लोकतन्त्र को मानते हैं तो विरोधियों को आपको जरा हिम्मत से सुनना होगा और उनमें विश्वास पैदा करना होगा तभी आपका लोकतन्त्र जिन्दा रहेगा । अगर आपने विरोधियों को कुचलने की कोशिश की तो आपका लोकतन्त्र नहीं रहेगा और फिर तानाशाही हो जावेगी । यह सारे देशों का इतिहास बताता है, चाहे आप रूस का इतिहास देखें, चाहे और किसी देश का इतिहास उठाकर देखें, चाहे किसी भी स्टेट का ले लें या राजस्थान का ही इतिहास ले लें । आप ज्यों ज्यों दबावेंगे उसका नतीजा जरूर निकलेगा । होना तो यह चाहिये था कि आप उनकी ग्रीवान्सेज को सुनते मगर यह तो आप करते नहीं । आपकी देख–रेख में लोगों पर डन्डे पड़े और फिर आप कहें कि हमें मालूम नहीं........

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : चौधरी कुम्भारामजी बैठे थे थोड़ी दूर पर और रायसिंहनगर के नाजिम की जूतियों से पिटाई करा दी ।

श्री मुरलीधर व्यास : अब मैं दूसरा पत्र प्रस्तुत करता हूं । यह पत्र क्या है, यह पत्र–कार्यालय अधीक्षक मंडल, चूरू :

(अश्रव्य)*

सुप्रिन्टेन्डेन्ट के खुद के दस्तखत हैं ।

यह कानून १८०६ का कानून है जिसको अंग्रेजों ने चलाया । उन्होंने भी इस प्रकार की बात नहीं की । मगर आज आजादी के २० वर्षों बाद आप पब्लिक मीटिंग करने पर पाबन्दी करें और यह कहें कि लाइसेन्स लेना होगा तो मैं आपसे यह कहूंगा कि लोगों के बुनियादी अधिकारों का हनन है और उन पर कुठाराघात है । मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार के आदेश निकालने वाले के खिलाफ कदम उठाना चाहिये । इतना ही नहीं बल्कि यह हुकूमत के लिये भी बहुत बडा कलंक है । मगर इस प्रकार का आदेश क्यों जारी

*भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

किया गया; इसको भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। उस दिन वहां पर सुखाड़ियाजी आने वाले थे और उनका भाषण होने वाला था और एस. पी. साहब यह चाहते थे कि उनके विरोध में कोई सभा वहां पर विरोधी दल की नहीं होनी चाहिये। एस. पी. साहब ने उनको खुश करने के लिये ऐसा किया जिससे उनको मालूम रहे कि उन्होंने ऐसा किया है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी सुखाड़ियाजी ने देखा होगा कि वहां पर २५० से ज्यादा आदमी चुरू में उनको सुनने के लिये नहीं आये और उधर १२ हजार आदमी थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सुखाड़ियाजी को भी उसके लिये लाइसेन्स लेना पड़ा या नहीं, यह तो बता दें ?

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लाइसेन्स लेने के बारे में जो कानून बने हुए हैं, उनको देखा। पुराने जमाने में कोई नौटंकी होती थी या कहीं नाच–गाना होता तो उसके लिये लाइसेन्स लेना पड़ता था। मगर यहां पर तो कोई नाच–गाना नहीं था, सुखाड़ियाजी और मेरा भाषण होनेवाला था। न तो सुखाड़ियाजी कोई नौटंकी या गाना करने वाले थे और न दूसरे। समझ में नहीं आया कि एस. पी. साहब को कैसे भ्रम हो गया कि नौटंकी होने वाली ? मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल कानून के खिलाफ प्रतिबन्ध लगाया गया और इस तरह से मैं निवेदन करूंगा कि आप जनतन्त्र और जनहितों की रक्षा नहीं कर सकेंगे। यह तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियादी हकों के बारे में कहा।

अब इस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जो १८ वर्षों में जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में मैं सारा विश्लेषण करता हूं और आपसे अर्ज करना चाहता हूं।

अभी जैसा हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा कि इतने करोड़ रुपयों का कर्जा हमारे देश पर हो गया है और किसी ने कोई एतराज किया क्या ? मैं कहना चाहता हूं कि आज सारे देश पर करीब १२ हजार करोड़ का कर्जा हो गया है। यह कोई बहस का प्रश्न नहीं हो सकता। मैं राष्ट्रदूत में जो आंकड़े दिये हैं वह कहना चाहता हूं। राष्ट्रदूत में यह बताया गया है कि ११३८३ करोड़ रुपया कर्ज हो गया है। तो यह १२ हजार करोड़ के करीब हो गया। यह राष्ट्रदूत में आया है वह रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट दी है वह है। उसमें ५ हजार लाख स्टेट गवर्नमेंट ने लिये हैं और हमारे यहां पर भी कुछ आया है।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क की आजादी के पहले कितना रुपया था और बाद में आपने कितना रुपया खर्च किया और खर्च करने के बाद कितना कर्जा लिया और क्या उन्नति की ? इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हुकूमत की माली हालत बहुत खराब हुई तो हमारी सरकार ने यह आदेश निकाला कि स्वर्ण नियंत्रण कानून के जरिये से सोना लोगों से आएगा और वह

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसलिये कि हुकूमत को विदेशों मे लेनदेन के लिये सोना चाहिये वह उनके पास नहीं था । जो सोना ७३५ करोड का था वह भी सन् ५६ के बाद में ३४५ करोड़ का रह गया और वह भी दिनों–दिन घटते घटते यह हाल हुआ कि सोना हमारे पास नहीं रहा । जब हमारे पास सोना नहीं रहा तो विदेशों ने हम पर शक किया और माल देने में आनाकानी की और इसलिये आप स्वर्ण नियंत्रण कानून लाये जिससे आपका यह अन्दाजा था कि स्वर्ण नियंत्रण कानून से आपको सोना मिल जाएगा और तस्कर व्यापार खत्म हो जाएगा । मगर दुर्भाग्य यह रहा कि इसमें हमारे ही लोग पकड़े गये और इस कानून के बाद भी कोई असर नहीं हुआ । उसके बाद आपने स्वर्ण बॉन्ड खरीदने की योजना बनाई । वह भी नाकामयाब रही और आपको कोई सोना नहीं मिला । सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सोना अवश्य प्राप्त किया और कई जगह छापे मारे मगर राजस्थान सरकार को वह भी नहीं मिला । आज लोग कहते हैं कि अन्न मिल जावे क्या ? विदेशों से कोई कीमत हो तो कोई बात हो । बाहर से माल मंगावे और रुपया दें । आपके पास सोना नहीं है तो क्या करेंगे ? जब आपके पास सोना नहीं है तो इसका नतीजा यह होगा कि आपको कोई रुपया नहीं देगा और उसका नतीजा यह हुआ कि आपको रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा और इससे क्या हुआ कि मंहगाई बढ़ गई और हालत ठीक नहीं हुई । मैं आज भी आपसे कहता हूँ कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह गलत रास्ता है और फिर से आपको अपने रुपये का अवमूल्यन करना पड़ेगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : That is right.

श्री मुरलीधर व्यास : जो गेहूँ आज हमको ३६) रु० क्विन्टल मिलता है और विदेशों से आता है और क्योंकि अब आपके रुपये का अवमूल्यन हुआ तो अब उसकी जगह ३६ के बजाय आपको ५४) रु० देना पड़ेगा ।

तो क्विन्टल का भाव बढ़ गया, आप अभी कहते नहीं हो पर आगे और मंहगाई बढ़ेगी । राज्य के भ्रष्टाचार का नमूना तो यह है कि हमारे बड़े बड़े व्यापारियों के साथ में इन लोगों का गठ–बन्धन था । हमको कच्चा माल मिलता था उसका उपयोग नहीं करते थे, बदले में जो चीजें भेजनी चाहिये थीं वह भेज नहीं पाते थे । इससे भ्रष्टाचार ने बड़े गम्भीर हालात पैदा किये । मैसर्स मुरलीधर भूंभुनूवाला का सवाल विधान सभा में उठा, बड़ा कोटा उसको मिला, सी० आई० डी० की रिपोर्ट आपको मिली थी कि १२ लाख रुपये का कोटा लिया, जिसमें प्लेटें, टिन, स्टील, चद्दरें, यह सारी ले कर यहां जिन चीजों का निर्माण करना था वह तो किया नहीं और उसको दूसरी जगह ले जाकर बेच दिया । इसकी वजह से जो मजदूर हमारे यहां पर काम पर लग सकते थे न वे काम पर ही लगे और न काम ही हो पाया । आपकी सी० आई० डी० ने रिपोर्ट दी है कि उसने सारे कोटा को मिसयूज किया, जिस काम में इस कोटा को लाना चाहिये

(श्री मुरलीधर व्यास)

था उस काम में नहीं लिया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि उसको पकड़ा गया, कार्यवाही हुई। श्री ज्वालाप्रसादजी ने, भैरोंसिहजी ने और माणिकजी ने यह सवाल विधान सभा में उठाया और कहा था कि यह सौदे आपके हैं, परमिट पर परमिट देते जाते हैं, घोटाले होते हैं, किसी ने रोका नहीं। ऐसे ही सौदे सारे देश में हुए, जिनसे हमारे देश का आर्थिक ढांचा बिगड़ गया। श्री सुब्रह्मण्यम् का मामला पार्लियामेंट में आया कि जिसको एक महीने पहले ब्लैक लिस्ट किया था उस ही को एक महीने बाद व्हाइट लिस्ट कर दिया। पर मैं कहता हूँ हमारे यहां के मंत्रियों के काले कारनामे नहीं देखे कि इन्होंने क्या क्या किया ? बिजली को रेट के सिलसिले में विधान सभा की कार्यवाही में मंत्री महोदय ने जवाब दिया था उसको बताता हूं कि आप क्या कहते हैं ?

यह प्रश्न था :

"भाखरा की रेट्स लागू होगी या सरकार अलग रेट मुकर्रर करेगी ?

श्री भीखाभाई : टेरिफ कमेटी बनी हुई है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने इसके विपरीत राय दी है। रेट्स के बारे में यदि किसी प्रकार का निर्णय ले वह राजस्थान सरकार के लिए अच्छा नहीं; उन्होंने यह बताया कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री भीखाभाई : जी हां, यह बात सही है। प्रश्न काल निकल गया।"

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको कोई अधिकार नहीं था रेट्स को कम-ज्यादा करने का। एक तरफ आपने कहा कि ऐसा नहीं किया जायगा। विधान सभा में जो कहा उसके खिलाफ, फाइनेन्स एन्क्वायरी कमेटी के फैसले के विपरीत आपने एक फर्म को जो १८ लाख यूनिट पर डेढ़ खर्च करती है उसको ३ नये पैसे में बिजली दे दी जब कि आपको खुद को यह बिजली ६ नये पैसे पर यूनिट कोस्ट में पड़ती है। ऑडिट रिपोर्ट एतराज करे कि १८ लाख का नुकसान होता है, विधान सभा में जो आपने कहा उसके खिलाफ कार्यवाही करें, जो फैसला किया गया उसके विपरीत कार्यवाही करें, तो क्या यह सुब्रह्मण्यम् ने निर्णय लिया था उसी तरह का निर्णय नहीं है ? इसी तरह राजस्थान के जमीन के मामले में, गुढ़ा बांध, गुड़ के मामले में देखते है कि यह कहा गया कि जुडिशियल एन्क्वायरी करायेंगे पर जुडिशियल एन्क्वायरी नहीं करा के, सदन की मंशा के खिलाफ, दूसरी कार्यवाही की।

तो एक ऐसा ही मामला बिजली का हो गया कि रेट में चैंज कर दी। ऐसा ही मामला माइन्स में किया। माइन्स की अभ्रक की खान में रॉयल्टी की रेट फिक्स कर दी, वह सैंकड़े के ऊपर थी। लगातार लोगों ने दिया नहीं, कुछ ने दिया, कुछ ने नहीं दिया। सरकार के फैसले के बावजूद ६ साल बाद उस रेट को जो सैंकड़ा पर थी उसको टन पर कर दी। उसमें लाखों का नुकसान हो गया। यह सौदा नहीं हुआ तो क्या हुआ ? पर यहां राजस्थान में सदन में दिये गये

(श्री मुरलीधर व्यास)

वचनों के खिलाफ काम करते हैं. सरकार के निर्णयों के खिलाफ काम करते हैं, वहां तो एक सुब्रह्मण्यम् थे, यहां न मालूम कितने हैं। जंगल के ठेके में अमृतलालजी का मामला सदन में चला, चन्दनमलजी का प्रश्न था, सरकार की ओर से कहा गया था कि जंगल के बीट्स बना कर देंगे पर यह कहने के बावजूद ठेका दे दिया, जिसने गलत काम किया उस ही को दे दिया। सुब्रह्मण्यम् के ऊपर ऐसे आदमी वहां बैठे हैं कि फौरन कार्यवाही करने को तैयार हो जाते हैं, पर दुर्भाग्यवश यहां तो वही 'अली बाबा और ४० चोर' सभी एक दूसरे को बचाने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह के हालात हैं जिनकी वजह से राज्य की आर्थिक, माली हालत खराब हुई है, इसकी जिम्मेदार हमारी हुकूमत है। हमने अपनी योजनाओं के तहत सामुदायिक विकास योजनाओं के तहत खर्चा किया, चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, हमारे यहां करोड़ों रूपया फिजूल खर्च किया गया है। यह कृषि पंडित, यह ग्राम चचा, यह ग्रामचाची, इतना करने के बाद भी हालात ठीक नहीं होते हैं तो इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे अन्दर कमियां हैं, आपके काम करने के तरीकों में खामियां हैं। आप विदेशों से भीख मांगते हैं तो पहले हमारे यहां जो आप इस प्रकार की फिजूल खर्चियां कर रहे हैं उनको तो बन्द करें।

मैं मन्त्रि-मण्डल के विस्तार की निन्दा करता हूँ। यह मन्त्रि-मण्डल का विस्तार क्या था? यह एक राजनैतिक काम था। आज मन्त्रियों के पास कोई काम नहीं है। आज मन्त्रियों के पास कोई धन्धा नहीं रहा। गये महीनों में सारे मन्त्रियों के राजनैतिक टूर हुए हैं। दो ग्रुप हो गये। अपने अपने मंत्रियों को कहा जाओ तुम अपना प्रचार करो, उस आदमी को अपने में मिलाना है, इस आदमी को अपने में मिलाओ। यह धंधा मन्त्रियों का गये महीने में रहा। मन्त्रियों के टूर हुए वे सरकार के पैसे से अपने राजनैतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिये हुए. आपने सरकारी पैसा राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि के लिये फूंका। गये महीने में जितने आपके टूर हुए वे राजनैतिक टूर हुए। आज मंत्रियों के पास कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं रह गया है। मैंने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि इन मन्त्रियों के पास क्या धन्धा रह गया है। एक मंत्री महोदय का सर्टिफिकेट बताना चाहता हूं कि इन मंत्रियों के पास क्या धंधा रह गया है? एक मंत्री हैं भीखाभाई, वन मंत्री, श्रम मंत्री और आयुर्वेद मंत्री हैं। उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया है, वह इस प्रकार है:

"अप्रेल १५, १९६६

श्री मदनलाल सोनीगरा, जोधपुर हेयर कटिंग सैलून, भीलवाड़ा को आज मेरे बाल काटने के लिये बुलाया गया। श्री मदनलाल एक नवयुवक हैं और अपने धंधे में माहिर हैं। मेरे को उन्होंने सुन्दर सेवा प्रदान की। सिर मालिश के समय उनका हाथ बिजली की फुर्ती से चल रहा है और काफी थकान मिटाने में सहायक होता है। इस नवयुवक को अपने कार्य में सफलता के लिये मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं।

(श्री मुरलीधर व्यास)

मीखाभाई
१५.५.६६"

बताओ क्या मालिश हुई, हाथ ऐसा चला, बिजली सा हाथ चला कि सर अच्छा हो गया।

एक माननीय सदस्य : आपको नाराजी क्या है इससे ?

श्री मुरलीधर व्यास : खास बात देखिये बिजली की सी फुर्ती से मालिश का हाथ फिरा तो उससे सिर कैसा चढ़ा यह देखा ? ऊपर १५ अप्रेल, १९६६ है और नीचे दस्तखत करते हैं वहां १५.५.६६ लिखते हैं। ऊपर १५ अप्रेल और नीचे १५ मई हो गई, हाथ सिर पर ऐसा चला कि १ महीना आगे हो गया। समझ में नहीं आता कि मंत्रियों के पास यही धंधा रह गया ? मुखाड़ियाजी को कोई कहे मालिश कर दूं तो सर्टिफिकेट दे दें और उस मालिश से मस्तिष्क ऐसा चला कि एक महीना आगे चला गया :

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपके लिये नाई बिल्कुल इतना छोटा होता है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं नाई की बात नहीं कहता, आप तो समझे नहीं। आपके दिमाग को भी इस तरह की मालिश की जरूरत है। बात क्या है ? प्रशासन में कितने होशियार हैं। मालिश होने से क्या होता है, ऊपर तारीख एक है अप्रेल की और जहां दस्तखत नीचे की है वहां मई हो जाता है। एक महीने का अंतर हो जाता है, यह मालिश का असर होता है, यह प्रशासन का नमूना है, इसकी दलील दे रहा हूँ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : नाई को सर्टिफिकेट देना बुरी बात है क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : तो कल आप वैश्याओं को भी सर्टीफिकेट दे देंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया है।

श्री चन्दनमल बैद (यातायात मंत्री) : तो नाई और वैश्या बराबर हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे तो सिर्फ आप ही नजर आ रहे हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अगर भीखाभाई ने अपने जीवन में कोई ठीक काम किया है तो वह यह है कि नाई को सर्टिफिकेट दिया है। गलती केवल इतनी हुई है कि चम्पी ज्यादा करवा ली।

श्री मुरलीधर व्यास : एक माननीय सदस्य आर्थिक ढांचे के लिए कह रहे थे। मैं कल परसों की बात नहीं कहता। बीकानेर के अन्दर एक मजदूर को भूख हड़ताल पर बिठाया गया। हरिदेव जोशी से कोई बातचीत करके आए कि ये मांगें इतने दिन में पूरी नहीं होंगी तो ऐसा करेंगे, भूख-हड़ताल की घोषणा कर दी। भूख-हड़ताल का मामला बिगड़ने लगा, जमा नहीं। तब क्या हुआ ? तार एक यहां से गया, चलो बात-चीत हो गई है, भूख हड़ताल समाप्त कर दो और फैसला हो गया। सारी मांगें

(श्री मुरलीधर व्यास)

मन्जूर हो गईं। तार मेरे पास मौजूद है। एक मई को भूख हड़ताल से उठ गए गोकुल-प्रसादजी। भूख हड़ताल से उठ गए तार के आधार पर, मांगें पूरी हुई नहीं। इस देश के अंदर जहां तक हुकूमत किसी के साथ समझौता करे तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं जानता हूं, आप ये धंधे किस लिए करते हैं। मुख्य मन्त्री चुनाव के समय टी० सी० जैन से बात करके ६० लाख चंदा कम्पनी के खजाने से ले सकते हैं, इस धंधे में तो हुकूमत माहिर है। लेकिन एक कानून है कि मार्कन्त के तहत भूख हड़ताल पर बैठना है तो जब कोई मांग ट्रिब्युनल के कोर्ट में चल रही है, तो उस मांग को लेकर कोई भी भूख हड़ताल कर लें और हमारा कोई मंत्री उस मांग को लेकर अपने आप ट्रिब्युनल से ले ले और अपनी राजनैतिक पार्टी के आदमी के लिए कानून की अवहेलना करे, अवार्ड देने की कोशिश करे तो गलत है। मंत्री महोदय को क्या करना चाहिए था ? सबसे पहले तो आर्बीट्रेटर नियुक्त होना भी था तो नोटिस देना था और उसके बाद सुनवाई करनी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया ? हरिदेव जोशी का नोटिस पढ़कर सुनाता हूं :—

"बीकानेर जिप्सम्स लिमिटेड, बीकानेर और राष्ट्रीय जिप्सम्स कर्मचारी संघ, बीकानेर, के बीच में औद्योगिक विवाद के लिए, उनके आपसी समझौते द्वारा मुझे पंच नियुक्त किया गया है और उक्त समझौता भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के गजट में उक्त धारा ३-१० (१) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७, के अधीन प्रकाशित किया जा चुका है। औद्योगिक विवाद से संबंध सभी व्यक्तियों समस्त कामगारों को सूचित किया जाता है कि अगर उनको उसके संबंध में कोई प्रतिवेदन देना हो तो ८-६-६६ तक अपने एतराज प्रस्तुत करें।

हरिदेव जोशी,
खनिज मंत्री, राजस्थान"

इस प्रकार का नोटिस वहां लगवाया। तो खुद मंत्री लिखते हैं कि यह विवाद गजट में प्रकाशित कर दिया गया है, वहां लगवाते हैं और यह विवाद जो २६ तारीख लिखी है नीचे वह गजट में प्रकाशित होता है ४ जून को। एक मंत्री अगर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सारे कानून का उल्लंघन करके झूठा नोटिस दिलवाकर, झूठी बात लिखकर देता है उसके पक्ष में कोई फैसला करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह कानून की अवहेलना है। कोई भी आर्बीट्रेशन नियुक्त होने से पहले अपने आपको मौका देना चाहिए, उसके बाद में एतराज होने चाहिए उसके बाद मान्यता हो, तब कदम उठाना चाहिए। इनकी मांग यह थी कि हमारी यूनियन को मान्यता दी जाय। अब मान्यता देने के लिए कानून को ठुकरा कर हरिदेव जोशी की आर्बीट्रेशन को स्वीकार कर लिया। उसके बाद मैंने श्री जगजीवनराम को पत्र लिखा। वह जवाब देते हैं। कानून राज्य सरकार का है लेकिन किसी का पक्ष लेकर गलत काम किया है और एक यूनियन की

(श्री मुरलीधर व्यास)

रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए और दूसरो को मान्यता देने के लिए कार्यवाही की गई है। उन्होंने लिखा है :

"As for re-cognition of the Rajasthan Gypsum Karmchari Sangh by the management, it has been explained to the management that recognition granted to the Sangh without verification of membership would not be regarded as recognition under the code of discipline."

श्री जगजीवनराम ने आखिर इनकी सारी गलत कार्यवाही के खिलाफ लिखा। आप अगर अपने चुनाव के बहाने गलत कार्यवाहियां करेंगे तो लोकतन्त्र जिंदा नहीं रह सकता। आप लड़ो चुनाव का संघर्ष होगा, स्पोर्ट्समेन की तरह लड़ेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मुझे १०-५ मिनट चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : सवा घंटा हो चुका है, यदि जल्दी समाप्त कर दें तो अच्छा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): गृहमंत्री को खंडेला में जो कुछ घटना हुई उस बारे में उत्तर देना है, तीन दिन हो गए जब इस प्रश्न को उठाया गया था और अध्यक्ष महोदय का आदेश है कि इसका उत्तर सदन में दें। इसलिए भाषण समाप्त होने के बाद में खंडेला की सारी घटना पर आप उत्तर दिलवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : कल तक हो जाएगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कह रहा था कि सारी कार्यवाही गलत होती है। क्यों होती है? हमारा एक मामला था कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाय, आर्बीट्रेशन में था। दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह ट्रिब्युनल में था इस बीच में उसके खिलाफ एक मंत्री फैसला देते हैं। यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट श्री हरिदेव जोशी ने की है इसकी जांच होनी चाहिए। जब मामला ट्रिब्युनल में चल रहा है, बीच में फैसला क्यों देते हैं कि ठेकेदारी प्रथा रखनी चाहिए, हम समाप्त करना चाहते हैं। ये लोग इस कंपनी के साथ क्यों सौदा करते हैं? लोकतंत्र में यह कौन सा तरीका है? यह जिप्सम कंपनी की बेलेंस शीट है। इसके अंदर इसी साल के अंदर एक रकम है :

"Including advertisement published in the Souvenir for Rs. 5,000/- five thousand.

(५ म० प०)

पांच हजार रुपया कांग्रेस के एडवरटाईजमेंट के लिये यह जिप्सम कम्पनी देती है। इस कम्पनी के अन्दर सरकार के शेयर हैं। सरकार खुद इसकी मालिक है। अगर एक मालिक अपनी पार्टी के लिये, कांग्रेस पार्टी के लिये ऐसी संस्थाओं से चन्दा लेता है तो मैं कहता हूं कि तुम अपने हाथ से इस तरह के गलत और कलंकित काम करते हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं आपके जैसों को समझ सकता हूँ । कोई कम्पनी एडवटाईजमेंट देती है, वह चाहती है कि ऑल इन्डिया कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, वह एडवटाइजमेंट करती है, आपकी और बातें तो समझ आयीं लेकिन यह कमजोर करती है दलील ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह कमजोर नहीं करती । बल्कि इस अन्डरटेकिंग में ४० प्रतिशत राज्य सरकार के शेयर हैं और सरकार के ४० प्रतिशत शेयर होने के कारण हिन्दुस्तान की सरकार ने यह कहा कि वह पब्लिक अन्डरटेकिंग में आ जाती है । इसमें ५० प्रतिशत कांग्रेस की आपकी सरकार के शेयर हैं । ऐसी पार्टी को चन्दा स्वयं सरकार देती है जो सरकार की पार्टी है, तो यह सरकार स्वयं चन्दा दे रही है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कोई नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा ज्वालाप्रसादजी कहते हैं कि वह तो कांग्रेस की तरफ से अखबार निकला था, प्रदेश कांग्रेस की ओर से पब्लिश हुआ था उसमें दिया । मैं कहता हूँ यह गलत तरीका है । आप कहते हैं कमजोर दलील है । बीकानेर जिप्सम ने कितना दिया इसमें लिखा है कि उसने प्रदेश कांग्रेस पार्टी को २५ हजार रुपया दिये । मैं नहीं समझता कि आपके शेयर जिसमें हों, आप मालिक बन कर बैठे हैं, आपके डाइरेक्टर उसमें बैठते हैं फिर वह तो सरकारी ही जैसा है, सरकार का ही चन्दा है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह कब का है ? फोटो पेश कर दीजिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह ६१ का है । उस वक्त भी ४० परसेन्ट शेयर थे । गलत है तो चैलेन्ज करता हूं आपको हर तरह से । मैं कहता हूं कि सरकार के जिस कम्पनी में शेयर हों और फिर हुकूमत इस प्रकार से करे, यह कहां का न्याय है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स के बैलेन्स शीट में २० हजार रुपया हर साल इसके लिए रखा जाता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, वे बीच में बाधा डाल देते हैं । जो मैं फैक्ट्स रखता हूं उनमें गड़बड़ी करते हैं ।

राज्य सरकार के पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में खुद के शेयर होते हैं, आपके डाइरेक्टर होते हैं, किन्हीं से २५ हजार लिये, किन्हीं से ५० हजार लिये और किन्हीं से एक लाख और दो लाख लिये कांग्रेस पार्टी के चन्दे के लिये तो फिर हो गया काम ? आपको तो पैसा अपने खजाने से ही मिल गया । वैसे खजाने के पैसे से ही चुनाव लड़ लो । आपने यह पैसा लिया है, यह बिल्कुल गलत है । कानून के दरवाजे खटखटायें तो कह दिया जावेगा कि लिया है । इस प्रकार राज्य का पैसा लेकर आपने भ्रष्टाचार किया है । यह अच्छा काम नहीं किया है इस जनतन्त्र के लिये । यह जनतन्त्र की कब्र आप खोद रहे हो ।

आज दलगत आधार पर एक यूनियन-जो दूसरी यूनियन के अन्दर बात होती है

(श्री मुरलीधर व्यास)

तो ऐसी बात कर दी जाती है । वाटर वर्क्स की यूनियन है । हरिदेवजी जोशी ने कहा नहीं है भूख हड़ताल पर । वे भूख हड़ताल पर बैठे हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बिल्कुल नहीं बैठे हैं । आप गलत बोलते हो ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि भूख हड़ताल खत्म हो गई । आपके पास भी कागज मौजूद हैं । भूख हड़ताल जारी है । कल मैं बीकानेर गया । यहां पर दो आदमी बैठे है और वहां पर भी दो आदमी बैठे हैं । सदन को गुमराह करना, धोखा देना, इस प्रकार की कार्यवाही तो आप ही कर सकते हैं । लोकतन्त्र में विरोधी को दबाने के लिये यह कार्यवाही तो अच्छा नहीं होगा स्वयं लोकतन्त्र के हित के लिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एक गुड़ा के सरपंच हैं । उसको हमारे मन्त्री महोदय ने सस्पेन्ड किया जबकि कानून के तहत १४।४ के तहत किसी को सस्पेन्ड करते हो तो उसमें स्पष्ट लिखा है हाईकोर्ट की रूलिंग है, पुराने समय के जो सरपंच थे, अब चुन कर आये उनके लिये नहीं है, उनके द्वारा जो कुछ कार्य वाही हो चुकी है उसके लिये उनका सस्पेन्शन नहीं हो सकता । चूंकि गुड़ा के सरपंच आपके खिलाफ लड़ने वाले हैं, ईमानदार होते हुए भी आप चाहते हैं कि उनकी गर्दन पर तलवार क्यों चलायी जाय, उनको आपने सस्पेन्ड कर दिया । नाथूरामजी के कुचेरा पंचायत की सैंकड़ों ऐसी शिकायतें हैं कि सरपंचों ने सैंकड़ों पैसों की सहायता लेकर कुन्ड बनाना, कुए बनाना आदि तो दूर रहा, कलेक्टर और डी. आई. जी. की रिपोर्ट पहुंच गयी है कि हजारों रुपयों का गबन किया है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही हो सकती है, क्योंकि वे आपके पक्ष के हैं । हमारा एक विरोधी पक्ष का सरपंच है जसवीरसिंह उनको सस्पेन्ड कर दिया क्योंकि वह बृजसुन्दरजी, जो वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके खिलाफ है । मुख्य मन्त्री कहते हैं चुनाव के ६ महीने पहिले किसी का सस्पेन्शन नहीं होना चाहिये । किसी की गर्दन पर तलवार नहीं लटकेगी । चुनाव के मौके पर यह कार्यवाही हो रही है । मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी यह कार्यवाही लोकतंत्र के खिलाफ है ।

वीरबलसिंह, प्रधान सूरतगढ़ के कई मामले हैं । लाखों का घोटाला है । मन्त्री महोदय का भाई है । कोई कार्यवाही नहीं हुई । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, उपाध्यक्ष महोदय । देश में लोकतन्त्र को इस तरह से दबाया और कुचला गया तो जनता में लोकतन्त्र के प्रति विश्वास ही उठ जावेगा । अभी मैं आपके सामने और तथ्य रखना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : Five minutes.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास ये फेक्ट्स इस प्रकार के हैं कुचेरा के सरपंच के खिलाफ ४० हजार का गबन है । इस जांच के सम्बन्ध में मैं वहां गया । आंकड़े निकाल कर लाया तो इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इस पंचायत में न जाने कितनी ही गड़बड़ियां हुई हैं । जांच रिपोर्ट जयपुर प्रस्तुत की गई है । आरोप है श्री हरिराम मिर्धा के खिलाफ । कृषि मन्त्री

(श्री मुरलीधर व्यास)

का रिश्ता है, मैं नहीं कहना चाहता ; होगा कोई रिश्ता ।

परन्तु मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इसमें डी. आई. जी. को रिपोर्ट पहुँच गई । कलेक्टर ने गबन साबित होने की बात कह दी । आप, पर अपने लोगों को बचाने की कोशिश करें दूसरों को बर्बाद करें; यह नीति अच्छी नहीं है ।

मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आज हमारे राज्य में जितने भी प्रगतिशील कानून बनाने चाहिये थे वे बनाये भले ही थोड़े गए हों, पर वे सब नाकामयाब हो चुके ; सीलिंग का कानून अच्छा था, पर वह भी लटक गया । रेवेन्यू मिनिस्टर दामोदरलालजी व्यास ने बड़े गर्व से सदन में तब ऐलान किया था कि इस चुनाव के पहले यह कानून लागू हो जायेगा सीलिंग का, पर वह आज तक लागू नहीं हुआ । दूसरा चुनाव और आ गया । यह सरकार एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने में कामयाब नहीं हुई ।

इन्डस्ट्रियल लाइन में भी आपकी यही हालत रही । जितनी इन्डस्ट्री लगीं भी, वे सब भी आज रसातल में जा रही हैं । इण्डस्ट्रियल साइड में भी आप पक्षपात से नहीं चूके । भीलवाड़ा मिल को तो आपको पचास हजार देने को मिल गए, पर ब्यावर मील को बीस लाख भी नही दे पाये । आज भीलवाड़ा में रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है । इसमें कांग्रेसी घुसे हुए हैं । मैंने देखा है एक एन. पी. साहब की लड़की की शादी हुई थी, वही सब तैयारी हुई, वहीं सरकारी मोटरें चलती थीं, वहीं बरात खाना खिलाना–पिलाना सारा काम वहीं हुआ ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप पचास लाख कौनसे मिल को दिए जाने की बात कह रहे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : मेवाड़ टैक्सटाइल को ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पचास लाख । सत्य कहते हो ?

श्री मुरलीधर व्यास : आप बता दो । मेरे पास रिपोर्ट पचास लाख की है । इसमें लम्बी–चौड़ी बात नही है, कम होगा कुछ । पर आप यह कह दो वहां पर शादी नही हुई, मोटरें सरकारी काम में नहीं आई, पेट्रोल नहीं जला । भ्रष्टाचार की बात बताओ । इसमें क्या है, पचास लाख नहीं होगा कुछ कम–बेश होगा । तो इन इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस में भी यह हुकूमत नाकामयाब रही है, यहां भी भ्रष्टाचार पनप रही है । भ्रष्टाचार को तरफ से आंखें बन्द करके पड़ी है ।

कोटे में लोहा और स्टील, पीतल आदि चीजें दी जाती हैं, तांबा दिया जाता है । वहां पर भी भ्रष्टाचार और ब्लैक का बोल बाला है । आपकी इण्डस्ट्री कहां पनपने को है ?

कृषि उत्पादन के लिए हमने तकावी और लोन दिये पर इनका भी मिसयूज हुआ । गबन हुआ । करोड़ों की सम्पत्ति इस तरह से बरबाद की गई ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

आजादी के बाद इतना भी कर लेते कि कम से कम इतना वेतन हम अपने नीचे काम करने वाले लोगों को देंगे तो भी शांति मिलती, सन्तोष होता। कह देते कि हम विषमता के अन्तर को कम करेंगे। पर यह भी नहीं हुआ।

मैंने जैसे पहले श्लोक में कहा था। अब सरकार का तो दिवाला निकल चुका है। जब किसी का दिवाला निकल जाता है तो वह दूसरे को खाने का झपटता है। अब इनके हाथों से बुरे ही काम होंगे। अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक मेंढक कुए में रहता था। परेशान होकर दूसरे का सहयोग लिया। एक सांप मिल गया। उसका सहयोग लिया। पर उसकी क्या स्थिति हुई ? आज यह सरकार जनता से दूर हट गई, जनता में तो जा नहीं सकती, क्योंकि वहां तो वह दिवाला निकाल कर बैठी है, क्या मुंह लेकर जावे ? पर इनको अपनी कुर्सियों की फिकर हुई तो अब सहारा किसका लें ? इन पूंजीपतियों का, सांपों का, सहारा लिया है उस मेंढक की तरह। ये आम चुनावों में, पार्लियामेंट के चुनावों में बड़े बड़े करोड़पतियों को लेकर इन चुनावों को लड़ना चाहते हैं। घर में दिवाला निकला हुआ है। भूखा आदमी बुरा होता है। "बुभुक्षितः किं न करोति पापम्" वाली उक्ति इन पर चरितार्थ हो रही है 'बुभुक्षितः किं न करोती पापम्।'

मैं तो कहता हूं इस कांग्रेस के कुए में अब कोई मत पड़ो। यह तो भूखी सरकार हो गई है। अब इसके पास पैसा नहीं है, दिवाला निकल चुका है इसका। बौखलाहट है। अब ये पाप करेंगे। खाने को भेड़ियों की तरह टूटेंगे ये अब। इन भेड़ियों से न्याय नहीं मिल सकता। ऐसों के राज्य को तो समाप्त करना ही अच्छा है। इस भ्रष्टाचारी हुकूमत को हटाना है। यह मौका है। आपको भ्रष्टाचार हटाना है तो मैदान में आओ। मेरा तो इस सरकार में विश्वास नहीं है। अब तो राष्ट्रपति शासन यहां हो जावे तो अच्छा है। चुनाव निष्पक्ष होंगे। इससे राजस्थान का भला होगा। नहीं तो ये चुनाव भी निष्पक्ष नहीं होने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म०प० ५.१५ बजे मंगलवार, दिनांक २७ सितम्बर, ६६ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२१ का उत्तर देखिये)

सूचि सदस्यान श्यामपुरा संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०

१.	श्री करणसिंह	अनोपसिंह
२.	,, गहरीसिंह	सादुलसिंह
३.	,, महोबतसिंह	टिकुसिंह
४.	,, बहादुरसिंह	रघुनाथसिंह
५.	श्रीमती सीरे कंवर	पत्नि साईसिंह
६.	श्री सूआराम	हजारी
७.	,, बाघसिंह	हरिसिंह
८.	,, राधूराम	जयराम
९.	श्रीमती उमेद कंवर	पत्नि रघुनाथसिंह
१०.	,, मोहन कंवर	पुत्री टीकू सिंह
११.	,, रिसल कंवर	पत्नि प्रहलादसिंह
१२.	श्री साधूराम	आसूराम
१३.	,, भागीरथ	गणेशराम
१४.	,, सरदारसिंह	प्रेमसिंह

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक २६ सितम्बर, १९६६)

स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
३	५	वही	बही
४	शीर्ष	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
६	१६	हिमाबात	हिसाबात
८	१०	१५६४–६५	१९६४–-६५
९	शीर्षक	--	(श्री अध्यक्ष)
१३	६	श्री कुम्भाराम ग्रार्य	श्री कुम्भाराम आर्य
१६	१८ व २६	मंत्री-मंडल	मंत्रिमण्डल
२१	अन्तिम से १०	१०७। सी। पी० सी०	१०७। सी० पी० सी
२२	८	करेंगे:-)	करेंगे:--
,,	१५	ऋण	ऋण
२३	११	इन्स्ट्रीज	इन्डस्ट्रीज
,,	१८	श्रा हरिश्चन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
२४	६	एक्सपशन	एक्सपेन्शन
,,	अन्तिम से ८	कि कि सरकार	कि सरकार
२५	१	डिस्कशन	डिस्कशन
,,	२३	चाहिवे	चाहिये
२६	२१	जमी	कमी
२७	अन्तिम से ८	चार रुपया लाख	चार लाख रुपया
२८	शीर्षक	तरांकित	तारांकित
,,	१२	गोथल	गोयल
,,	१८	डॉइरेक्टर	डाइरेक्टर
३१	१	हिन्डोन	हिन्डौन
,,	७	बा	बी
,,	२०	व्यास।	व्यास :

१	२	३	४
३४	३	श्री मोहर्रसिह	श्री मोहर्रसिंह
३५	१६	क्लेक्टर	कलेक्टर
३६	१४	उनमैं	उनमें
३७	१६	२११	२२१
३८	शीर्षक	ताारांकित	तारांकित
,,	६	में	ने
३६	२	गांव	गांव
४१	३	मत्ता	भत्ता
,,	४	२००) रू०	२००
,,	१४	पालों	वालों
४३	अन्तिम व अन्तिम से १	कर रवाये	करवाये
४४	१०	डवलपमेन्ट	डेवलपमेन्ट
,,	१६	दिपे	दिये
४५	शीर्षक	प्रश्नौत्तर	प्रश्नोत्तर
,,	६-७	श्री चन्द्रसिंह बर्फा। श्री अध्यक्ष :	श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बर्फा।
४६	५-६	इंश्योरेंस	इन्श्योरेन्स
४६	३-२३	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
,,	अन्तिम से २	इन्योरेन्स	इन्श्योरेन्स
५०	२०	श्री अध्वक्ष	श्री अध्यक्ष
५२	१४	रिप्रजन्टेशन्स	रिप्रेजेन्टेशन्स
,,	१८	(किशनपोल बाजार)	(किशनपोल, जयपुर)
५३	१०,१२,१६व३२	रिप्रेजन्टेशन्स	रिप्रेजेन्टेशन्स
५४	अन्तिम से ३	,,	,,
५५-५६	क्रमश २ व ३,१३	गैरन्टी	गारन्टी
५६	१८	केसिज	केसेज़
५७	१	हाऊसिज	हाउसेज़
,,	१०	रीजन बुल	रीज़नेबल
,,	२१	रुप	रूप

१	२	३	४
५७	२६	कैसेज जा	केसेज़ जो
५८	८व१६	एक्जामिन	एग्ज़ामिन
६०	अन्तिम से ३	अन्य	अन्न
६२	शीर्षक	प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
६३	६	श्री राधाकृष्ण गोयल :	श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) :
६४	१०	नहां	नहीं
६५,६७,६६	शीर्णक	अनुपस्थिति	अनुपस्थित
६५	अन्तिम से ११	(बिलाड़)	(बिलाड़ा)
,,	अन्तिम से ८	यह है	यह सही है
,,	अन्तिम से ५	ता क्यों ?	तो क्यों ?
७१	शीर्णक	अमुपस्थिति	अनुपस्थित
७२	,,	प्रश्नोत्त	प्रश्नोत्तर
,,	१२	औथराइज्ड	ऑथोराइज़्ड
७३	शीर्षक	प्रश्कोत्तर	प्रश्नोत्तर
७४	,,	अतारांकि	अतारांकित
७५	शीर्षक	उत्तर	(श्री पंचायत मंत्री)
,,	अन्तिम से ५	मैं	में
७७	८	विद्यत	विद्युत
७८	४	कापोरेशन	कॉर्पोरेशन
८१	६	होई कोर्ट	हाई कोर्ट
८७	अन्तिम से १०	आस पास के	आस-पास
,,	अन्तिम से ६	रहा	रहा है
,,	अन्तिम से ४	गम्भीरता की	गम्भीरता को
८६	१६	सयस्य	सदस्य
६०	अन्तिम से २	इसका	इसको
६२	१०	अस्सरे नौ	असरे-नौ
६४	अन्तिम से ७	को	कि
६५	३	महाराज	महाराजा
६७	३	क ई	कोई

१	२	३	४
१०३	७	वर्षा से	वर्षों से
१०४	६	किया थ	किया था
,,	१०	सरकार	सरकार ने
१०५	६	मी	भी
,,	१०	लेने	लेना
१०६	अन्तिम	जया	जमा
१०६	१७	यिस्थापित	विस्थापित
१११	७	आधिकारियों	अधिकारियों
११२	१७	ग्रोर	ग्रौर
११३	५	जिन	जिन
,,	७	मुग्रानेज	मुग्रावजा
,,	१६	हे।	है।
११४	७	रू धों	रू धों
,,	१६	सेंक्धुअरी	सेंक्चुयरी
,,	१८व२२	सेक्धुरी	सेंक्चुयरी
११५	शीर्षक	२६-सितम्बर,	-२६ सितम्बर,
११६	५	ग्राम,=	ग्राम)-
११८	१७	रिप्रजेन्टेटिव	रिप्रेज़ेन्टेटिव
,,	अन्तिम से ७	कर	कहकर
११६	अन्तिम से २	ठेनेन्सी	टीनेन्सी
१२०	शीर्षक	ध्यानाकर्यण	ध्यानाकर्षण
१२२	,,	स व धी	संबंधी
,,	अन्तिम से ११	कराएगें	कराएंगे
१३४	१०	हीं	ही
१३८	२५	जरुरी	जरूरी
१३६	१३	ऐसा यह है	यह कहा है
१४०	१३	जुड	जुड़
१४६	अन्तिम	विपरित	विपरीत
१४७	१०	मार्केटों प्लेसस	मार्केट प्लेसेज़
१४८	६	श्री भीखाभाई	श्री हीराभाई

१	२	३	४
१५२	६	कइ	कई
१५३	१७	धन्धो	धन्धों
१५५	६	इस	इसमें
१५६	१०	सभानेत्री महोदय	सभानेत्री महोदया,
१६५	अन्तिम से ३	दों	दो
१६६	२०	Fourty	Forty
१७४	अन्तिम से ६	कोक हें	को कहें
१८२	२२	did	aid
१६०	१२	tubb	tough
१६२	अन्तिम से ६	gend	ged
१६३	१४	जौ	जो
१६४	८	साइडट्रिक	साइडट्रेक
१६७	२	कम्युनिस्ट अपने	कम्युनिस्टपने
२००	८	तह	तरह
२०५	२८	इसमें	इससे
२०६	२०	राज्य	राज्यं
,,	२१	कुराजराज्य	कुराजराज्यं
२१७	१	हुकूमत के	हुकूमत पर
२२५	१	नोटी	छोटी
,,	२२	सा	सन्
२२६	४	गुमराह	तरह सदन को गुमराह
,,	६	नरह सदन को	—
२३०	५	देत	देता
२३१	६	(आसपुर :	(आसपुर) :
,,	१६	मुक्य	मुख्य
२३२	१५	मत्री	मंत्री
,,	२४	लोकतत्र	लोकतंत्र
२३४	अन्तिम से ३	जवाव	जवाब
२३६	१६	स्यर्ण	स्वर्ण
२४२	७	उस	उसके

१	२	३	४
२४४	२१	मत्री	मंत्री
२४८	३	संबंध	संबंधित
२४६	६	ntad	nted
२५०	४	रह	रहा
,,	१२	मामजा	मामला
२५२	१२	ध्यास	व्यास
२५५	अन्तिम से ६	हजार	लाख
२५६	३ के बाद	—	क्रमसं० नाम सदस्य पिता का नाम